दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

अप्रैल 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भूगोल 6
- भारतीय विरासत और संस्कृति 11
- भारतीय समाज 12

सामान्य अध्ययन पेपर-2 14

- राजनीति और शासन 14
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 20

सामान्य अध्ययन पेपर-3 28

- अर्थव्यवस्था 28
- कृषि 35
- आंतरिक सुरक्षा 37
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 39
- आपदा प्रबंधन 40
- आधारिक संरचना 42

सामान्य अध्ययन पेपर-4 44

- केस स्टडी 44
- सैद्धांतिक प्रश्न 54

निबंध 65

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में संक्षेप में परिचय देते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग धारा के रूप में उनके उद्भव पर प्रकाश डालिये।
- क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका को विभिन्न पहलुओं (सकारात्मक योगदान, सीमाएँ) में विभाजित कीजिये।
- संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

20वीं सदी की शुरुआत में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कट्टरपंथी प्रतिक्रिया के रूप में उभरे, जिसमें संवैधानिक तरीकों (उदारवादी पद्धति) से असंतुष्टि के बाद सशस्त्र प्रतिरोध को महत्त्व (खासकर वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद) दिया गया। ये आंदोलन उदारवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण के समानांतर चले, जिससे राष्ट्रवादी विमर्श को आकार मिला।

मुख्य भाग:

क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका:

- **वैचारिक जागृति:** भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA ने राष्ट्रवाद को समाजवाद के साथ संयोजित दिया। भगत सिंह के लेखन जैसे कि ***मैं नास्तिक क्यों हूँ*** ने आंदोलन की बौद्धिक गहराई को प्रभावित किया।
  - "इंकलाब जिंदाबाद" का नारा स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों के लिये एक स्थायी आह्वान बन गया।
- **वैश्विक पहुँच:** गदर पार्टी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जैसे कट्टरपंथी समूहों ने स्वतंत्रता संग्राम का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और विश्व भर में ब्रिटिश दमन पर प्रकाश डाला।
  - सावरकर, मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों ने लंदन, पेरिस और बर्लिन में वैचारिक एवं सैन्य आधार बनाए।
- **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** काकोरी घटनाक्रम और असेंबली बम विस्फोट जैसी घटनाओं से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिली।
  - उनकी शहादत और अवज्ञा से विशेष रूप से राजनीतिक रूप से निष्क्रिय चरणों के दौरान व्यापक जनसमूह को एकजुट किया गया।
- **गुप्त समितियों का उदय:** वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे आंदोलनों का उदय हुआ, जो सशस्त्र प्रतिरोध पर केंद्रित थे।
  - मुकद्दमे और फाँसी (विशेष रूप से भगत सिंह का मामला) से राष्ट्रवादी चेतना तीव्र हो गई।
- **विचारधारा की विरासत:** कई क्रांतिकारियों ने मार्क्सवाद एवं साम्राज्यवाद-विरोध को अपनाया, जिससे स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक विचारधारा प्रभावित हुई।

क्रांतिकारी आंदोलन की सीमाएँ:

- **जनाधार का अभाव:** क्रांतिकारी आंदोलन शहर-केंद्रित रहे, HSRA जैसे समूह लाहौर एवं दिल्ली जैसे शहरों में सक्रिय रहे, जो ग्रामीण किसानों और श्रमिकों को संगठित करने में विफल रहे।
- **औपनिवेशिक दमन:** ब्रिटिशों ने भारत रक्षा अधिनियम (1915) एवं रॉलेट अधिनियम (1919) जैसे दमनकारी कानूनों का उपयोग करके क्रांतिकारी नेटवर्क को नष्ट कर दिया, जैसा कि काकोरी केस (1925) एवं गदर विद्रोह में देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और फाँसी होने के साथ आंदोलनों का दमन हुआ।
- **वैचारिक विखंडन:** एकता की कमी के कारण संघर्ष का प्रभाव कमज़ोर हो गया क्योंकि गदर पार्टी के समाजवादी उद्देश्य बंगाल के क्रांतिकारियों के राष्ट्रवादी लक्ष्य के अनुरूप न होने से रणनीतिक असंगति पैदा हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

हालाँकि क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रत्यक्ष तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जन सामान्य को प्रेरित करके, औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देकर एवं स्वतंत्रता आंदोलन को साहस तथा वैचारिक समृद्धि से भरकर उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई। उनकी विरासत भारत की सामूहिक स्मृति में बलिदान के प्रतीक के रूप में बनी हुई है।

प्रश्न : 19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय में किस हद तक योगदान दिया? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये तथा प्रारंभिक राष्ट्रीय चेतना के उदय में उनकी भूमिका को संक्षेप में बताइये।
- विस्तार से बताइये कि किस प्रकार इन सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति में योगदान दिया, साथ ही उनकी अंतर्निहित सीमाओं की भी चर्चा कीजिये।
- इस बात पर बल देते हुए निष्कर्ष दीजिये कि इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिये वैचारिक आधार तैयार किया।

परिचय:

19वीं सदी का सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इसने भारत में बुद्धिवाद और ज्ञानोदय को जन्म दिया जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना में योगदान दिया। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय चेतना में सुधार आंदोलनों की भूमिका:

- **बौद्धिक जागृति और तर्कसंगत विचार:** राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने अंधविश्वास से तर्क और मानवतावाद की ओर बदलाव का नेतृत्व किया।
  - आत्मीय सभा (वर्ष 1815) और ब्रह्म समाज (वर्ष 1828) जैसी संस्थाओं की स्थापना करके, उन्होंने स्वतंत्र विचार और समालोचनात्मक परीक्षण की नींव रखी, जिसने अंतर्धार्मिक संवाद, शैक्षिक उन्नति एवं प्रगतिशील सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया।
  - प्रिंट मीडिया, विशेष रूप से ***संवाद कौमुदी*** ने सुधार को जन जागरूकता में बदल दिया, तथा प्रारंभिक राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से एकता:** आर्य समाज ने वैदिक मूल्यों की ओर लौटने और 'भारत भारतीयों के लिये' के नारे को प्रोत्साहित किया, जिससे राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हुई।
  - स्वामी विवेकानंद की वेदांत की पुनर्व्याख्या और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं ने अध्यात्मवाद को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने में सहायता की।
- **सामाजिक सुधार के माध्यम से सशक्तीकरण:** ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह (जिसके परिणामस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 बना) व महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर तथा अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के द्वारा महिला अधिकारों का संरक्षण में अहम भूमिका निभाई।
  - ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया और दलित सशक्तीकरण के लिये लड़ाई लड़ी।
- **मुस्लिम सुधार और राजनीतिक आधुनिकता:** अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा और तर्कसंगत विचार पर बल दिया तथा राजनीतिक संयम एवं सहभागिता को बढ़ावा दिया।
  - अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी का समर्थन करते हुए, इसने सामुदायिक चेतना का भी परिचय दिया, जिसने बाद में पहचान-आधारित राजनीति को प्रभावित किया।
- **राजनीतिक भाषा का निर्माण:** स्थानीय प्रेस, पत्रिकाओं और सार्वजनिक वाद-विवादों के उदय ने राजनीतिक रूप से सक्रिय मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया। इन मंचों ने प्रारंभिक राजनीतिक विमर्श को आकार दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (वर्ष 1885) जैसी संस्थाओं का गठन हुआ।

सुधार आंदोलन की सीमाएँ:

- **अभिजात वर्ग-केंद्रित:** मुख्य रूप से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, शहरी, उच्च वर्ग के पुरुषों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जिसमें ग्रामीण या सीमांत समुदायों की भागीदारी सीमित होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **जातिगत पदानुक्रम:** आर्य समाज के शुद्धि अभियान जैसे आंदोलनों में प्राय: दलितों को शामिल नहीं किया गया; अधिकांश सुधारों का ध्यान कट्टरपंथी जाति उन्मूलन के बजाय संयम पर केंद्रित था।
- **सीमित मुस्लिम भागीदारी:** अलीगढ़ आंदोलन जैसे मुस्लिम सुधार प्रयासों में अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की तुलना में आधुनिक शिक्षा एवं अंग्रेज़ों के साथ सहयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
- **क्षेत्रीय विखंडन:** अधिकांश आंदोलनों में अखिल भारतीय अपील का अभाव था, जैसे ब्रह्मो समाज बहुत हद तक बंगाल तक ही सीमित रहा।
- **औपनिवेशिक सह-विकल्प:** कुछ सुधारकों को अंग्रेज़ों से परोक्ष (यानि मौन/अप्रत्यक्ष तौर पर) समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने 'सभ्यता मिशन' को उचित ठहराने के लिये उदारवादी सुधारों का इस्तेमाल किया, जिससे उपनिवेश-विरोधी भावना हतोत्साहित हुई।

निष्कर्ष:

हालाँकि इन आंदोलनों की क्षेत्रीय सीमाएँ और आंतरिक विरोधाभास थे, लेकिन उन्होंने निर्विवाद रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के लिये वैचारिक और भावनात्मक आधार तैयार किया। स्वदेशी पहचान को पुन: प्राप्त करके और सुधार को बढ़ावा देकर, उन्होंने विखंडित समुदायों को राजनीतिक रूप से जागरूक समाज में बदलने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया।

प्रश्न : लॉर्ड कर्ज़न की नीतियों पर चर्चा कीजिये तथा यह भी आकलन कीजिये कि उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्ज़न के कार्यकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिये तथा उसकी नीतियों पर प्रकाश डालिये।
- बंगाल विभाजन जैसी प्रमुख नीतियों, उपायों और इन नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, इस पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्ज़न (वर्ष 1899-1905) ने कई नीतियों को लागू किया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवादी हितों को सुदृढ़ करना था। हालाँकि, विरोध को दबाने के उद्देश्य से उनके कई उपायों ने अनजाने में राष्ट्रवादी भावना को तीव्र कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अधिक उग्र चरण का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्य भाग:

कर्ज़न की प्रमुख नीतियाँ और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान:

- **बंगाल विभाजन (वर्ष 1905):** कर्ज़न द्वारा बंगाल का विभाजन, जिसे एक प्रशासनिक उपाय के रूप में उचित ठहराया गया, ने बंगाल के राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने तथा हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिये रणनीतिक रूप से धार्मिक आधार पर प्रांत को विभाजित कर दिया।
  - योगदान: इसने व्यापक विरोध को जन्म दिया, विशेष रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग और लाल-बाल-पाल जैसे राजनीतिक नेताओं की ओर से।
    - इसने वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के गठन को जन्म दिया, जिसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया और अंतत: मुस्लिम लीग (वर्ष 1906) की स्थापना में योगदान दिया।
    - इस प्रतिक्रिया ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को सुदृढ़ किया तथा प्रथम प्रमुख अखिल भारतीय उपनिवेश-विरोधी आंदोलन को चिह्नित किया।
- **शैक्षिक और प्रशासनिक सुधार:** कर्ज़न के शैक्षिक सुधार (भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904) का उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कड़ा करके और उनकी संख्या कम करके राष्ट्रवादी विचारों पर अंकुश लगाना था।
  - योगदान: इसने भारतीय बौद्धिक वर्ग, विशेषकर उभरते मध्यम वर्ग को अलग-थलग कर दिया।
    - राष्ट्रीय चेतना को दबाने के प्रयास के रूप में देखे जाने वाले ये उपाय (विशेष रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में) विपरीत परिणाम देने वाले साबित हुए, जिससे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला एवं शिक्षित अभिजात वर्ग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सैन्य उपाय:** कर्ज़न की सैन्य नीतियों, जिसमें व्यय में वृद्धि और सेना का पुनर्गठन शामिल था, का उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को मज़बूत करना था, लेकिन भारतीयों द्वारा इसे अत्यधिक माना गया।
  - योगदान: इन नीतियों के कारण भारतीय अभिजात वर्ग में अलगाव की भावना और अधिक बढ़ गई तथा उपनिवेशवाद विरोधी भावना को बढ़ावा मिला।
    - भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ब्रिटिश शासन के विरोध में अधिक मुखर हो गई तथा ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो अपने दृष्टिकोण में अधिक टकरावपूर्ण थे।
- अकाल नीतियाँ और आर्थिक प्रभाव: वर्ष 1900 के बंगाल के अकाल से निपटने के लिये कर्ज़न के तरीके की व्यापक रूप से आलोचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए। अकाल के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, जिसे अपर्याप्त माना गया, ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति भारतीयों के आक्रोश को और गहरा कर दिया।
  - योगदान: कर्ज़न की नीतियों ने भारत के आर्थिक शोषण में योगदान दिया। धन की निरंतर निकासी, उच्च कर और कृषि संसाधनों के दुरुपयोग के कारण व्यापक गरीबी फैल गई।
    - अकाल और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारत के शोषण के भौतिक साक्ष्य उपलब्ध कराये।
    - इससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनमत जागृत हुआ, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी बढ़ी।

निष्कर्ष:

लॉर्ड कर्ज़न की नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करना था, जिससे अनजाने में ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। राष्ट्रवाद को दमन करने के उसके प्रयासों ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, समूहों को कट्टरपंथी बनाया और भारतीय नेताओं को एकजुट किया, जिससे अंतत: स्वतंत्रता संग्राम तीव्र हुआ तथा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भूगोल

प्रश्न : "नदी जोड़ो परियोजनाओं को जल संकट के संभावित समाधान के रूप में सराहा गया है, फिर भी इनके कार्यान्वयन से पारिस्थितिकी व्यवधान और ऐसे प्रयासों की दीर्घकालिक संवहनीयता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।" टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नदी जोड़ो परियोजना की अवधारणा और इसके उद्देश्यों का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- नदियों को जोड़ने के संभावित लाभों की व्याख्या कीजिये तथा इसके पारिस्थितिकीय सरोकारों और परियोजना की दीर्घकालिक संवहनीयता पर भी चर्चा कीजिये।
- संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए संधारणीय एवं सुनियोजित परियोजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।

परिचय:

सर आर्थर कॉटन द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रस्तावित और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (वर्ष 1980) में औपचारिक रूप से प्रस्तुत नदी जोड़ो परियोजना (ILR) का उद्देश्य नहरों और जलविद्युत स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख नदियों को जोड़कर जल की कमी को दूर करना है। हालाँकि यह जल तनाव और बाढ़ को कम कर सकता है, लेकिन इसके पारिस्थितिक प्रभाव और दीर्घकालिक संवहनीयता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

PROPOSED INTER BASIN WATER TRANSFER LINKS

PENINSULAR COMPONENT

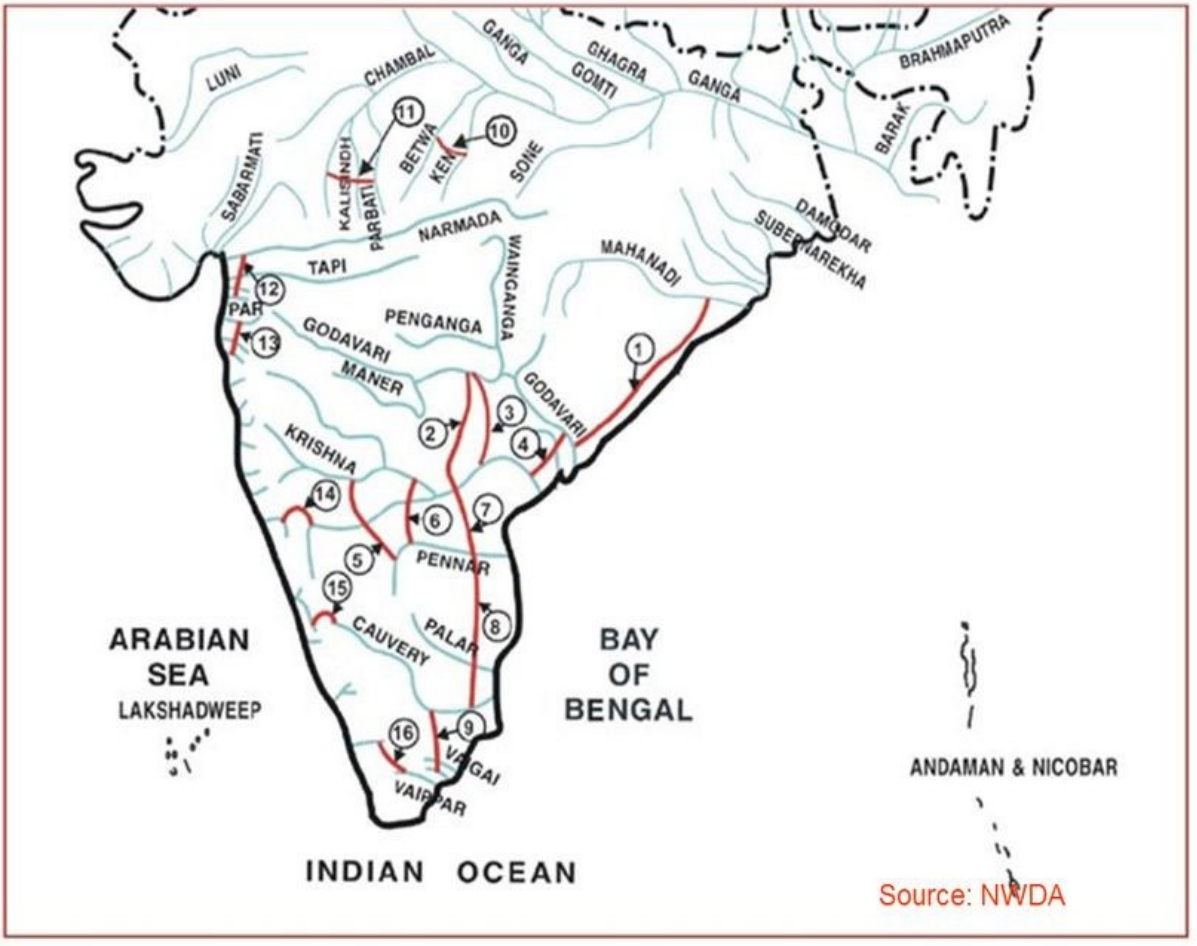

1. Mahanadi (Manibhadra) – Godavari (Dowlaiswaram) *
2. Godavari (Inchampalli) – Krishna (Nagarjunasagar) *
3. Godavari (Inchampalli) – Krishna (Pulichintala) *
4. Godavari (Polavaram) – Krishna (Vijayawada) *
5. Krishna (Almatti) – Pennar *
6. Krishna (Srisailam) – Pennar *
7. Krishna (Nagarjunasagar) – Pennar (Somasila) *
8. Pennar (Somasila)–Palar- Cauvery (Grand Anicut) *
9. Cauvery (Kattalai) – Vaigai – Gundar *
10. Ken – Betwa *
11. Parbati – Kalisindh – Chambal *
12. Par – Tapi – Narmada *
13. Damanganga – Pinjal *
14. Bedti – Varda
15. Netravati – Hemavati
16. Pamba – Achankovil – Vaippar *

* FR Completed

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

ILR परियोजना संभावित समाधान प्रस्तुत करती है:

- जल सुरक्षा: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों जैसे अधिशेष क्षेत्रों से बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल का पुनर्वितरण, राज्य-विशिष्ट जल चुनौतियों से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है।
  - केन-बेतवा परियोजना जैसी पहल स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो गंभीर सूखे व जल की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिये स्थानीय आवश्यकताओं और दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर केंद्रित है।
- बाढ़ और सूखे का शमन: यह बाढ़ और सूखे के गंभीर प्रभावों को भी कम कर सकता है, बिहार और असम जैसे क्षेत्रों में बाढ़ को रोक सकता है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में जल की कमी को दूर कर सकता है।
- कृषि को बढ़ावा: इस परियोजना से सिंचित कृषि भूमि में वृद्धि होगी, फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और अनिश्चित मानसून पर निर्भरता कम होगी। इससे लाखों किसानों को खाद्य सुरक्षा मिल सकती है।
- भूजल पर निर्भरता कम करने के लिये परियोजना की क्षमता, घटते हुए जलभृतों पर दबाव को कम कर सकती है तथा कृषि में जल के सतत् उपयोग को बढ़ावा दे सकती है।
- जलविद्युत उत्पादन: नदियों को आपस में जोड़ने से नदियों की जलविद्युत क्षमता का दोहन होगा तथा बाँधों और जलाशयों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा।
  - भारत की कुल जलविद्युत क्षमता 148,700 मेगावाट होने का अनुमान है, जिसमें नदी परियोजनाओं से महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- परिवहन लाभ: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 14-18% (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) अनुमानित है, जो वैश्विक औसत 6-8% से बहुत अधिक है।
  - अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, जो सड़क और रेल परिवहन की तुलना में अधिक लागत प्रभावी हैं, परिवहन लागत को कम कर सकता है तथा अंततः उत्पादन लागत में भी कमी ला सकता है।

ILR परियोजना से संबंधित पारिस्थितिकी और संवहनीयता संबंधी मुद्दे:

- पारिस्थितिकी तंत्र में लिये, केन-बेतवा परियोजना पन्ना टाइगर रिज़र्व के लिये खतरा बन गई है, जिससे वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को नुकसान पहुँचने की संभावना है।
  - जलीय प्रजातियाँ, विशेष रूप से मछलियाँ, प्रजनन और जीवित रहने के लिये नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर करती हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन से इन पारिस्थितिकी तंत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- मृदा लवणता और अपरदन: जल का प्रवाह उन क्षेत्रों में मृदा की संरचना को बदल सकता है जो मूल रूप से अतिरिक्त जल ग्रहण के लिये उपयुक्त नहीं हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप मृदा अपरदन या लवणता में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में।
- दीर्घकालिक संवहनीयता: नदी जोड़ो परियोजनाएँ निरंतर वर्षा पैटर्न पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
  - बदलती जलवायु परिस्थितियों और अप्रत्याशित मानसून के कारण, इस तरह की बड़े पैमाने की परियोजनाएँ दीर्घकालिक समाधान प्रदान नहीं कर पाएंगी।
  - नदी के जल की दिशा बदलने पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप जल स्रोत समाप्त हो सकते हैं, अधिशेष क्षेत्रों में जल की कमी बढ़ सकती है, तथा परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता को नुकसान पहुँच सकता है।
- सामाजिक और आर्थिक विस्थापन: जलाशयों और नहरों के निर्माण से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे आजीविका बाधित होगी और सामाजिक अशांति उत्पन्न होगी।
  - इस परियोजना से जल विभाजन को लेकर राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच कावेरी विवाद जैसे विवाद और भी व्यापक हो सकते हैं।
- उच्च वित्तीय और परिचालन लागत: इस परियोजना के लिये बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश की आवश्यकता है, जिसकी अनुमानित लागत 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें बांधों, नहरों और संबंधित बुनियादी अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दीर्घकालिक प्रबंधन और पुनर्वास लागत भी बहुत बड़े वित्तीय बोझ प्रस्तुत करती है।

ILR परियोजना की संवहनीयता सुनिश्चित करने के उपाय:

- समग्र मूल्यांकन: दीर्घकालिक परिणामों का पूर्वानुमान करने और जोखिमों को कम करने के लिये गहन पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन के लिये उन्नत उपकरणों (GIS, AI) का उपयोग किया जाना चाहिये।
- समावेशी भागीदारी: राज्यों, स्थानीय समुदायों और जल विशेषज्ञों को सक्रिय रूप से शामिल करके भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाधान न्यायसंगत, क्षेत्र-संवेदनशील एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य हों।
- स्मार्ट जल प्रबंधन: IoT-आधारित निगरानी, सेंसर-चालित सिंचाई और वास्तविक काल बाढ़ पूर्वानुमान उपकरण अपनाए जाने चाहिये।
  - बड़े पैमाने पर जल परिवर्तन पर निर्भरता कम करने के लिये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सूक्ष्म जलग्रहण प्रबंधन, जलभृत पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन जैसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - तेलंगाना के मिशन काकतीय और महाराष्ट्र के जलयुक्त शिवार जैसे सफलता मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है।
- जलवायु अनुकूलन: सूखा सहिष्णु फसलों और मौसमी जल बजट जैसी अनुकूली रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

इस परियोजना को व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे भारत की नदियों, पारिस्थितिकी तंत्र एवं समुदायों को अपरिवर्तनीय क्षति न पहुँचे। भारत की जल समस्याओं के लिये ILR को वास्तव में व्यवहार्य समाधान बनाने के लिये अधिक संधारणीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण आवश्यक है।

प्रश्न : खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, भारत के कई क्षेत्र अभी भी अविकसित हैं। भारत में खनिज संपदा और क्षेत्रीय विकास के बीच विरोधाभास पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- खनिज संसाधनों की संपन्नता के विरोधाभास की परिभाषा और भारत के खनिज समृद्ध राज्यों के लिये इसकी प्रासंगिकता का परिचय दीजिये।
- संसाधन संपन्नता के बावजूद अविकसितता में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए विरोधाभास का विश्लेषण कीजिये।
- अंतर को समाप्त करने के सुझावों के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खनिज संसाधनों की संपन्नता का विरोधाभास बताता है कि किस प्रकार संसाधन संपन्न क्षेत्र प्राय: न्यून आर्थिक विकास और कम मानव विकास का सामना करते हैं। भारत का खनिज क्षेत्र मध्य और पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है, जो कोयला और लौह अयस्क उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देता है। कोयला और लौह अयस्क जैसे प्रचुर खनिज होने के बावजूद, वे गरीबी और अकुशल सार्वजनिक सेवाओं से जूझते रहते हैं। संसाधन संपदा और विकास के बीच यह अंतर प्रणालीगत शासन एवं संरचनात्मक मुद्दों को उजागर करता है।

मुख्य भाग:

विरोधाभास: अविकसितता के कारण:

- पर्यावरण और आजीविका व्यवधान: बड़े पैमाने पर खनन से निर्वनीकरण, जल प्रदूषण और भूमि क्षरण होता है।
  - ओडिशा के क्योंझर में लौह अयस्क खनन के कारण वर्ष 2000 से हजारों आदिवासी विस्थापित हो गए हैं, जिससे वन आधारित आजीविका बाधित हुई है।
  - मेघालय के जयंतिया हिल्स में कोयला खदानों से निकलने वाले अम्लीय जल ने कोपिली जैसी नदियों को उपयोग हेतु अयोग्य बना दिया है, जिससे कृषि और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
- **कमज़ोर शासन:** पिछले दशक (वर्ष 2015-2025 के दौरान) में खनन पट्टाधारकों से ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत ₹1 लाख करोड़ से अधिक की राशि एकत्र की गई। हालाँकि, 50% से अधिक धनराशि खर्च नहीं की गई, जो प्रशासनिक बाधाओं एवं कमज़ोर योजना का संकेत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- झारखंड में 1,164 स्वीकृत परियोजनाओं में से कौशल विकास और आजीविका सृजन के लिये केवल ₹1.86 करोड़ आवंटित किये गए।

- **संघर्ष और उग्रवाद:** भूमि अंतरण और असमान विकास के कारण खनिज क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (LWE) पनपता है।
  - छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वर्ष 2010 से अब तक खनन के लिये अधिग्रहित की गई 50% से अधिक भूमि के कारण जनजातीय लोग बिना पर्याप्त मुआवज़ा के विस्थापित होना पड़ा है, जिससे अशांति बढ़ रही है और इस तरह के संघर्षों से निवेश और बुनियादी अवसंरचना के विकास में बाधा आ रही है।
- **अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना:** खनिज समृद्ध ज़िलों में सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं का अभाव है। उच्च खनिज निर्यात के बावजूद, SDG इंडिया इंडेक्स (वर्ष 2023) में झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है।
  - छत्तीसगढ़ के 20% से भी कम ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें हैं, जिससे बुनियादी अवसंरचना की कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है।
  - खनन पर अत्यधिक निर्भरता औद्योगिक विविधीकरण में बाधा डालती है। लौह अयस्क से समृद्ध ओडिशा के क्योंझर ज़िला की अर्थव्यवस्था मज़बूत विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों की कमी के कारण संसाधन-निर्भर है।

खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकास अंतराल को समाप्त करने के प्रयास और उनकी सीमाएँ:

पहल	उद्देश्य एवं सीमाएँ
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)	इसका उद्देश्य प्रभावित ज़िलों में स्थानीय विकास के लिये खनन रॉयल्टी का उपयोग करना है; हालाँकि, योजना के अकुशल कार्यान्वयन कारण 50% से अधिक धनराशि खर्च नहीं हो पाती या गलत तरीके से आवंटित हो जाती है।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)	DMF फंड को स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसी कल्याणकारी योजनाओं में लगाने का प्रयास किया जा रहा है; लेकिन इसकी निगरानी कमज़ोर है।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (PESA) अधिनियम, 1996	जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है; फिर भी राज्यों द्वारा इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया गया है।
वन अधिकार अधिनियम, (FRA) 2006	वन-भूमि और संसाधनों पर जनजातीय अधिकारों को मान्यता दी गई है; लेकिन जागरूकता की कमी, दावों की उच्च अस्वीकृति दर और सहमति प्रक्रियाओं की अनदेखी इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है।
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)	तेज़ी से विकास के लिये पिछड़े, प्रायः खनन प्रभावित ज़िलों को लक्ष्य बनाया गया है; फिर भी मानव विकास की तुलना में बुनियादी अवसंरचना पर अधिक ध्यान दिया गया है।

निष्कर्ष

संसाधन-समृद्ध अविकसितता के विरोधाभास को तोड़ने के लिये, एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सक्रिय जनजातीय समुदाय भागीदारी के साथ DMF फंड की विकेंद्रीकृत योजना यह सुनिश्चित कर सकती है कि संसाधन स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करें। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन को सुदृढ़ करने से अधिक संधारणीय और जवाबदेह खनन प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उद्योग की मांगों के साथ संरेखित लक्षित कौशल कार्यक्रम रोज़गार अंतराल की पूर्ति कर सकते हैं, यद्यपि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और मोबाइल स्वास्थ्य एवं शिक्षा इकाइयों में निवेश दूरदराज़ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार कर सकता है। साथ में, ये उपाय विरोधाभासी खनिज संपदा को समावेशी और संधारणीय विकास में बदल सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : भारतीय मंदिर स्थापत्यकला किस प्रकार क्षेत्रीय विविधता और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों को प्रतिबिंबित करती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समालोचनात्मक विश्लेषण टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय मंदिर स्थापत्यकला की विविधता का परिचय दीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि क्षेत्रीय शैलियाँ और सामाजिक-राजनीतिक कारक इसे किस प्रकार आकार देते हैं।
- इसके सांस्कृतिक महत्त्व के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय मंदिर स्थापत्यकला क्षेत्रीय विविधता और आध्यात्मिकता, सौंदर्यशास्त्र एवं सामाजिक-राजनीतिक लोकाचार के विशिष्ट मिश्रण का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हो रहा है। उत्तर भारत की नागर शैली से लेकर दक्षिण के द्रविड़ मंदिरों व दक्कन के वेसर मंदिरों तक, स्थापत्यकला के रूपों को न केवल धार्मिक सिद्धांतों द्वारा बल्कि राजवंशीय संरक्षण और सामाजिक संरचना द्वारा भी आकार दिया गया था।

मुख्य भाग:

मंदिर शैलियों में क्षेत्रीय विविधता:

- तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर (11वीं शताब्दी) में देखी जाने वाली द्रविड़ शैली में विशाल गोपुरम और जीवंत मूर्तियाँ हैं, जो चोल वंश की समृद्धि एवं कलात्मक संरक्षण को दर्शाती हैं।
  - इसके विपरीत कलिंग शैली, जो ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में स्पष्ट दिखाई देती है, स्थानीय बलुआ पत्थर व समुद्री संस्कृति के अनुकूल वक्ररेखीय शिखरों की विशिष्टता है।
  - नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्यकला के तत्त्वों का सम्मिश्रण वेसर शैली कर्नाटक के होयसल मंदिरों जैसे चेन्नाकेशव में दिखाई देती है, जो संकर प्रभावों को प्रदर्शित करती है।

क्षेत्र	स्थापत्य शैली	उदाहरण
उत्तर भारत	नागर शैली	कंदरिया महादेवा, खजुराहो
दक्षिण भारत	द्रविड़ शैली	बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर
दक्कन	वेसर शैली	होयसलेश्वर, हलेबिदु
ओडिशा	कलिंग शैली	सूर्य मंदिर, कोणार्क
उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ियाँ	स्थानीय शैलियाँ	हिडिंबा देवी मंदिर

भारतीय मंदिर स्थापत्यकला पर सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव

- राजवंशीय संरक्षण और राजनीतिक वैधता: मध्यकालीन भारत में चोल, होयसल या गुप्त शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिससे न सिर्फ धार्मिक महत्ता बढ़ी बल्कि यह भी दर्शाया गया कि शासक ईश्वर के प्रिय हैं और उनके अधीन विशाल, संगठित साम्राज्य है।
  - मंदिरों में प्राय: राजा की उपलब्धियों, वंश और धर्मपरायणता का महिमामंडन करने वाले शिलालेख होते थे। उदाहरण के लिये: चोल राजवंश, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर (यूनेस्को स्थल) का निर्माण राजराजा चोल प्रथम (11वीं शताब्दी) द्वारा न केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में बल्कि शाही शक्ति के प्रतीक के रूप में भी किया गया था।
  - विजयनगर साम्राज्य के हम्पी मंदिरों में पत्थरों पर सैन्य, व्यापार और शाही आख्यान उकेरे गए हैं।
  - मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और धार्मिक संरक्षण के स्थायी प्रतीक भी स्थापित करते थे।
- आर्थिक संस्थान: मंदिर आर्थिक केंद्र हुआ करते थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में विशाल भूमि होती थी, वे कर एकत्र करते थे और उस धन का पुनर्वितरण करते थे।
- दक्षिण भारत के मंदिरों, जैसे कि मदुरै का मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर, के पास बहुत विस्तृत आय-व्यय (राजस्व) के रिकॉर्ड होते थे, जिनका विवरण ताम्रपत्र शिलालेखों में मिलता है।
- पुरी का जगन्नाथ मंदिर अभी भी मंदिर के रसोईघर पर आधारित एक विशाल खाद्य अर्थव्यवस्था संचालित करता है।
- सांस्कृतिक बहुलवाद और स्थानीय पहचान: मंदिरों की स्थापत्यकला में स्थानीय रीति-रिवाज़, समाजिक जीवन, भाषाएँ और प्राकृतिक तत्त्व प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह मंदिर स्थापत्यकला ने स्थानीय संस्कृतियों को पूरे भारत की व्यापक कला-परंपरा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
- मंदिरों की दीवारों, मूर्तियों और चित्रों में स्थानीय परंपराएँ, जैसे: पोशाक, त्योहार, नृत्य, विवाह या युद्ध आदि के दृश्य उत्कीर्णित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

किये जाते थे। मंदिरों में संस्कृत के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओड़िया जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेख मिलते हैं।

- होयसलेश्वर मंदिर (हलेबिदु) में रामायण, महाभारत और स्थानीय किंवदंतियों के दृश्यों को समान महत्त्व के साथ दर्शाया गया है।

निष्कर्ष

भारतीय मंदिर स्थापत्यकला देश की सभ्यतागत विविधता और एकीकृत भावना का जीवंत प्रमाण है। प्रत्येक मंदिर राजनीतिक संरक्षण, कलात्मक नवाचार और स्थानीय संस्कृति द्वारा आकार दी गई एक क्षेत्रीय वृत्तांत का उल्लेख करता है। स्थायी प्रथाओं के माध्यम से इस विरासत को संरक्षित करना और इसे बढ़ावा देना भविष्य की पीढ़ियों को एकजुट एवं प्रेरित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

प्रश्न : भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप केवल कलात्मक अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिकता का मिश्रण हैं। उदाहरणों के साथ समझाइये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्राचीन ग्रंथों में निहित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के रूप में शास्त्रीय नृत्य को परिभाषित कीजिये।
- परंपरा, दर्शन और सौंदर्यशास्त्र के मिश्रण को अपने उत्तर के माध्यम से दर्शाइये। अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व का उल्लेख करने के लिये विविध उदाहरणों का प्रयोग कीजिये।
- सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिये।

परिचय:

भरतमुनि के नाट्य शास्त्र (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) में वर्णित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप प्रदर्शन कला से कहीं अधिक हैं; ये अभिव्यक्तियाँ हैं जहाँ परंपरा का तत्त्व-मीमांसा से और सौंदर्यशास्त्र का भक्ति से मिश्रण होता है। प्रत्येक रूप भक्ति, धर्म और ब्रह्मांडीय लय का प्रतीक है, जो नृत्य को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सातत्य बनाता है।

मुख्य भाग:

- कलात्मकता से परे शास्त्रीय नृत्य
  - दार्शनिक प्रतीकवाद: भरतनाट्यम, शैव और वैष्णव परंपराओं में निहित है, यह ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को दर्शाता है, अलारिप्पु से तिल्लाना तक इसका अनुक्रम पाँच तत्त्वों (पंचभूत) का प्रतीक है।
  - जगन्नाथ पंथ से जुड़ी ओडिसी नृत्य कला में त्रिभंगी मुद्रा शामिल है, जो काया, मन और आत्मा के मिलन का प्रतिनिधित्व करती है।
  - कथकली में शैलीगत मुद्राओं और भक्ति संगीत का प्रयोग करके महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का वर्णन किया जाता है, जो गहरी भक्ति परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है।
- परंपरा और अनुष्ठान अभ्यास का सम्मिश्रण: कथक, उत्तर भारत की कथा-वाचक परंपरा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें हिंदू और सूफी भक्ति विषयों का सम्मिश्रण है, विशेष रूप से कृष्ण-राधा से जुड़ी कथाओं में।
  - कुचिपुड़ी नृत्य कला का विकास आंध्र प्रदेश में, भागवतमेला परंपरा से हुआ; भामा कलापम जैसे प्रदर्शन कथा-वाचन और धार्मिक अभिव्यक्ति दोनों के रूप में काम करते हैं।
  - श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित सत्रिया, आध्यात्मिक अभ्यास के एक अभिन्न अंग के रूप में असम के वैष्णव मठों में किया जाता है।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत निरंतरता: ये नृत्य क्षेत्रीय भाषाओं, पौराणिक कथाओं, वेशभूषा और संगीत परंपराओं को संरक्षित करते हैं, जबकि विविधता में अखिल भारतीय एकता को दर्शाते हैं।
- कूडियाट्टम, ओडिसी, कथक और अन्य शैलियों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के भाग के रूप में मान्यता दी गई है।

निष्कर्ष:

भारतीय शास्त्रीय नृत्य जीवंत दर्शन हैं, जो क्षेत्रीय रीति-रिवाजों, धार्मिक आख्यानों और आध्यात्मिक विचारों का सामंजस्य स्थापित करते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में, उनका संरक्षण भारत की सॉफ्ट पावर और सभ्यतागत गहनता को सुदृढ़ करता है। इन कला रूपों को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है।

भारतीय समाज

प्रश्न : शहरीकरण केवल जनांकिक बदलाव नहीं है, बल्कि भारत में सामाजिक संरचनाओं और रिश्तों को नया आयाम देने वाली एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में शहरीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा इसकी भूमिका को केवल जनसांख्यिकीय बदलाव से परे के रूप में संदर्भित कीजिये।
- आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन एवं बेहतर बुनियादी ढाँचे जैसे इसके योगदानों पर चर्चा करते हुए होने वाले सामाजिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालिये एवं संबंधित सीमाओं का समाधान बताइये।
- शहरीकरण के लाभों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में शहरीकरण केवल ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोगों के भौतिक प्रवास से कहीं अधिक है, यह बुनियादी जनसांख्यिकीय बदलाव का परिचायक है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत की शहरी आबादी 40% तक पहुँचने की उम्मीद है। इस बदलाव से जनसंख्या संरचना, जीवनशैली पैटर्न एवं सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को नया आकार मिल रहा है।

मुख्य भाग:

शहरीकरण के परिवर्तनकारी पहलू:

- **आर्थिक गतिशीलता:** शहरों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि जारी है, जैसा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 में दर्शाया गया है, जो शहरी बेरोज़गारी में 5.1% की गिरावट का परिचायक है जबकि ग्रामीण बेरोज़गारी में 2.5% की मामूली वृद्धि देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये, बेंगलुरु के आईटी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर प्रवास संभव हुआ है और एक तकनीक-प्रेमी मध्यम वर्ग का विकास हुआ है।
- **परिवार एवं संबंध:** पारंपरिक संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है।
  - NFHS-5 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में एकल परिवारों की हिस्सेदारी वर्ष 2016 के 56% से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 58.2% हो गई।
- **जाति एवं सामुदायिक संरचनाएँ:** शहरी जीवन से कठोर जातिगत सीमाओं में कमी आती है हालाँकि आवास और रोज़गार तक पहुँच में यह सूक्ष्म रूप से दिखाई देती हैं।
  - उदाहरणार्थ, शहरी IT केंद्रों और सेवा उद्योगों में विविध कार्य वातावरण से अक्सर जाति-आधारित संबद्धता की तुलना में योग्यता-आधारित सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।
- **लैंगिक भूमिकाएँ:** शहरी महिला साक्षरता 82.7% है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के 65% से अधिक है तथा स्वास्थ्य सेवा और IT जैसे क्षेत्रों में इसकी भागीदारी बढ़ रही है।
  - सामाजिक रूप से शहरी महिलाएँ कॅरियर, विवाह एवं प्रजनन संबंधी विकल्पों में स्वायत्तता का अनुभव कर पाती हैं, जिसका उदाहरण कामकाजी माताएँ और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं।

शहरीकरण से संबंधित चुनौतियाँ:

- **मलिन बस्तियों में वृद्धि :** भारत में 65 मिलियन से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं (जनगणना 2011)। इससे निम्न स्वच्छता और अपर्याप्त आवास जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।
  - PMAY (शहरी) जैसी योजनाओं के बावजूद, भूमि अधिग्रहण में देरी और सीमित लाभार्थी पहचान जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। G20 के दौरान दिल्ली की झुग्गियों को ध्वस्त करना, शहरी गरीबों के अधिकारों की भेद्यता को रेखांकित करता है।
- **अनौपचारिक रोज़गार:** लगभग 85% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक का योगदान है तथा निर्माण, घरेलू कार्य एवं सड़क विक्रय जैसे क्षेत्र अनियमित बने हुए हैं जिसके कारण नौकरी असुरक्षित होने के साथ औपचारिक लाभों तक पहुँच सीमित है।
- **प्रवासियों का हाशिये पर होना:** आंतरिक प्रवासियों (विशेष रूप से मौसमी प्रवासियों) को शहरी नियोजन से बाहर रखा जाता है। वर्ष 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन से कल्याणकारी प्रणालियों में उनकी सीमित भागीदारी पर प्रकाश पड़ा है।
- सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य: शहर की गुमनामी और प्रतिस्पर्द्धी जीवनशैली से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। WHO के अनुसार, भारत में लगभग 60 से 70 मिलियन लोग सामान्य एवं गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं।

निष्कर्ष

भारत के शहरीकरण में अपार परिवर्तनकारी क्षमता है। स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देश नागरिक-केंद्रित विकास, एकीकृत सेवाओं और स्थिरता पर केंद्रित हैं जो SDG 11 से संबंधित हैं जिसका उद्देश्य शहरों को समावेशी, सुरक्षित, अनुकूल और धारणीय बनाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : 'प्रमुख क्षेत्राधिकार' का सिद्धांत राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को किस प्रकार उचित ठहराता है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में भारतीय संवैधानिक कानून के तहत इसके दायरे का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'प्रमुख क्षेत्राधिकार के सिद्धांत' की संक्षिप्त परिभाषा के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि यह राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को किस प्रकार उचित ठहराता है।
- भारतीय कानून के अंतर्गत इसके संवैधानिक दायरे का परीक्षण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'प्रमुख क्षेत्राधिकार' का सिद्धांत राज्य को उचित मुआवज़े के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिये निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। ***प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने इस शक्ति के दायरे को पुन: परिभाषित किया, जिसमें संवैधानिक सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों और लोक कल्याण के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन पर ज़ोर दिया गया।

मुख्य भाग:

प्रमुख क्षेत्राधिकार और संवैधानिक नींव का औचित्य

- प्रमुख क्षेत्राधिकार संप्रभु शक्ति में निहित है, जो राज्य को वैध सार्वजनिक उद्देश्य के लिये निजी संपत्ति को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने की अनुमति देता है।
  - यह बुनियादी अवसंरचना, कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक विकास के लिये भूमि अधिग्रहण को बढ़ावा देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति को संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित करता है, तथा केवल कानूनी प्राधिकार के माध्यम से ही इससे वंचित किया जा सकता है।
  - यद्यपि यह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, फिर भी व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है।
- इस सिद्धांत के लिये तीन मुख्य शर्तें आवश्यक हैं: वैध सार्वजनिक उद्देश्य, कानूनी प्राधिकार और उचित मुआवज़ा।
  - ये सुनिश्चित करते हैं कि अधिग्रहण न्यायोचित है और व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करता है।
- ***सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु*** (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित में भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा, बशर्ते कि उचित मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाए।
  - इस निर्णय ने जिम्मेदारी से प्रयोग किये जाने पर प्रमुख क्षेत्राधिकार की वैधता को सुदृढ़ किया।

भारतीय कानून के तहत न्यायिक व्याख्या और दायरा

- *प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य* (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39(b) संपत्ति अधिग्रहण को अधिकृत नहीं करता है।
  - इसके बजाय प्राधिकार सूची III की प्रविष्टि 42 और प्रमुख क्षेत्राधिकार के सिद्धांत से प्राप्त होता है।
- निर्णय में कहा गया कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के 'भौतिक संसाधन' के रूप में योग्य नहीं है तथा इससे पहले *रंगनाथ रेड्डी और संजीव कोक मामले* में दिये गए निर्णयों को खारिज कर दिया।
  - इसमें प्रकृति, अभाव और सामाजिक आवश्यकता के आधार पर मामला-दर-मामला परीक्षण का आह्वान किया गया।
- न्यायालय ने पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत को लागू किया, जिसके तहत राज्य को सार्वजनिक लाभ के लिये आवश्यक संसाधनों का ट्रस्टी बनाया गया।
  - इससे अनियंत्रित अधिग्रहण सीमित होता है और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता की पुन: पुष्टि की, लेकिन अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकारों को मनमाने ढंग से दरकिनार न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिये इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया।
  - इससे संवैधानिक संतुलन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
- फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि न्यायोचित मुआवज़े पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिससे कानूनी अनुपालन के साथ-साथ आर्थिक निष्पक्षता भी दृढ़ होगी।
  - यह निर्णय अंबेडकर के आर्थिक लोकतंत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा इसमें कठोर विचारधारा थोपने से परहेज़ किया गया है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मुआवज़े पर बल देकर प्रमुख क्षेत्राधिकार के दायरे को पुन: परिभाषित किया है। राज्य की शक्ति और संपत्ति के अधिकारों के बीच यह संतुलन न्याय एवं व्यक्तिगत गरिमा के लिये प्रतिबद्ध संवैधानिक लोकतंत्र की भावना को बनाए रखता है।

प्रश्न : भारत में सहकारी संघवाद पर एक साथ चुनावों के प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक साथ चुनाव की संक्षिप्त परिभाषा के साथ अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में सहकारी संघवाद पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' या समानांतर चुनाव (एक साथ चुनाव) की अवधारणा यह प्रस्ताव करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों को संरेखित कर दिया जाए, जिससे मतदाता एक ही दिन दोनों के लिये मतदान कर सकें। इस सुधार का उद्देश्य लागत कम करना और शासन को सुव्यवस्थित करना है। हालाँकि, यह भारत में सहकारी संघवाद पर इसके प्रभाव के संदर्भ में चिंताएँ उत्पन्न करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी सम्मान एवं स्वायत्तता पर निर्भर करता है। समानांतर चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने पहले चरण के रूप में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिये एक साथ चुनाव कराने तथा अगले चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका एवं पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था।

मुख्य भाग:

सहकारी संघवाद पर सकारात्मक प्रभाव:

- **संसाधन अनुकूलन:** समानांतर चुनाव कराने से केंद्र और राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ कम होगा, क्योंकि वे चुनाव प्रबंधन के लिये संसाधनों को एकत्रित कर सकेंगे।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में अकेले लोकसभा चुनाव कराने की लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए आँकी गई थी, जिसमें राज्य चुनावों के लिये अतिरिक्त लागत शामिल थी। समानांतर चुनाव कराने से प्रशासनिक संसाधनों, बुनियादी अवसंरचना (जैसे: EVM) और कानून प्रवर्तन को मिलाकर इन लागतों में कटौती होगी।
- **राजनीतिक स्थिरता:** एकीकृत चुनावी चक्र से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये समकालिक जनादेश प्राप्त हो सकता है, जिससे राजनीतिक विखंडन में कमी आ सकती है।
- इस समन्वय से अधिक सहयोगात्मक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जो राज्य-विशिष्ट नीति लक्ष्यों सहित दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों पर केंद्रित होगा।
- **चुनावी व्यवधानों में कमी:** एक साथ चुनाव कराने से आदर्श आचार संहिता (MCC) के कारण होने वाले व्यवधानों, जिसके कारण प्राय: राज्य स्तर पर महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयों और विकास परियोजनाओं में विलंब होता है, में कमी आएगी।
- **उदाहरण:** वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को MCC प्रतिबंधों के कारण PM-किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी नई योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब का सामना करना पड़ा। ये विलंब सेवाओं और जन कल्याण योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सहकारी संघवाद के लिये चुनौतियाँ:

- **सत्ता का केंद्रीकरण:** एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय राजनीतिक आख्यान क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय दल चुनावी चर्चा पर अधिक नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे स्थानीय चिंताओं को दूर करने में राज्य सरकारों की स्वायत्तता कमज़ोर हो सकती है।
- एक साथ चुनाव कराने से राज्य स्तर पर राजनीतिक आवाज़ों की विविधता में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रीय दलों वाले राज्यों को अपने गंभीर मुद्दों पर बल देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर चुनावी चर्चा में केंद्र सरकार का एजेंडा हावी हो जाता है।
- **राज्य की स्वायत्तता के लिये चिंताएँ:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक समान करने के लिये संवैधानिक संशोधन राज्य की स्वीकृति के बिना किये जा सकते हैं। हालाँकि, नगरपालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय शासन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के लिये राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है।
- **उदाहरण:** एक केंद्रीकृत चुनाव चक्र स्थानीय शासन में राज्य के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है, संविधान द्वारा दी गई स्वायत्तता को कम कर सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान वाले राज्यों के लिये।
- **संवैधानिक और तार्किक चुनौतियाँ:** एक साथ चुनाव कराने के लिये महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।
- अनुच्छेद 83(2) और 172, जो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को रेखांकित करते हैं, पर पुन: विचार करने की आवश्यकता होगी। कार्यकाल के बीच में ही विधानसभाओं का विघटन हो जाने, समय से पहले भंग होने या विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दिये जाने से निपटने में कई तरह की चुनौतियाँ आएंगी।

निष्कर्ष:

यद्यपि एक साथ चुनाव कराने से लागत में कमी एवं शासन दक्षता जैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन सहकारी संघवाद के लिये चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों को दरकिनार करना शामिल है। उच्च स्तरीय समिति, विधि आयोग और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों में चरणबद्ध दृष्टिकोण एवं संवैधानिक संशोधनों की मांग की गई है। हालाँकि इसके फायदे हैं, लेकिन भारत के संघीय संरचना पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है।

प्रश्न : नागरिक-अधिकारों को बनाए रखने के लिये न्यायिक सक्रियता की प्राय: प्रशंसा की जाती रही है। राज्य के अंगों के बीच शक्ति संतुलन पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक सक्रियता एवं नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में इसकी भूमिका को परिभाषित कीजिये।
- नागरिक अधिकारों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को बताते हुए शक्ति संतुलन में इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये।
- संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के क्रम में विधियों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका (यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ परंपरागत रूप से विधायिका या कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार होता है) से है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में करने में इसकी भूमिका के लिये इसकी प्रशंसा की जाती है, वहीं इससे राज्य के अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच शक्ति संतुलन से संबंधित इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

मुख्य भाग:

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक सक्रियता:

- मूल अधिकारों का संरक्षण: न्यायिक सक्रियता मूल अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में सहायक (विशेष रूप से सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में) रही है।
  - उदाहरण के लिये, ***मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)*** मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए इसमें सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी शामिल किया।
  - इसी प्रकार, ***केशवानंद भारती मामले (1973) में*** मूल ढाँचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रगतिशील न्यायशास्त्र:** न्यायपालिका ने प्रगतिशील निर्णय देने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है जैसा कि ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ*** (2018) में देखा गया, जिसमें धारा 377 को खत्म करके सहमति वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध मुक्त कर दिया गया।
  - सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायिक हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण रहा है। ***विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) मामले*** में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का समाधान करने के लिये दिशा-निर्देश स्थापित किये गए।
- **पर्यावरण संरक्षण:** न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण के मामले में (विशेष रूप से ***टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले (1996)*** में) सक्रिय रही है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में वनों की सुरक्षा के लिये व्यापक निर्देश जारी किये थे।
  - इस न्यायिक हस्तक्षेप से अक्सर पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में अपर्याप्त विधायी कार्रवाई के अंतराल को पूरा करने में मदद मिली।

शक्ति संतुलन में चुनौती के रूप में न्यायिक सक्रियता:

- विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण: ***श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ (2016)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सिनेमा हॉलों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है।
  - आलोचकों का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 से परे विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप है।
  - न्यायालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की कुछ धाराओं को खारिज कर दिया और मार्च, 2020 के बाद BS-IV वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी।
    - इस निर्णय की आलोचना यह कहकर की गई कि यह आमतौर पर कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णयों पर अतिक्रमण है।
- **शक्तियों के पृथक्करण में व्यवधान:** अत्यधिक न्यायिक सक्रियता से नीति-निर्माण की ज़िम्मेदारियाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों से न्यायपालिका पर स्थानांतरित होने से निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की भूमिका कमज़ोर हो सकती है।
  - ***जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन*** जैसे मामलों में देखा गया, जहाँ न्यायालय के हस्तक्षेप से कार्यकारी निर्णयों में अतिक्रमण हुआ।
- **लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव:** न्यायपालिका में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव बना हुआ है और जब इसके द्वारा जनहित याचिकाओं के माध्यम से दिशा-निर्देश तैयार करने जैसे नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं तो इससे विधायिका को दरकिनार करने और ऐसे उपाय लागू करने का जोखिम बना रहता है जो लोगों के हितों के विपरीत हो सकते हैं।

आगे की राह:

- **न्यायिक भूमिका को स्पष्ट करना:** न्यायिक सक्रियता की भूमिका में संतुलन रहना चाहिये और इसको तभी हस्तक्षेप करना चाहिये जब मूल अधिकारों का हनन होने के साथ विधायी निष्क्रियता की स्थिति हो। उदाहरण के लिये, वर्ष 2017 का निजता के अधिकार से संबंधित निर्णय, जिसमें न्यायपालिका ने विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किये बिना नागरिकों के अधिकारों का विस्तार किया।
- **विधायिका की जवाबदेहिता को मज़बूत करना:** जब विधायिका सामाजिक मुद्दों को सुलझाने के लिये सक्रिय दृष्टिकोण अपनाती है तो इससे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे संस्थागत सद्भाव बने रहने के साथ शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान होता है।
- **न्यायिक-कार्यकारी सहयोग:** न्यायालयों को नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिये कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। उदाहरण के लिये, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986), जो कि न्यायिक सक्रियता द्वारा निर्देशित है, दर्शाता है कि सहयोग से किस प्रकार प्रभावी शासन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

न्यायिक सक्रियता ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, न्याय सुनिश्चित करने और विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा निर्मित अंतराल को भरने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालाँकि, इसमें शक्तियों के संतुलन को बाधित करने की संभावना रहती है जिससे न्यायिक अतिक्रमण होने के साथ लोकतांत्रिक जवाबदेहिता में कमी आती है। इसलिये मूल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

अधिकारों की रक्षा के क्रम में न्यायिक सक्रियता के तहत शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि न्यायपालिका के कार्यों से राज्य के अन्य अंगों के कार्यों का अतिक्रमण न हो।

प्रश्न : परीक्षण कीजिये कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भाषाई एवं क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में किस प्रकार योगदान किया, साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता पर इसके प्रभाव की भी चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप भाषाई और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के ऐतिहासिक संदर्भ का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि अधिनियम ने भाषाई मांगों, इसके प्रशासनिक प्रभाव और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में किस प्रकार भूमिका निभाई।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

फज़ल अली आयोग की सिफारिशों पर अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये मुख्य रूप से भाषाई आधार पर राज्य की सीमाओं को पुनर्गठित किया।

मुख्य भाग:

भाषाई और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सुनिश्चित करना:

- **भाषाई राज्यों का निर्माण:** यह अधिनियम एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ एक समान भाषा साझा करने वाले लोग सामूहिक रूप से स्वयं पर शासन कर सकते हैं, जिससे एकता, पहचान और अपनेपन की भावना बढ़ेगी।
  - वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के रूप में गठित करके एक मिसाल कायम की गई तथा इसी अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों का गठन किया गया।
- **आत्मनिर्णय और प्रतिनिधित्व:** इस अधिनियम ने भाषाई समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान कीं।
  - उदाहरण के लिये, केरल के निर्माण से त्रावणकोर-कोचीन के मलयालम भाषी क्षेत्र और मद्रास के कुछ हिस्से एकीकृत हो गए, जिससे मलयाली समुदाय को एक ही प्रशासनिक इकाई मिल गई।
- **सांस्कृतिक और भाषाई सद्भाव:** इस अधिनियम ने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करके सांस्कृतिक और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा दिया (जैसे: मराठी भाषियों के लिये महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों के लिये गुजरात) तथा प्रशासनिक संरचनाओं को स्थानीय पहचान के साथ संरेखित किया।
  - इससे भाषाई समूहों के बीच तनाव कम हुआ तथा अधिक समावेशी शासन को बढ़ावा मिला।

राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता पर SRA, 1956 का प्रभाव:

- **संतुलित क्षेत्रीय समायोजन:** पुनर्गठन से तमिलनाडु व केरल जैसे विविध भाषाई और क्षेत्रीय समूहों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने में सहायता मिली, जिससे राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला।
  - हालाँकि, इसने सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूरी तरह से पूर्ति नहीं की, जैसा कि बाद में तेलंगाना और बोडोलैंड जैसे पृथक् राज्यों की मांगों में देखा गया।
- **एकता और उप-राष्ट्रवाद:** इस अधिनियम ने समावेशिता को बढ़ावा दिया और संघीय संरचना के भीतर क्षेत्रीय पहचान को पनपने की अनुमति देकर भारत के बहुलवादी चरित्र को सुदृढ़ किया।
  - इसने पहचान आधारित राजनीति और क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा दिया, जो DMK, शिवसेना और TDP जैसी पार्टियों के उदय में स्पष्ट है।
  - उप-राष्ट्रवाद के उदय ने कभी-कभी क्षेत्रीय निष्ठाओं (गोरखालैंड और बोडोलैंड के लिये चल रहे आंदोलन) को गति देकर राष्ट्रीय पहचान को कमज़ोर कर दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्थानीयकृत शासन:** भाषाई रूप से सुसंगत राज्यों के गठन से अधिक स्थानीयकृत और उत्तरदायी शासन संभव हुआ, क्योंकि प्रशासन जनसंख्या की सांस्कृतिक और भाषाई वास्तविकताओं के साथ बेहतर रूप से संरेखित था।
  - हालाँकि, कई नवगठित या कम संसाधन वाले राज्य अभी भी बुनियादी अवसंरचना और वित्तीय सीमितताओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता कम हो रही है।
- **प्रशासनिक संरेखण:** पुनर्गठन से स्थानीय सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के साथ प्रशासनिक संरेखण में सुधार हुआ तथा स्वामित्व एवं भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिला।
  - हालाँकि, भाषाई सीमाओं ने संसाधनों और प्रशासनिक नियंत्रण (तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद) को लेकर अंतर-राज्यीय विवादों को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष:

भारत में राज्यों का पुनर्गठन, संवैधानिक संरचना के भीतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिये महत्त्वपूर्ण था। इसने संघवाद को सुदृढ़ किया और भारत के विविध भाषाई परिदृश्य के बीच एकता बनाए रखने में योगदान दिया। हालाँकि, चुनौतियाँ समावेशी शासन और राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिकता, संघीय सद्भाव एवं राजनीतिक स्थिरता पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

प्रश्न : निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भारत में मूल अधिकारों की व्याख्या और कार्यान्वयन को किस प्रकार नया रूप दिया है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्ष 2017 में निजता के अधिकार संबंधी निर्णय और उसकी व्यापक व्याख्या प्रस्तुत कीजिये।
- मूल अधिकारों के विस्तार और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

न्यायमूर्ति ***के.एस. पुत्तास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (वर्ष 2017)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देकर भारत के संवैधानिक संरचना को नया रूप दिया। निजता को जीवन के मूल में समाहित करके, इस निर्णय ने मूल अधिकारों की व्याख्या और कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण रूप से बदलाव किया है।

मुख्य भाग:

निजता का अधिकार और मूल अधिकारों की पुनर्व्याख्या:

- **मूल अधिकारों का सुदृढ़ीकरण:** निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है। यह व्यक्ति के शरीर, मन और विचारों की अखंडता की रक्षा करके अन्य मूल अधिकारों को सुदृढ़ करता है तथा सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अनुचित हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके।
  - यह व्यक्तियों को अनुचित निगरानी से बचाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) की रक्षा करता है तथा भेदभावपूर्ण राज्य हस्तक्षेप को रोककर समानता (अनुच्छेद 14) को कायम रखता है।
    - वैध राज्य कार्रवाई को अनिवार्य बनाकर मनमानी तलाशी एवं ज़ब्ती (अनुच्छेद 20) से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता का संरक्षण:** निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि व्यक्तियों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त होकर, यौन अभिविन्यास, प्रजनन संबंधी विकल्प और लैंगिक अधिकारों जैसे अंतरंग व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, ***नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018) के निर्णय*** में, जिसमें यह पुष्टि करते हुए कि निजता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के लिये आवश्यक है, सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया गया।
- **राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ:** निजता के अधिकार संबंधी निर्णय ने यह स्थापित किया कि राज्य के किसी भी हस्तक्षेप को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों को पूरा करना होगा, जिससे राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाएँ लागू हो जाएँगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, ***आधार मामले (वर्ष 2018)*** में, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याणकारी वितरण के लिये इसके उपयोग को बरकरार रखा, लेकिन लोक हित और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाते हुए निजी सेवाओं में इसके आवेदन को प्रतिबंधित कर दिया।

- **नीति सुधार पर प्रभाव:** निजता के अधिकार संबंधी निर्णय ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (वर्ष 2019) के निर्माण को प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य राज्य और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करना है।
  - इसने डिजिटल गोपनीयता पर अधिक ध्यान देने तथा RTI अधिनियम, 2004 और साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे जैसे कानूनों के पुनर्मूल्यांकन के साथ व्यापक नीति सुधारों का भी विस्तार किया।

निष्कर्ष:

निजता के अधिकार पर निर्णय ने भारत में मूल अधिकारों के दायरे को बढ़ाया है, खासकर डिजिटल युग में। इसकी भावना को बनाए रखने के लिये, भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : सॉफ्ट पावर भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति (नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी)' का एक प्रमुख स्तंभ है। भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच क्षेत्रीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रभावी ढंग से भारत ने इसका कितना उपयोग किया है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्तमान घटनाओं का उदहारण देते हुए प्रासंगिक परिचय दीजिये और सॉफ्ट पावर को परिभाषित कीजिये।
- 'पड़ोसी प्रथम नीति (नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी)' के अंतर्गत भारत द्वारा सॉफ्ट पावर टूल्स के उपयोग का समाकलन कीजिये।
- क्षेत्रीय एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से वर्ष 2024 के म्याँमार भूकंप मोचन में भारत की त्वरित कार्रवाई दर्शाती है कि किस प्रकार सॉफ्ट पावर इसकी नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी को आधार प्रदान करती है। संस्कृति, मानवीय सहायता और विकास साझेदारी में निहित एक उपागम के रूप में, यह एक विश्वसनीय एवं सहानुभूतिपूर्ण क्षेत्रीय अभिकर्त्ता के रूप में भारत की छवि को प्रभावशाली बनाता है।

मुख्य भाग:

पड़ोसी प्रथम नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में सॉफ्ट पावर:

- **सांस्कृतिक और सभ्यतागत कूटनीति:** भारत बौद्ध कूटनीति, मंदिर जीर्णोद्धार परियोजनाओं और नेपाल, श्रीलंका एवं भूटान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से साझा विरासत को बढ़ावा देता है।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** भारत ने कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री और म्याँमार में ऑपरेशन ब्रह्मा जैसी पहलों का नेतृत्व किया तथा स्वयं को प्रथम शमनकर्त्ता व भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में स्थापित किया।
- **विकास सहयोग:** भारत के अनुदान एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ, जैसे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (मालदीव) और सलमा बाँध (अफगानिस्तान), क्षेत्रीय सद्भावना को बढ़ावा देती हैं।
- **शिक्षा और क्षमता निर्माण:** भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति के तहत प्रशिक्षण से लोगों के बीच दीर्घकालिक संबंध बनते हैं।
- ऊर्जा और कनेक्टिविटी कूटनीति: नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा पार विद्युत व्यापार जैसी परियोजनाएँ क्षेत्रीय अंतरनिर्भरता एवं समृद्धि को बढ़ाती हैं।
- मार्गदर्शक मूल्य— प्रमुख पाँच 'स' सिद्धांत: भारत की पहुँच ***सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि*** और ***संस्कृति*** द्वारा निर्देशित है, जो मूल्य-आधारित क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की सॉफ्ट पावर की प्रभावशीलता:

- मानवीय शक्ति के रूप में विश्वसनीयता: श्रीलंका (वर्ष 2022 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और म्याँमार को भारत की त्वरित सहायता कार्रवाई में सामरिक सहानुभूति को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- चीन की हठधर्मिता का प्रतिकार: भारत का गैर-दबावपूर्ण मॉडल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और ऋण कूटनीति के लिये एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है।
- वर्तमान चुनौतियाँ: परियोजना क्रियान्वयन में विलंब (जैसे: मालदीव में), अनसुलझे विवाद (जैसे: बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल मुद्दा) तथा आधिपत्यवादी व्यवहार की धारणाएँ (जैसे: नेपाल नाकाबंदी) सॉफ्ट पावर लाभ को कमज़ोर करती हैं।
- लोकतांत्रिक और संस्थागत विश्वसनीयता: असफलताओं के बावजूद, भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार, भाषाई संबंध और संस्थागत विश्वास लेन-देन संबंधी कूटनीति की तुलना में अधिक गहन क्षेत्रीय जुड़ाव प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की नेबरहूड फर्स्ट पॉलिसी, सांस्कृतिक सम्मान और शांतिपूर्ण सहभागिता पर आधारित है, जो एक एकीकृत शक्ति के रूप में सॉफ्ट पावर का लाभ उठाती है। भू-राजनीतिक और कार्यान्वयन चुनौतियों के बावजूद, भारत का समावेशी, मूल्य-आधारित दृष्टिकोण इसे दक्षिण एशिया में एक विश्वसनीय एवं स्थायी भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

प्रश्न : हाल की वैश्विक जलवायु और विकास वार्ताओं में ग्लोबल साउथ के समर्थक के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में भारत की भूमिका का परिचय दीजिये।
- वैश्विक जलवायु एवं विकास वार्ता में भारत की भूमिका को उचित ठहराते हुए उत्तर की पुष्टि कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत वैश्विक जलवायु और विकास वार्ताओं में अपने हितों का नेतृत्व करते हुए ग्लोबल साउथ के लिये एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उभरा है। यह 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS)' की मेज़बानी और वैश्विक मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी में परिलक्षित होता है। भारत का "वसुधैव कुटुम्बकम" (एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य) का दर्शन विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में इसकी भूमिका का आधार बनता है।

मुख्य भाग

ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका:

- **ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन:** भारत ने विकासशील देशों के बढ़ते ऋण, जो ग्लोबल साउथ के लिये एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, से निपटने के लिये एक व्यापक, मानव-केंद्रित वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव दिया है।
  - भारत ग्लोबल साउथ-देशों के साथ किफायती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक कृषि में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत ने व्यापार संवर्द्धन के लिये 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा व्यापार नीति एवं वार्ता में क्षमता निर्माण के लिये 1 मिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित किये हैं।
- **जलवायु वार्ता में नेतृत्व:** भारत जलवायु वार्ता में साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों (CBDR) का मुखर समर्थक है, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में भारत का नेतृत्व ग्लोबल साउथ क्षेत्र के लिये सतत् विकास एवं आपदा रोधी क्षमता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **बहुपक्षीय सुधारों के लिये समर्थन:** भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने पर ज़ोर दिया है, तथा ग्लोबल साउथ के हितों को प्रतिबिंबित करने के लिये वैश्विक शासन संरचनाओं को नया स्वरूप देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है।
  - भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार का भी प्रतिनिधित्व करता है तथा विकासशील देशों को अधिक समर्थन देने का आह्वान करता है।
- **भारत की रणनीतिक साझेदारी:** इंडिया-अफ्रीका फोरम सम्मिट (IAFS) के माध्यम से ग्लोबल साउथ देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। भारत ने अफ्रीका के विकास, विशेष रूप से कृषि आदि के लिये 10 बिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

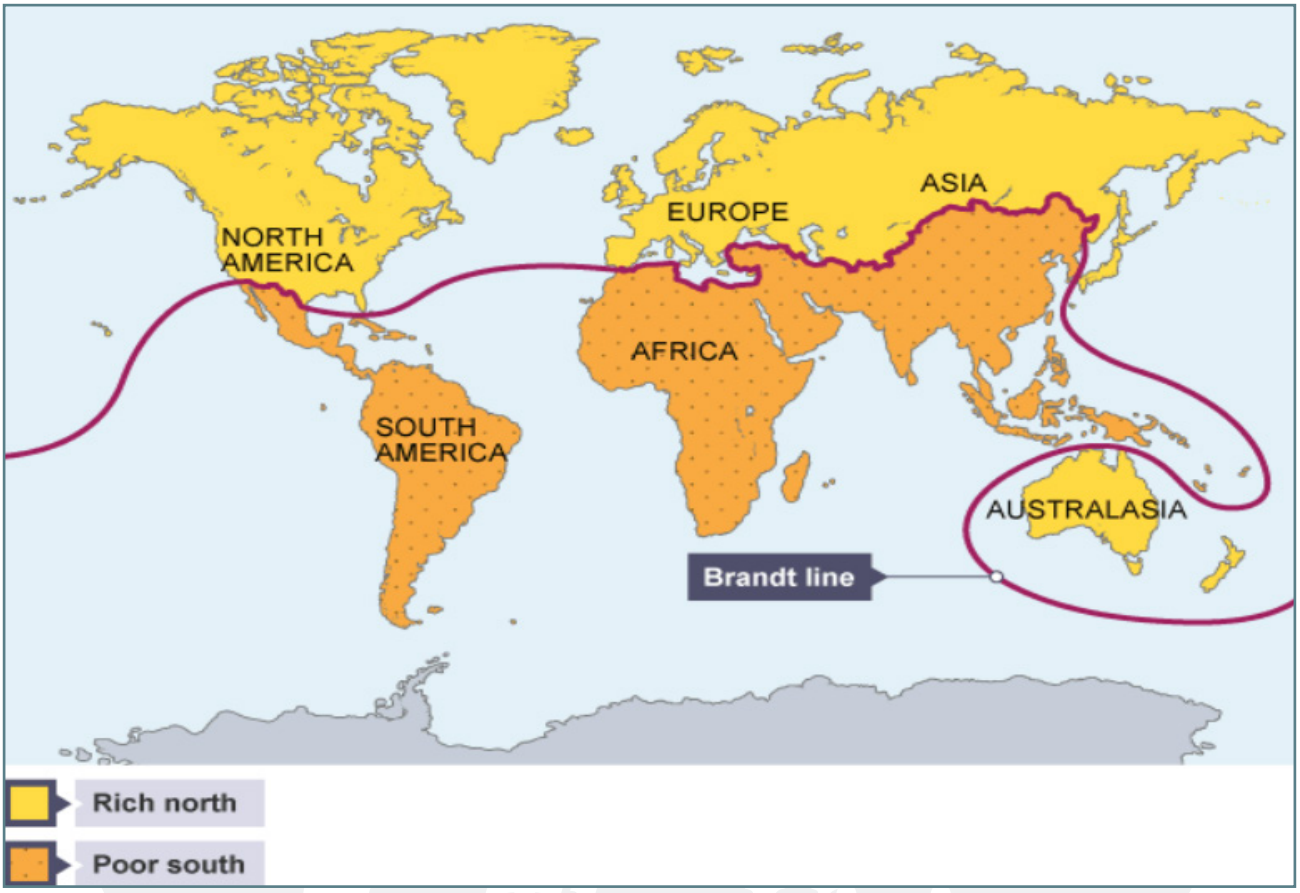

- BRICS और G77 के प्रमुख सदस्य के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, विकास वित्त एवं व्यापार निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करता है।

ग्लोबल साउथ में भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- **विविध हित:** ग्लोबल साउथ एक अखंड समूह नहीं है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की व्यापार नीतियों, जलवायु परिवर्तन एवं शासन जैसे मुद्दों पर विपरीत प्राथमिकताएँ हो सकती हैं, जिसके कारण समाधानों पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं।
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा:** चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ग्लोबल साउथ में भारत के प्रभाव के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। चीन ने अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एशिया में, जिससे इस क्षेत्र में भारत का कूटनीतिक लाभ सीमित हो गया है।
- **कूटनीतिक चुनौतियाँ:** भारत को ग्लोबल साउथ के हितों का समर्थन करते हुए ग्लोबल नॉर्थ (जैसे: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप) के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने के जटिल कार्य का सामना करना पड़ रहा है।
  - संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर यह बात स्पष्ट है।
- **जलवायु परिवर्तन की भेद्यता:** सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते समुद्री स्तर व सूखे के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है। वित्तपोषण तंत्र की कमी ग्लोबल साउथ की भेद्यता को और बढ़ा रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भारत ग्लोबल साउथ के लिये एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है, जो अपने स्वयं के विकास के अनुभव और चुनौतियों का लाभ उठाते हुए न्यायसंगत जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और समावेशी विकास को आगे बढ़ा रहा है। क्लाइमेट जस्टिस से लेकर ऋण राहत और व्यापार सुधारों तक, वैश्विक जलवायु वार्ताओं में भारत ने जो सक्रिय भूमिका निभाई है, वह आगे भी बहुत अहम रहेगी। भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताएँ इन नीतियों में शामिल हों तथा इन वैश्विक नीतियों को तय करने की प्रक्रिया में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाए।

प्रश्न : भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने हिंद-प्रशांत भू-राजनीति के दौरान नया महत्त्व प्राप्त कर लिया है। इस नीति के प्रमुख घटकों और रणनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) को परिभाषित कीजिये और वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में इसके महत्त्व को बताइए।
- AEP के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये और नीति के रणनीतिक निहितार्थों की जाँच कीजिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और नीति के महत्त्व का सारांश दीजिये।

परिचय:

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की सहभागिता को बढ़ाना है। इसे वर्ष 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी के उन्नत संस्करण के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण हो गई है, खासकर चीन की बढ़ती मुखरता के बीच, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में भारत की भूमिका को मज़बूत करती है।

मुख्य भाग:

भारत की AEP के प्रमुख घटक:

- आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी: एक्ट ईस्ट पॉलिसी ASEAN देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो ASEAN-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA) और भारत के जापान तथा दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) जैसे समझौतों के माध्यम से संभव हो रहा है।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क में सुधार करना है, जिससे व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी।
- सुरक्षा सहयोग: भारत की AEP समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा को मज़बूत करता है। क्वाड और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के माध्यम से, भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करता है, जिससे नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
  - यह संयुक्त सैन्य अभ्यास (मालाबार, मिलान-नौसेना) आयोजित करता है और सूचना साझाकरण एवं विश्लेषण केंद्र (ISAC) जैसी पहलों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र जागरूकता और क्षमता निर्माण में ASEAN देशों को समर्थन प्रदान करता है।
- कूटनीतिक जुड़ाव: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), हिंद महासागर रिम संघ (IORA) और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सक्रिय कूटनीति और बहुपक्षीय जुड़ाव पर ज़ोर देती है।
- रणनीतिक रूप से, भारत एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ साझेदारी को मज़बूत कर रहा है।
- सांस्कृतिक कूटनीति: भारत योग कूटनीति, भारत-आसियान सांस्कृतिक महोत्सव तथा आसियान-भारत युवा शिखर सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य मज़बूत सांस्कृतिक जुड़ाव स्थापित करना और साझा मूल्यों एवं समझ के आधार पर दीर्घकालिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत के AEP के रणनीतिक निहितार्थ:

- **क्षेत्रीय सुरक्षा में वृद्धि:** भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में। यह नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करती है।
- **भारत-प्रशांत रणनीति का अभिसरण:** AEP भारत के हितों को भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) जैसे वैश्विक ढाँचों के साथ संरेखित करती है तथा सतत् विकास और समुद्री सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **कनेक्टिविटी पहल:** भारत द्वारा संपर्क सुधारने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, खासकर अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने की दिशा में। यह प्रयास व्यापार, निवेश और बुनियादी ढाँचे के विकास के नए मार्ग खोलता है, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **बहुपक्षीय भागीदारी:** क्वाड और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी इसके कूटनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ करती है। प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग कर भारत एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिससे वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सशक्त करने हेतु अपनी रणनीतिक स्थिति का प्रभावी उपयोग करता है।
- **आर्थिक अवसर:** भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से विविध व्यापार और निवेश के रास्ते भी खुलते हैं। यह नीति बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने (विशेषकर आसियान देशों के संदर्भ में) पर केंद्रित है।

निष्कर्ष:

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसकी विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है जिसके तहत दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ इसके समन्वय को आकार मिलता है। आर्थिक विकास, रणनीतिक सुरक्षा सहयोग एवं कूटनीतिक समन्वय पर ध्यान केंद्रित करके, भारत का लक्ष्य अपने प्रभाव को बढ़ाना तथा चीन की बढ़ती प्रभावशीलता से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना है। जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत में भू-राजनीतिक गतिशीलता विकसित होगी, उसी क्रम में एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में के भारत के प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाती रहेगी।

प्रश्न : क्या BIMSTEC SAARC के विकल्प के रूप में उभर रहा है? संरचना एवं उद्देश्यों के संदर्भ में दोनों संगठनों की तुलना कीजिये और यह भी विश्लेषण कीजिये कि BIMSTEC भारत की उभरती विदेश नीति प्राथमिकताओं के साथ किस प्रकार संरेखित है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- BIMSTEC और SAARC का उनके क्षेत्रीय उद्देश्यों के साथ अवलोकन प्रस्तुत कीजिये।
- भारत की उभरती विदेश नीति प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संरचना और उद्देश्यों के संदर्भ में दोनों संगठनों की तुलना कीजिये।
- वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में BIMSTEC की प्रासंगिकता के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

SAARC और BIMSTEC की स्थापना क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिये की गई थी, लेकिन भू-राजनीतिक तनावों के कारण SAARC में आई स्थिरता के कारण, BIMSTEC भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के साथ मिलकर एक अधिक प्रभावी मंच के रूप में उभरा है।

SAARC के विकल्प के रूप में उभरता हुआ BIMSTEC:

- SAARC की राजनीतिक चुनौतियाँ: SAARC की प्रगति प्राय: भू-राजनीतिक तनावों, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावों के कारण बाधित हुई है।
  - वर्ष 2014 में आयोजित पिछले SAARC शिखर सम्मेलन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण वार्ता में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति अवरुद्ध हो रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इसके विपरीत, BIMSTEC का कार्यढाँचा विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों को सीधे शामिल करने से बचता है, क्योंकि पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, जो विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं अधिक प्रभावशीलता की अनुमति देता है।

- भौगोलिक पहलू: जहाँ SAARC दक्षिण एशिया तक ही सीमित है, वहीं BIMSTEC में म्याँमार और थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, जो आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग के लिये व्यापक भौगोलिक संभावनाएँ प्रदान करते हैं।
  - यह व्यापक अभिगम भारत की लूक ईस्ट पॉलिसी, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है, के अनुरूप है, क्योंकि BIMSTEC भारत को अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करता है।

संरचना और उद्देश्यों के संदर्भ में तुलना:

पहलू	SAARC	BIMSTEC
संरचना	वर्ष 1985 में स्थापित, इसके 8 सदस्य हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।	इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी तथा इसके सात सदस्य हैं: भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल।
उद्देश्य	क्षेत्रीय सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।	इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

भारत की विदेश नीति के साथ BIMSTEC का संरेखण:

- क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण: BBIN पहल (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से BIMSTEC क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह बुनियादी अवसंरचना में सुधार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) के अनुरूप है, जो भारत के पूर्वोत्तर विकास एवं व्यापक क्षेत्रीय विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: BIMSTEC, भारत की विदेश नीति के केंद्र में स्थित साउथ-साउथ सहयोग को बढ़ावा देता है, जो कि ऊर्जा और व्यापार में सहयोग को बढ़ाता है। यह सहयोग बेंगलुरू में BIMSTEC ऊर्जा केंद्र और BIMSTEC व्यापार मंच जैसी पहलों के माध्यम से किया जा रहा है।
  - BIMSTEC को सुदृढ़ करना, क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने की भारत की रणनीति के अनुरूप है।

- सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोधी सहयोग: साझा सुरक्षा चिंताओं (विशेष रूप से आतंकवाद) पर BIMSTEC भारत को आतंकवाद-रोधी एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध कार्य समूह तथा आपदा राहत तंत्र के माध्यम से सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप है तथा क्षेत्र में एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाता है, विशेष रूप से सीमापार आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आम चुनौतियों से निपटने में।

निष्कर्ष:

यद्यपि BIMSTEC आर्थिक सहयोग के लिये एक अधिक व्यवहार्य मंच प्रदान करता है (विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ), फिर भी SAARC दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। हालाँकि इसके समक्ष चुनौतियाँ भी हैं। BIMSTEC SAARC के प्रयासों का पूरक है, जो भारत को आर्थिक एकीकरण एवं क्षेत्रीय स्थिरता के अपने विदेश नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

प्रश्न : रूस के साथ भारत के रक्षा संबंधों की तुलना में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों की प्रासंगिकता क्या है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- रूस की तुलना में अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंधों की सामरिक प्रासंगिकता का परिचय दीजिये।
- रूस को एक समय-परीक्षित साझेदार के रूप में समझाइये तथा चीन, सैन्य समझौतों और क्वाड के संदर्भ में अमेरिकी संलग्नताओं के उभरते सामरिक मूल्य की व्याख्या कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

अमेरिका और रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध दो अलग-अलग रणनीतिक दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं– पारंपरिक निर्भरता बनाम विकासशील साझेदारी। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बदलती शक्ति गतिशीलता के मद्देनजर (विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में) ये रक्षा संबंध क्षेत्रीय स्थिरता और एक प्रमुख सुरक्षा अभिकर्त्ता के रूप में भारत की भूमिका के लिये महत्त्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं।

मुख्य भाग:

रूस एक समय-परीक्षित साझेदार है:

- **रक्षा सहयोग:** रूस ऐतिहासिक रूप से भारत का प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्त्ता रहा है, जो इसके रक्षा उपकरण आयात (S-400 वायु रक्षा प्रणाली और मिग-29 लड़ाकू जेट) का 36% हिस्सा है।
- **सामरिक संरेखण:** दोनों राष्ट्र क्षेत्रीय सुरक्षा में समान हित साझा करते हैं तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों और सैन्य अभ्यासों में सहयोग करते हैं।
  - उनका सहयोग BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर रणनीतियों को संरेखित करने तक फैला हुआ है।
  - यह संरेखण साझा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग की रणनीतिक प्रासंगिकता:

- **10-वर्षीय रक्षा रूपरेखा:** भारत और अमेरिका एक व्यापक 10-वर्षीय रक्षा सहयोग रूपरेखा पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना एवं रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- **साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण:** भारत और अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार पर समान चिंताएँ साझा करते हैं तथा उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत" को बढ़ावा देने के लिये अपने रणनीतिक हितों को संरेखित किया है।
  - बहुपक्षीय क्वाड के हिस्से के रूप में दोनों देश क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये अपने सहयोग को और भी मज़बूत करते हैं।
- **आधारभूत समझौते:** LEMOA (वर्ष 2016), COMCASA (वर्ष 2018) और BECA (वर्ष 2020) भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को बढ़ाने वाले प्रमुख समझौते हैं।
  - LEMOA लॉजिस्टिक्स समर्थन में सुधार करता है, COMCASA संचार अंतर-संचालन को बढ़ाता है तथा BECA भू-स्थानिक खुफिया साझाकरण को मज़बूत करता है।
    - इन सभी का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार लाना तथा क्षेत्रीय खतरों, विशेषकर चीन से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करना था।
- **सैन्य अभ्यास:** मालाबार नौसैनिक अभ्यास जैसे सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करते हैं और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करते हैं।
  - इसी प्रकार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार संयुक्त परिचालन क्षमताओं में सुधार लाने तथा भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से रक्षा को बढ़ावा देना; महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत-अमेरिका पहल (iCET, 2023) रक्षा नवाचार को बढ़ावा देती है।
  - यह सेमीकंडक्टर, AI जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है तथा दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिये तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है।

भारत-अमेरिका बनाम भारत-रूस रक्षा संबंधों की रणनीतिक प्रासंगिकता:

पहलू	भारत-अमेरिका रक्षा भागीदारी	भारत-रूस रक्षा भागीदारी
रणनीतिक केंद्र	चीन का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा, नियम-आधारित व्यवस्था।	पारंपरिक साझेदार, विरासत प्रणालियों के साथ।
साझेदारी की प्रकृति	अंतर-संचालनीयता, संयुक्त संचालन और क्वाड संरेखण।	लिगेसी हार्डवेयर (भारतीय सैन्य हार्डवेयर का 45%), रखरखाव सहायता।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तकनीकी अंतरण और बाधाएँ	अत्याधुनिक तकनीक और संयुक्त उत्पादन ie: iCET	यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सीमित स्थानांतरण और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम।
भू-राजनीतिक चुनौतियाँ	हिंद-प्रशांत लक्ष्यों के साथ रणनीतिक संरेखण।	रूस पर चीन का बढ़ता प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भूमिका को सीमित कर रहा है।
हिंद-प्रशांत पर सामरिक प्रभाव	भविष्योन्मुख, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, नियम-आधारित व्यवस्था, चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने पर केंद्रित।	ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सीमित उपस्थिति।

निष्कर्ष:

रूस एक प्रमुख रक्षा साझेदार बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत का संतुलन बनाना 'इंडिया फर्स्ट' की उद्देश्यपूर्ण रणनीति को दर्शाता है। रणनीतिक संरेखण और अंतर-संचालन के माध्यम से इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित करने में अमेरिका महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर चीन के उदय का मुकाबला करने में। यह रणनीतिक संतुलन भारत की क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है।

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उभरता हुआ क्षेत्रक है जिसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता है।" फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने तथा आय और रोज़गार को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग में, तीन फोकस क्षेत्रों पर चर्चा कीजिये: फसल-उपरांत हानि में कमी, आय में वृद्धि, रोज़गार सृजन तथा इसके समर्थन में आँकड़े प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उभरते क्षेत्र के रूप में, यह मूल्य संवर्द्धन को सक्षम बनाता है, अपव्यय को कम करता है तथा किसानों और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करता है, जिससे यह आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन के लिये एक शक्तिशाली इंजन बन जाता है।

मुख्य भाग:

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना:

- PMKSY जैसी योजनाओं के तहत *शीत शृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और संरक्षण बुनियादी अवसंरचना* के विकास से कृषि अपशिष्ट में काफी कमी आई है।
- NABCON मूल्यांकन में पाया गया कि मात्स्यिकी में अपशिष्ट में 70% तक तथा डेयरी उत्पादों में 85% तक की कमी आई है।
- वर्तमान में संचालित 1087 PMKSY परियोजनाओं ने 241.94 लाख मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता सृजित की है, जिससे शीघ्र क्षय होने वाली उपज को संरक्षित किया जा सका है और नुकसान को न्यूनतम किया जा सका है।
- शेल्फ लाइफ और सुरक्षा में सुधार के लिये 50 विकिरण परियोजनाओं एवं 100 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को समर्थन दिया जा रहा है।

किसानों की आय वृद्धि:

- PMKSY ने बाज़ार संपर्क स्थापित करके और बेहतर कृषि मूल्य सुनिश्चित करके लगभग 51 लाख किसानों को लाभान्वित किया है।
- सत्र 2023-24 में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात बढ़कर कृषि-निर्यात का 23.4% हो गया, जो उच्च मूल्य प्राप्ति को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के अंतर्गत 'एक ज़िला, एक उत्पाद' (ODOP) स्थानीय उत्पादकों को सशक्त बनाता है और पारंपरिक कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन करता है।
- SHG के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने के लिये PMFME के तहत वर्ष 2024 में 254 करोड़ रुपए की बीज पूंजी मंजूर की गई।

रोज़गार के अवसरों का सृजन:

- संगठित विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण रोज़गार में 12.41% का योगदान देता है (ASI 2022-23)।
- PMKSY ने 1646 स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से 7.46 लाख नौकरियाँ (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सृजित की हैं।
- PLISFPI योजना ने 8910 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया और उच्च विकास वाले खाद्य क्षेत्रों में 2.89 लाख नौकरियों का सृजन किया।
- अकेले वर्ष 2024 में PMFME के तहत 46,643 ऋण स्वीकृत किये गए, जिससे सूक्ष्म उद्यमों और ग्रामीण उद्यमिता को समर्थन मिल रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) PMFME जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHG) को समर्थन देता है, प्रति सदस्य 40,000 रुपए तक की बीज पूंजी और 10 लाख रुपए तक का ऋण-लिंक्ड अनुदान प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- स्वयं सहायता समूह PMKSY के अंतर्गत भी सहायता के लिये पात्र हैं, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ेगी।

निष्कर्ष:

प्रबल नीति समर्थन, बढ़ते निवेश एवं बुनियादी अवसंरचना के विस्तार के साथ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि-अपशिष्ट को कम कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है, गैर-कृषि रोज़गारों का सृजन कर सकता है, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास और SDG2 (भुखमरी से मुक्ति) के लक्ष्य को गति दे सकता है। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में AI जैसी तकनीक का लाभ उठाने से दक्षता, संधारणीयता एवं खाद्य सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न : भारत के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक सुगम्यता में सुधार पर वित्तीय समावेशन पहल के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सभी के लिये किफायती वित्तीय सेवाओं तक सुगम्यता सुनिश्चित करने के रूप में वित्तीय समावेशन की परिभाषा प्रस्तुत कीजिये।
- चुनौतियों के समाधान के साथ बैंकिंग सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय समावेशन पहलों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वित्तीय समावेशन निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से कमज़ोर और कम आय वाले समूहों को बचत, ऋण एवं बीमा जैसी सस्ती, सुलभ वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), बैंकिंग मित्र/संवाददाता और मोबाइल बैंकिंग जैसी पहलों ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य सुलभ वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है।

मुख्य भाग:

भारत में वित्तीय समावेशन पहल

- **बैंक खाता स्वामित्व में वृद्धि:** PMJDY के कारण 54 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें से एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में था। इससे बैंकिंग सेवाओं तक बुनियादी अभिगम का विस्तार हुआ है।
  - शून्य शेष खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, बीमा कवरेज की सुविधा दी गई है।
- **बैंकिंग टचप्वाइंट का विस्तार:** बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल ने 6 लाख से अधिक गाँवों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है, जिससे बैंकों तक पहुँचने की भौतिक दूरी कम हो गई है।
  - उदाहरण: ग्रामीण बैंक के एजेंट दूरस्थ गाँवों तक पहुँचते हैं तथा बचत, सूक्ष्म बीमा और धन प्रेषण जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** DBT ने सरकारी सब्सिडी (जैसे: LPG, पेंशन, MGNREGA मज़दूरी) को सीधे बैंक खातों में लक्षित अंतरण सक्षम किया है, जिससे लीकेज कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में दक्षता में सुधार हुआ है।
  - बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से सब्सिडी में अक्षमता कम हुई है, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 में DBT से 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।
- **डिजिटल वित्तीय सेवाओं में वृद्धि:** UPI इको-सिस्टम, मोबाइल वॉलेट और आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) ने ग्रामीण नागरिकों को भी कैशलेस लेन-देन करने में सक्षम बनाया है।
- **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये प्रमुख प्रवर्तक:** वित्तीय समावेशन 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से 7 को समर्थन प्रदान करता है, जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है तथा PMJDY खाताधारकों में 55.6% महिलाएँ हैं, जो महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

वित्तीय समावेशन प्रयास में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

- **मांग पक्ष कारक:** कई गरीब व्यक्तियों के पास नियमित आय या बचत की कमी होती है, जिससे वे बैंक ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिये अयोग्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, अनौपचारिक श्रमिक प्राय: KYC या न्यूनतम शेष राशि मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं।
  - सीमित जागरूकता का अर्थ है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाएँ बुनियादी अंतरणों से परे कम उपयोग में लाई जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

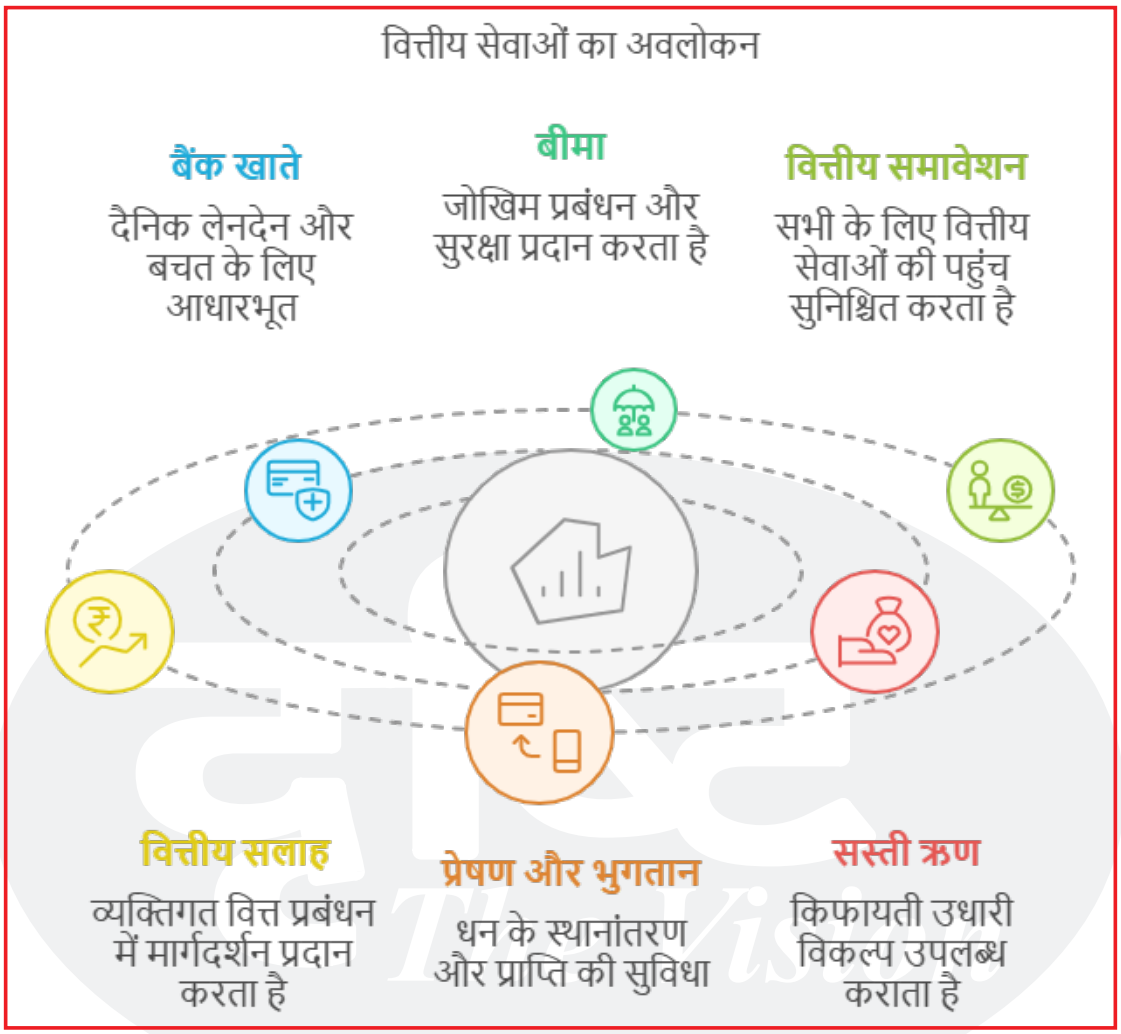

- इसके अतिरिक्त, तत्काल ऋण ऐप्स में प्रच्छन्न शुल्क जैसे फिनटेक ऐप्स के उच्च शुल्क नियमित उपयोग को हतोत्साहित करते हैं।

- **आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ:** बैंक प्राय: ऐसे ग्राहकों को सेवा देने से हिचकिचाते हैं जिनकी आमदनी अनियमित होती है या जिनके खातों से लेन-देन की राशि कम होती है, क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ नहीं होता।
  - उदाहरण के लिये, बैंक सीमित मांग वाले दूरस्थ क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने से बचते हैं। ऐसे ग्राहकों की अनियमित आय पैटर्न भी कथित ऋण जोखिम को बढ़ाता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की निरंतर विफलता, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में, बैंकिंग सेवाओं की सुगम्यता में बाधा डालती है।
  - वर्ष 2021 तक भारत में इंटरनेट एक्सेस लगभग 47% थी, जिससे आधी से अधिक आबादी इंटरनेट एक्सेस से वंचित रह गई। वर्ष 2023 तक ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट एक्सेस केवल 37% रह गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **वित्तीय साक्षरता का अभाव:** वित्तीय साक्षरता/समझ की कमी के कारण बहुत से बैंक खाते निष्क्रिय या ज़ीरो-बैलेंस वाले खाते बने रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के लगभग 20% खाते निष्क्रिय हैं।

वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने का मार्ग

- **वित्तीय अभिगम को बढ़ावा देना:** RBI बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता को एकीकृत कर सकता है।
  - पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये भारत के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और अधिक सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- **फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाना:** मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली और वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल सहित फिनटेक सॉल्यूशन्स लागत प्रभावी एवं स्केलेबल वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, Paytm और PhonePe जैसे मोबाइल-आधारित ऐप ग्रामीण व दूरदराज़ के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को सुलभ बना रहे हैं, जबकि लेंडिंगकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पारंपरिक क्रेडिट हिस्ट्री के बिना छोटे व्यवसायों को छोटे ऋण देने के लिये डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं।
- **अनुकूलित वित्तीय उत्पाद:** वित्तीय संस्थाएँ अनुकूलित उत्पाद विकसित कर सकती हैं जो निम्न आय वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे: सूक्ष्म बीमा, किफायती पेंशन योजनाएँ और कम ब्याज वाले ऋण, इत्यादि को पूरा करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये पेंशन योजना प्रदान करती है।

निष्कर्ष:

वित्तीय समावेशन पहलों ने ग्रामीण भारत में बैंकिंग सुगम्यता में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से PMJDY, डिजिटल प्लेटफॉर्म और BC मॉडल के माध्यम से। डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करना, इंटरनेट के बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना और कमज़ोर समूहों के लिये वित्तीय समावेशन नीतियों को लक्षित करना ग्रामीण वित्तीय समावेशन में निरंतर वृद्धि के लिये आवश्यक है।

प्रश्न : प्राय: बैंकिंग संकट मूल रूप से प्रणालीगत अक्षमताओं से संबंधित होता है। इस संदर्भ में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालने के क्रम में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रणालीगत अकुशलताओं और NPA से उनके संबंध पर विस्तार से प्रकाश डालिये।
- विश्लेषण को प्रमाणित करने के लिये सांख्यिकीय साक्ष्य प्रदान कीजिये।
- NPA से निपटने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुधारों पर चर्चा कीजिये।

परिचय:

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई हैं, जो गहन जड़ वाली प्रणालीगत अक्षमताओं को दर्शाती हैं। वर्ष 2025 (जनवरी) तक, कुल NPA भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.6% है। NPA केवल अकुशल ऋण वसूली का परिणाम नहीं है, वे कमज़ोर शासन, सरकारी हस्तक्षेप पर अत्यधिक निर्भरता और बुनियादी अवसंरचना के विकास की कमी जैसी व्यापक संरचनात्मक खामियों को भी उजागर करते हैं।

मुख्य भाग:

प्रणालीगत अकुशलताओं को उजागर करने में NPA का महत्त्व:

- **अकुशल ऋण वसूली तंत्र:** ऋण वसूली के लिये अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ NPA समस्या को बढ़ाती हैं।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 ने ऋण समाधान में सुधार किया है, लेकिन अभी भी सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से अनुकूलित नहीं है।
    - उदाहरण के लिये, रिकवरी दर वित्त वर्ष 2020 में 43% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 32.06% हो गई है।
- **कमज़ोर शासन और राजनीतिक हस्तक्षेप:** बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को प्राय: ऐसी संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिये राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है जो वित्तीय रूप से अव्यवहार्य होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA का उच्च स्तर, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है, जिसने वर्ष 2018 में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की सूचना दी थी, ऋण देने की प्रथाओं पर राजनीतिक प्रभाव के प्रभाव को रेखांकित करता है।

- **सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता:** कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने NPA के प्रबंधन के लिये सरकारी सहायता पर निर्भर हैं।
  - सरकार ने इन बैंकों को स्थिर करने के लिये सत्र 2016-17 और 2020-21 के दौरान इनमें 3.1 लाख करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया।
  - इससे पता चलता है कि जोखिम प्रबंधन और प्रशासन में अकुशलताएँ बैंकों को अपनी आंतरिक कमज़ोरियों को सुधारने के बजाय सार्वजनिक धन पर निर्भरता की ओर निर्दिष्ट करती हैं।
- **लालफीताशाही और प्रशासनिक बाधाएँ:** जटिल नियम और प्रशासनिक विलंब NPA के लिये समय पर कार्रवाई को बाधित करती है। इसका एक उदाहरण बैंकों की परिसंपत्तियों की शीघ्रता से नीलामी करने या त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थता है, जिससे वसूली की लागत एवं विलंब बढ़ जाता है, जिससे NPA का स्तर और बढ़ जाता है।

NPA से निपटने के लिये एकीकृत रणनीति:

- **शासन को सुदृढ़ बनाना:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिक स्वायत्तता के साथ तथा बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करें, इससे अकुशल ऋण प्रथाओं में कमी आ सकती है।
  - कुशल प्रबंधन का चयन करने के लिये बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का कार्यान्वयन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अधिक जवाबदेही के लिये इसकी शक्तियों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **ऋण वसूली तंत्र को बढ़ाना:** IBC कार्यढाँचे को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, जिसमें दिवालियापन के लिये सुव्यवस्थित प्रक्रिया और त्वरित समाधान समयसीमा होनी चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, बैंकों में समर्पित NPA प्रबंधन प्रकोष्ठों की स्थापना से संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का अभिनिर्धारण और समाधान में तेज़ी लाने में मदद मिल सकती है।
- **सूचित ऋण और उन्नत विश्लेषण:** बैंकों को ऋण जोखिम का अधिक प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिये डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिये। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, वे ऋण जोखिम से पहले ही चूक का अनुमान लगा सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये, ICICI बैंक ने AI-आधारित क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल लागू किया है, जो उधारकर्त्ता की ऋण-पात्रता का आकलन करने के लिये खर्च करने के पैटर्न और सामाजिक व्यवहार जैसे विभिन्न डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करता है, जिससे बेहतर जानकारी के साथ ऋण देने के निर्णय लिये जा सकते हैं।
- **वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिये एकीकृत नीति:** RBI, वित्त मंत्रालय और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय सहित एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है।
  - इसमें विनियामक कार्यढाँचे को मज़बूत करना, संभावित ऋण घाटे से निपटने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पर्याप्त पूंजीकरण सुनिश्चित करना शामिल है।

निष्कर्ष:

NPA भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शासन की विफलताओं से लेकर बुनियादी अवसंरचना की बाधाओं तक की गहरी प्रणालीगत अक्षमताओं के लक्षण हैं। NPA समस्या को सुलझाने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शासन में सुधार, ऋण वसूली कार्यढाँचे को बढ़ाना और आधुनिक जोखिम-मूल्यांकन तकनीकों को अपनाना शामिल है। एक समन्वित रणनीति जो मूल कारणों का आकलन करती है और प्रणालीगत सुधार सुनिश्चित करती है, NPA को कम करने एवं बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को सुदृढ़ करने में मदद कर सकती है, जिससे भविष्य में बैंकिंग संकटों से बचा जा सकता है।

प्रश्न : 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिये। किस तरह से महिला सशक्तीकरण औपचारिक मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के भीतर देखभाल अर्थव्यवस्था को शामिल करने में मदद कर सकता है? (150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- केयर इकोनॉमी अर्थात् देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिये तथा उनके महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- चर्चा कीजिये कि महिला सशक्तीकरण देखभाल अर्थव्यवस्था को औपचारिक मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में किस प्रकार एकीकृत कर सकता है।
- आगे की उपयुक्त राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

केयर इकोनॉमी अर्थात् देखभाल अर्थव्यवस्था में वैतनिक और अवैतनिक दोनों तरह के कार्य (वृद्ध जनों की देखभाल, घरेलू कामकाज़) शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा किये जाते हैं, सामाजिक कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन प्राय: GDP गणना में अनदेखा कर दिये जाते हैं। इसके विपरीत, मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था आय-उत्पादक गतिविधियों को संदर्भित करती है, जैसे कि रोज़गार और व्यवसाय, जिन्हें GDP में शामिल किया जाता है। अपनी महत्ता के बावजूद, देखभाल अर्थव्यवस्था को पारंपरिक आर्थिक मापदंडों में अधिकांशत: मान्यता नहीं दी जाती है।

मुख्य भाग:

महिला सशक्तीकरण के माध्यम से 'केयर इकोनॉमी' का मुद्रीकरण:

- अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना: महिलाओं को सशक्त बनाना, देखभाल कार्य को मान्यता देने और उसे राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन में एकीकृत करने की कुंजी है।
  - इसके मूल्य को पहचान देकर, न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, बल्कि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षमता का भी सदुपयोग किया जा सकता है, UN वीमेन का अनुमान है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा मिल सकता है।
- आर्थिक संसाधनों तक सुगम्यता: शिक्षा, वित्तीय संसाधनों तक अभिगम (MUDRA योजना) और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से अनौपचारिक देखभाल कार्य को मुद्रीकृत कार्यढाँचे में बदलने में सहायता मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिये, महिलाएँ राज्य प्रायोजित योजनाओं या बीमा तंत्र के माध्यम से देखभाल संबंधी भूमिकाओं के लिये मुआवज़ा प्राप्त कर सकती हैं।
- समावेशन के लिये नीतिगत उपाय: भुगतान मातृत्व अवकाश (मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत 26 सप्ताह) को औपचारिक रूप देने और बाल देखभाल सेवाओं जैसे नीतिगत उपाय देखभाल को अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
  - यद्यपि महिला आरक्षण अधिनियम पारित हो चुका है, परंतु इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिससे नीति निर्माण में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित हो रहा है तथा देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों में बाधा आ रही है।
  - यदि अवैतनिक देखभाल का मूल्यांकन किया जाए तो यह सकल घरेलू उत्पाद में 40% तक का योगदान कर सकती है।
- श्रम बाज़ार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: सशक्त महिलाओं के औपचारिक रोज़गार में शामिल होने की अधिक संभावना होती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये, महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने और उसमें बने रहने में सक्षम बनाने से उन बाधाओं को तोड़ने में सहायता मिलती है जो देखभाल कार्य की औपचारिक मान्यता को प्रतिबंधित करती हैं।
  - MGNREGA महिलाओं को वेतन सहित रोज़गार उपलब्ध कराता है, जिसमें 55% से अधिक महिलाएँ देखभाल संबंधी भूमिका में भाग लेती हैं।
- समय की कमी को दूर करना: भारत में महिलाओं को प्रतिदिन अवैतनिक देखभाल कार्यों पर 5.6 घंटे व्यय करना पड़ता है, जबकि पुरुष 30 मिनट खर्च करते हैं, शहरी महिलाएँ 9.6 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं।
  - देखभाल संबंधी बुनियादी अवसंरचना में निवेश से समय की कमी को दूर किया जा सकता है और अधिक महिलाएँ औपचारिक श्रम बाज़ार में शामिल हो सकेंगी।
- कौशल अंतराल को कम करना: भारत में लगभग 2 मिलियन आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ANM और ASHA कार्यकर्त्ता हैं जो देखभाल अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- देखभाल कार्य को औपचारिक बनाने, नौकरी के अवसरों में सुधार लाने और कुशल कार्यबल का निर्माण करने के लिये PM-SYM जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और उन्नयन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जब लैंगिक समानता बढ़ती है, तो 'देखभाल कार्य' और 'पारिश्रमिक आधारित कार्य' के बीच जो परंपरागत विभाजन रहा है, वह समाप्त हो जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देखभाल कार्य को महत्त्व दिया जाए और उसका मुआवज़ा दिया जाए, जिससे SDG5 (लैंगिक समानता) और SDG10 (असमानताएँ कम करना) को बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न : मूल्यांकन करें कि क्या स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति एक बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था का संकेत है। अपने तर्क को उचित ठहराएँ। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रमुख आर्थिक संकेतकों के रूप में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और मुद्रास्फीति की अवधारणा का परिचय दें।
- विश्लेषण करें कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और कम मुद्रास्फीति आर्थिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, तथा उनके लाभों और सीमाओं पर प्रकाश डालें।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

पिछले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि औसतन 6-7% के आसपास रही है, जबकि मुद्रास्फीति (कीमतों में वृद्धि की दर) आम तौर पर 4-5% के आसपास रही है । जबकि इन स्थिर संकेतकों को अक्सर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के संकेत के रूप में देखा जाता है, यह निर्धारित करने के लिए व्यापक आर्थिक संदर्भ का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है कि क्या वे वास्तव में दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और कल्याण को दर्शाते हैं।

शरीर:

स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के आर्थिक लाभ:

- **निवेश और आर्थिक स्थिरता:** स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और कम मुद्रास्फीति (कीमतें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं) , एक स्थिर आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देती है जो निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है, दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करती है, और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
  - यह स्थिरता एफडीआई और एफआईआई को आकर्षित करती है, यूएनसीटीएडी के अनुसार , भारत 2022 में एफडीआई प्रवाह के मामले में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है और उसे 49.3 बिलियन अमरीकी डालर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है।
- **प्रयोज्य आय और मांग में वृद्धि:** कम मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है और प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है , क्योंकि कीमतें धीमी गति से बढ़ती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को समान धनराशि से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की सुविधा मिलती है।
  - इससे ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जिससे उद्योग और कॉर्पोरेट जैसे ऋण-निर्भर क्षेत्रों को लाभ मिलता है, तथा अधिक कुशल विस्तार संभव होता है।
- **सुधार और राजस्व वृद्धि:** स्थिर जीडीपी वृद्धि सरकार को जीएसटी जैसे प्रमुख सुधारों को लागू करने में सक्षम बनाती है, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7% की वृद्धि है ।
  - इस राजस्व वृद्धि से सामाजिक व्यय में वृद्धि संभव हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन में 6% की वृद्धि भी शामिल है।

स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति की सीमाएँ:

- **वास्तविक ब्याज दरें और निवेश:** कम मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देते हुए, वास्तविक ब्याज दरों को बढ़ा सकती है , जिससे व्यवसायों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है।
  - इससे निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर एमएसएमई, आवास और बुनियादी ढांचे जैसे पूंजी-गहन और ऋण-निर्भर क्षेत्रों में।
- **बेरोज़गारी और असमान वृद्धि:** भारत की बेरोज़गारी दर मई में 7% से बढ़कर जून 2024 में 9.2% हो गई (सीएमआईई) । मजबूत जीडीपी वृद्धि के बावजूद, श्रम अवशोषण कमज़ोर बना हुआ है, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच।
  - विकास मुख्यत: पूंजी-प्रधान है, जिसमें आईटी और वित्त जैसे क्षेत्र हावी हैं, जबकि श्रम-प्रधान उद्योग पिछड़ रहे हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- विश्व असमानता रिपोर्ट (2022) में शीर्ष 10% और निचले 50% के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाया गया है, जो बढ़ती आय असमानता को दर्शाता है।

- **राजकोषीय घाटा:** यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि राजस्व सृजन में योगदान देती है, लेकिन यदि नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि धीमी हो जाती है, तो इससे हमेशा पर्याप्त कर राजस्व प्राप्त नहीं हो सकता है।
  - इसके बाद सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है , जिससे व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है, जिसका असर लोक कल्याण कार्यक्रमों पर पड़ सकता है।
- कृषि संकट: लगातार कम खाद्य मुद्रास्फीति किसानों की आय को कम करती है। नाबार्ड के वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2022) के अनुसार , आधे से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, फिर भी कई लोग कम आय, बढ़ते कर्ज और स्थिर मजदूरी का सामना कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अशांति बढ़ रही है।

निष्कर्ष

स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति भारत की स्थिरता को उजागर करती है, लेकिन असमानता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छिपाती है । करों , श्रम बाजारों और वित्तीय समावेशन में संरचनात्मक सुधार , साथ ही कौशल , उद्यमशीलता और ग्रामीण समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने से टिकाऊ , समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। एमएसएमई ऋण और श्रम-गहन उद्योगों को प्राथमिकता देने से दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कृषि

प्रश्न : कृषि भारत की अर्थव्यवस्था के लिये एक महतत्त्वपूर्ण क्षेत्रक है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अर्थव्यवस्था के लिये भारतीय कृषि के महत्त्व का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- भारतीय कृषि के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा उनके समाधान के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17-18% का योगदान देती है और ग्रामीण आबादी के 60% से अधिक लोगों का भरण-पोषण करती है। हालाँकि, इसके महत्त्व के बावजूद, इस क्षेत्र को कई संरचनात्मक और परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास एवं संधारणीयता में बाधा डालती हैं।

मुख्य भाग:

भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ

- **उत्पादकता और भूमि का विखंडन:** भारत में कृषि उत्पादकता पुरानी कृषि पद्धतियों और सीमित मशीनीकरण के कारण बाधित है।
  - उत्तराधिकार कानूनों के कारण भूमि का विखंडन (औसत भूमि आकार सत्र 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर सत्र 2015-16 में 1.15 हेक्टेयर रह गया है), जिससे किसानों के लिये बड़े पैमाने पर मितव्ययिता हासिल करना या आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाना कठिन हो गया है।
- **ऋण तक अपर्याप्त अभिगम:** किसानों, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को प्राय: सख्त संपार्श्विक आवश्यकताओं और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण औपचारिक ऋण तक सीमित अभिगम का सामना करना पड़ता है।
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी फसल बीमा योजनाओं का जागरूकता की कमी, विलंबित दावों और कम कवरेज के कारण कम उपयोग की गई हैं।
- **मानसून पर निर्भरता:** भारतीय कृषि मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भर है, जो अनियमित और असमान रूप से वितरित होती है। मानसून में विलंब या विफलता से फसलें खराब होती हैं, जल की कमी होती है और कृषि संकट बढ़ता है।
- **मूल्य में उतार-चढ़ाव:** बाज़ार तक पहुँच एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से लघु किसानों के लिये जो प्राय: मंडियों में बिचौलियों के शोषण के शिकार होते हैं या उच्च परिवहन लागत का सामना करते हैं।
  - अकुशल भंडारण व अपर्याप्त बाज़ार संपर्क जनित मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को फसल के दौरान कम कीमत और ऑफ-सीज़न में उच्च कीमतों का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **बुनियादी अवसंरचना की कमी:** भंडारण सुविधाओं और कोल्ड चेन जैसे अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना की वजह से आपूर्ति शृंखला प्रभावित होती है तथा उपज को समय पर बाज़ारों तक पहुँचाने में बाधा आती है। आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान बहुत अधिक हैं।

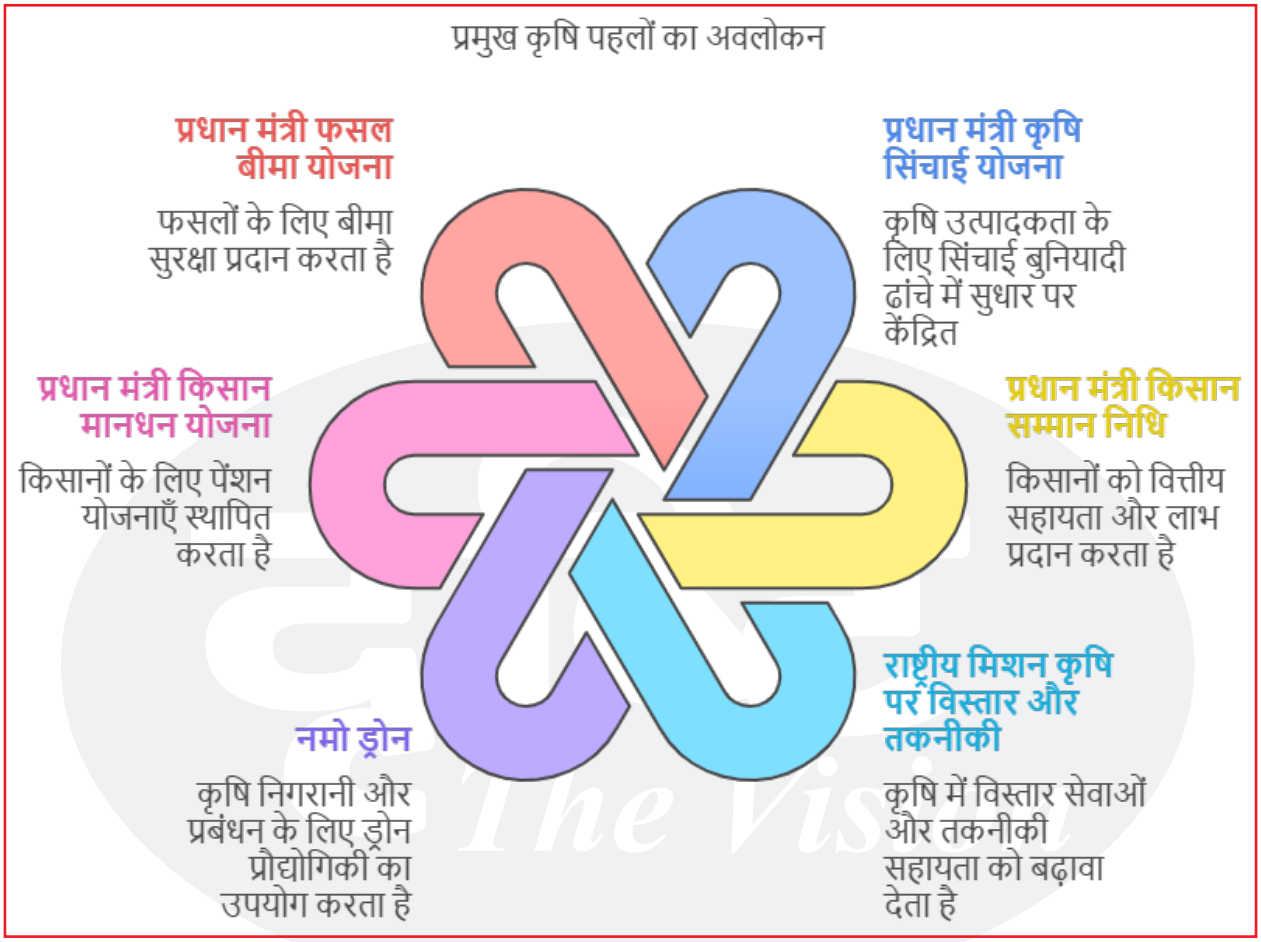

भारतीय कृषि में चुनौतियों से निपटने के उपाय

- विविधीकरण और फसल बीमा: एकल फसल पर निर्भरता कम करने तथा मौसम और मूल्य में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
  - PMFBY जैसी फसल बीमा योजनाओं को सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना चाहिये, मौसम आधारित बीमा योजनाओं का कवरेज बढ़ाया जाना चाहिये।
  - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को सरल बनाया जाना चाहिये और आसान ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिये।
- **कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना:** उत्पादकता बढ़ाने और श्रम लागत को कम करने के लिये मशीनीकरण (जैसे: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, परिशुद्ध कृषि के लिये ड्रोन) का प्रयोग शुरू किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर समर्पित कृषि इंजीनियरिंग के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

- **भूमि सुधार और चकबंदी:** अनुबंध कृषि मॉडल और कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे लघु किसानों को अपने संसाधनों को एकत्र करने तथा बेहतर कीमतों पर सौदाकारी करने में मदद मिल सके।
- **कृषि बाज़ारों को सुदृढ़ करना:** अधिक किसान उत्पादक बाज़ार (FPM), प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता मॉडल स्थापित किया जाना चाहिये और नीतियों को लागू किया जाना चाहिये जो बिचौलियों पर निर्भरता कम करने तथा किसानों के लिये बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु मूल्यवर्द्धित उत्पादों (जैविक खाद्य) को प्रोत्साहित करते हैं।
  - आवश्यक फसलों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, जिससे बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर किसानों की निर्भरता कम हो।
- **संधारणीय कृषि:** वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिये वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों (जैसे: ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर प्रणाली) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये जैविक कृषि एवं जैव-उर्वरकों के उपयोग की ओर रुख करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वित्तीय अभिगम में सुधार, कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण और बाज़ार संबंधों को सुदृढ़ करके कृषि क्षेत्रक को किसानों के लिये अधिक संधारणीय, उत्पादक एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। नीतियों, बुनियादी अवसंरचना के विकास एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका कृषि क्रांति को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगी।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनती जा रही है। साइबरस्पेस की सुरक्षा में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे को सुनिश्चित करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर सुरक्षा के महत्त्व को परिभाषित कीजिये।
- भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये तथा साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक कदम भी सुझाइये।
- एक व्यापक दृष्टिकोण के लिये सिफारिश के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

साइबर सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ शासन, रक्षा और वाणिज्य को तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं। वर्ष 2026 तक डिजिटल सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान देने का अनुमान है, बढ़ते साइबर खतरे डेटा, बुनियादी अवसंरचना और संवहनीयता को खतरे में डालते हैं, जिससे निरंतर विकास एवं सुरक्षा के लिये सुदृढ़ साइबर सुरक्षा आवश्यक हो जाती है।

मुख्य भाग:

साइबरस्पेस की सुरक्षा में भारत के समक्ष चुनौतियाँ:

- साइबर खतरों की प्रकृति: 'साइबर ख़तरों' की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें पहचानना (detect) और निष्पादन में आसानी के कारण उनके स्रोत का पता लगाना कठिन होता है।
  - वर्ष 2022 में 14.91 लाख साइबर घटनाएँ दर्ज की गईं, जो वर्ष 2021 से 11% अधिक है (CERT-In)।
- साइबर अपराधियों की विकसित होती तकनीकें: साइबर अपराधी दिन-प्रतिदिन अधिक अद्यतन होते जा रहे हैं, वे रैनसमवेयर को सेवा के रूप में (RaaS) और साइबरक्राइम-ए-सर्विस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे गैर-विशेषज्ञों के लिये भी हमला करना आसान हो गया है। वे 'रैंसमवेयर एज़ ए सर्विस' (RaaS) और 'साइबरक्राइम एज़ ए सर्विस' जैसी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अब साइबर हमले करना एक तरह की सेवा के रूप में उपलब्ध हो गया है। इसके कारण, गैर-विशेषज्ञों अर्थात् जो लोग तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके लिये भी साइबर अटैक करना आसान हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उदाहरण के लिये, LockBit और अकीरा जैसे रैनसमवेयर समूह अपने हमलों को बढ़ाने के लिये इन मॉडलों का फायदा उठाते हैं।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग: वर्ष 2023 में, ChatGPT की तरह AI का एक दुर्भावनापूर्ण संस्करण WormGPT का उपयोग फिशिंग ईमेल सहित दुर्भावनापूर्ण कंटेंट जेनरेट करने के लिये किया गया, जिससे साइबर सुरक्षा के लिये एक नई चुनौती उत्पन्न हुई।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचना: भारत की महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) असुरक्षित बनी हुई है, जैसा कि वर्ष 2022 के AIIMS रैनसमवेयर हमले से उजागर हुआ है, जिसमें संवेदनशील रोगी डेटा से समझौता किया गया था।
  - विभिन्न एजेंसियों में विखंडित साइबर सुरक्षा निगरानी के साथ-साथ बिजली ग्रिड, बैंकिंग और रक्षा क्षेत्रक को होने वाले खतरे के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- साइबर जासूसी और भू-राजनीतिक तनाव: भारत का भू-राजनीतिक परिवेश (विशेषकर शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के साथ) साइबर जासूसी के जोखिम को बढ़ाता है।
  - अब साइबर हमलों का इस्तेमाल केवल अपराध या धन कमाने के लिये नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिये भी किया जा रहा है। अर्थात् देश एक-दूसरे पर साइबर हमलों के माध्यम से दबाव बनाने, रणनीतिक बढ़त हासिल करने या अस्थिरता व्याप्त करने के प्रयास कर रहे हैं।

साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे को मज़बूत करने के लिये कदम:

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति: स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करने के अलावा, साइबर हमलों से होने वाले वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिये साइबर बीमा को एक प्रमुख उपाय माना जाना चाहिये, जिसमें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रयासों की देखरेख करेगा।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और राष्ट्रीय साइबर साक्षरता अभियानों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। साइबर स्वच्छता केंद्र जैसी पहल सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
  - साइबर फोरेंसिक में प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सत्र 2023-24 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रतिदिन 200 साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये गए।
- **सुदृढ़ कानूनी और नियामक कार्यढाँचा:** साइबर अपराधों के लिये भारत के कानूनी कार्यढाँचे को मज़बूत करना, जैसे कि IT अधिनियम, 2000, साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक कानूनी समर्थन प्रदान कर सकता है।
- **सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:** साइबर खतरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सहयोग में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये, जिसमें INTERPOL और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों के साथ अपने सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल है।

निष्कर्ष:

गुलशन राय समिति (वर्ष 2014) के अनुसार भारत की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कुछ विशेष कदम उठाने चाहिये जिसमें:

- एक समर्पित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का संगठन किया जाना चाहिये जो पूरे देश में साइबर अपराधों पर नज़र रखे, उनका विश्लेषण करे और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करे।
- विदेशी सर्वरों पर भारत की निर्भरता कम करनी चाहिये, ताकि भारतीय डेटा विदेशों में न जाए और साइबर सुरक्षा के खतरे कम हों।
- ऑनलाइन साइबर अपराध शिकायतों के लिये एक अलग एजेंसी होनी चाहिये, ताकि लोग आसानी से इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सकें और यह प्रक्रिया पुलिस नेटवर्क CCTNS से जुड़ी होनी चाहिये, ताकि कार्रवाई तेज़ और संगठित हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत में जैव प्रौद्योगिकी की बढ़ती गतिविधि में किन कारकों ने योगदान दिया है, और इस विकास से बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र को कैसे लाभ हुआ है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में जैव प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए इसकी हालिया वृद्धि और महत्व पर प्रकाश डालिए।
- जैवप्रौद्योगिकी के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें, तथा बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र को होने वाले लाभों की व्याख्या करें।
- भारत के स्वास्थ्य देखभाल विकास में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का सारांश देते हुए निष्कर्ष निकालिए।

परिचय

भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है । यह उछाल प्रमुख तकनीकी अनुसंधान में प्रगति से प्रेरित है। इस क्षेत्र ने बायोफार्मास्युटिकल उद्योग को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार में भारत का कद बढ़ा है।

शरीर:

भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देने वाले कारक:

- **निजी क्षेत्र का निवेश:** जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास , विशेषकर आनुवंशिक इंजीनियरिंग , टीकों और जैविक औषधि निर्माण में भारत की प्रगति के परिणामस्वरूप अत्याधुनिक नवाचार सामने आए हैं , जो घरेलू और वैश्विक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
  - उदाहरण के लिए; कोविड-19 टीके और नेफिथ्रोमाइसिन इन सफलताओं के उदाहरण हैं।
- **संस्थागत समर्थन और नीतियां:** भारत ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) , बायोई3 नीति और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति जैसी पहलों के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश किया है ताकि वित्तपोषण, अनुसंधान प्रोत्साहन और नवाचार के लिए वातावरण प्रदान किया जा सके।
  - जैव प्रौद्योगिकी को एक उभरते क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- **उन्नत वैश्विक बाजार पहुंच:** वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार में लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ, भारत नवीन और किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान करने का केंद्र बन रहा है।
  - देश जेनेरिक दवा बाजार में अग्रणी बनकर उभरा है ।
- **कुशल कार्यबल और अनुसंधान सुविधाएं:** भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुशल प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह है, जिसे आईआईटी, सीएसआईआर और विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी-केंद्रित संस्थानों (एसआईआई) जैसे मजबूत शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन प्राप्त है ।
  - उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग से जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उन्नति के लाभ:

- **भारत की वैश्विक फार्मा स्थिति:** भारत ने वैश्विक जैव विनिर्माण में अपनी स्थिति मजबूत की है, तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरा तथा विश्व स्तर पर 12वां स्थान प्राप्त किया है।
  - यह जेनेरिक बायोलॉजिक्स और नवीन औषधि उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है ।
  - इस क्षेत्र का निर्यात योगदान बढ़ रहा है और अनुमान है कि 2030 तक इसमें 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
- **भारत का वैक्सीन नेतृत्व:** वैक्सीन निर्माण में भारत की मजबूत क्षमताओं ने इसे "विश्व की फार्मेसी" का खिताब दिलाया है।
- यह देश वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति का 60% उत्पादन करता है तथा डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DPT) टीकों के लिए WHO की 40-70% मांग को पूरा करता है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनकर उभरा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियाँ और सुझाए गए उपाय:

चुनौतियां	आगे बढ़ने का रास्ता
जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए धीमी स्वीकृति।	त्वरित अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (एनबीआरए) जैसे केंद्रीकृत नियामक निकायों की स्थापना करें।
बायोटेक स्टार्टअप्स को फंड हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (जैसे, बायोसिमिलर)	अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करने के लिए बायोराइड जैसी योजनाओं का विस्तार करें तथा बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करें।
अपर्याप्त जैव प्रौद्योगिकी पार्क (जैसे, पूर्वी भारत में सीमित जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र)।	उपयुक्त वातावरण बनाएं और अविकसित क्षेत्रों में अधिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करें (जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015)।
नवाचारों के लिए कमजोर आईपी संरक्षण (जैसे, टीकों के पेटेंट में समस्याएं)।	पेटेंट कानून प्रवर्तन में सुधार करें, और बायोटेक-विशिष्ट आईपी सेल बनाएं।
महत्वपूर्ण कच्चे माल (जैसे, बायोफार्मास्युटिकल्स के लिए एंजाइम) के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता।	कच्चे माल के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि (जैसे, आत्मनिर्भर भारत के तहत एपीआई उत्पादन)।

निष्कर्ष:

विनियामक बाधाओं और वित्तपोषण अंतराल के बावजूद, भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र निरंतर विकास के लिए तैयार है। आईपीआर, अनुसंधान वित्तपोषण और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग में चल रहे सुधार एसडीजी 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा) के अनुरूप हैं , जो टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : भारत के आपदा प्रबंधन ढाँचे की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। बढ़ते जलवायु जोखिमों के आलोक में आपदा के प्रति तैयारी तथा अनुकूलन को मज़बूत करने के क्रम में प्रमुख सुधारों को बताइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे को परिभाषित कीजिये।
- आपदा तैयारी और मोचन के लिये इससे निपटने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।
- अंतरालों का अभिनिर्धारण कीजिये और समुत्थानशीलन में सुधार के लिये प्रमुख सुधारों का सुझाव दीजिये।

परिचय:

भारत, जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्राय: प्रभावित होता है, ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन कार्यढाँचा विकसित किया है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण जैसे कारकों के कारण इन आपदाओं के प्रति भारत की सुभेद्यता बढ़ गई है, जिससे ऐसी घटनाओं की आवृत्ति एवं गंभीरता दोनों बढ़ गई है।

मुख्य भाग:

भारत के आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे की प्रभावशीलता:

- **संस्थागत कार्यढाँचा और वित्तीय सहायता:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और ज़िला स्तरीय एजेंसियों की स्थापना से आपदाओं के दौरान समन्वय में वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) के तहत 68,463 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - इसमें से 80% राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के लिये निर्धारित की गई है, जबकि 20% राशि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDRF) को आवंटित की गई है, जो तत्काल राहत और दीर्घकालिक तैयारी दोनों पर संतुलित ध्यान को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **तैयारियों पर ध्यान देंना:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) आपदा की तैयारियों पर ज़ोर देती है, जिसमें राज्य और स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना जैसी पहलों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट) और आश्रय बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाया है।
- **सामुदायिक सहभागिता:** यह कार्यढाँचा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDM) कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाता है, जिससे आपदा मोचन अधिक समावेशी और संदर्भ-विशिष्ट बनती है।
  - 'ग्राम आपदा प्रबंधन योजना' जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहे हैं।

सीमाएँ और अंतराल:

- **अपर्याप्त जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ:** बाढ़ और सूखे जैसी जलवायु-संबंधी आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति एवं तीव्रता को वर्तमान रूपरेखाओं द्वारा पर्याप्त रूप से मोचन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें जलवायु अनुकूलन पर मज़बूत ध्यान का अभाव है।
  - सरकार ने वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के तहत 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किये, लेकिन इसका कार्यान्वयन अपर्याप्त है।
- **उभरते जोखिमों के प्रति धीमी प्रतिक्रिया:** यह कार्यढाँचा, चक्रवातों और भूकंप जैसी पारंपरिक आपदाओं के लिये तो प्रभावी है, लेकिन अपर्याप्त पूर्वानुमान एवं प्रतिक्रिया प्रणालियों के कारण, यह ग्रीष्म लहरों, शहरी बाढ़ व भूस्खलन जैसे उभरते जोखिमों से जूझता है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का कमज़ोर एकीकरण: विकास योजना में DRR के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता है।
  - पर्याप्त आपदा जोखिम आकलन के बिना शहरीकरण से प्राय: आपदाओं के दौरान असंगत क्षति होती है।

तैयारी और समुत्थानशीलन को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख सुधार:

- **जलवायु अनुकूल रणनीति:** बढ़ते जलवायु जोखिमों को देखते हुए, भारत को विकास परियोजनाओं में जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना और DRR रणनीतियों को शामिल करना चाहिये, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
  - स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन और नगरीय ऊष्मा द्वीपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना है; कार्यान्वयन के लिये तेज़ी से विस्तार की आवश्यकता है।
- **विकेंद्रीकृत आपदा प्रबंधन:** ज़िला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के विकेंद्रीकरण पर अधिक ज़ोर देने से समय पर निर्णय लेने तथा स्थानीय स्तर पर समुत्थानशीलन निर्माण में वृद्धि होगी।
  - स्थानीय प्रतिक्रिया के लिये पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की क्षमता को प्रबल किया जाना चाहिये, जिसमें अति स्थानीय मौसम पूर्वानुमान का एकीकरण भी शामिल है, ताकि ज़मीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** GIS मैपिंग, AI और उपग्रह डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर आपदा पूर्वानुमान, निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार किया जा सकता है।
  - एजेंसियों के बीच बेहतर डेटा-साझाकरण से त्वरित और अधिक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।
  - उदाहरण के लिये, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) बाढ़ पूर्वानुमान के लिये रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है, जैसा कि वर्ष 2018 में केरल बाढ़ के दौरान देखा गया था, जहाँ उपग्रह इमेजरी ने सबसे सुभेद्य क्षेत्रों को इंगित करने में मदद की थी।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** स्कूलों और समुदायों सहित निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, बेहतर तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, विशेष रूप से बाढ़, हीट-वेव्स और भूकंप जैसे निरंतर खतरों के लिये।
- बीमा और वित्तीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना: कमज़ोर समुदायों के लिये व्यापक बीमा मॉडल और वित्तीय जोखिम प्रबंधन तंत्र के गठन से आपदाओं के वित्तीय प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

भारत के आपदा प्रबंधन कार्यढाँचे ने तैयारी और मोचन प्रक्रिया में सुधार करने में प्रगति की है। उपर्युक्त सीमाओं और अंतरालों को समाप्त करने के लिये जलवायु अनुकूलन, विकेंद्रीकृत प्रबंधन और आपदा

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण की ओर बदलाव की आवश्यकता है। भविष्य की आपदाओं के प्रति जीवन और आजीविका की रक्षा के लिये एक सक्रिय, अच्छी तरह से संसाधनयुक्त एवं समुत्थानशील दृष्टिकोण आवश्यक है।

आधारिक संरचना

प्रश्न : ऊर्जा सुरक्षा में उपलब्धता, अभिगम, सामर्थ्य और पर्यावरणीय संधारणीयता शामिल है। इस तथ्य का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि भारत की ऊर्जा स्रोत विविधीकरण रणनीति ऊर्जा सुरक्षा के इन आयामों को किस हद तक सुनिश्चित करती है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परिचय में ऊर्जा सुरक्षा को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- मुख्य भाग में, डेटा/उदाहरणों के साथ समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये कि विविधीकरण किस प्रकार उपलब्धता, अभिगम, वहनीयता और संधारणीयता को सुनिश्चित करता है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ऊर्जा सांख्यिकी भारत- 2025 भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और विविध ऊर्जा मिश्रण की ओर इसके संक्रमण पर प्रकाश डालता है। विश्वसनीय उपलब्धता, न्यायसंगत अभिगम, आर्थिक वहनीयता और कम पर्यावरणीय प्रभाव द्वारा परिभाषित ऊर्जा सुरक्षा भारत के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (TPES) में 7.8% की वृद्धि एवं नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विस्तार के साथ, भारत रणनीतिक रूप से अपनी ऊर्जा समुत्थानशक्ति बढ़ा रहा है।

मुख्य भाग:

ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना:

- विविधीकरण से जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम हो जाती है तथा भू-राजनीतिक जोखिम (जैसे: वैश्विक संघर्षों के कारण तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव) कम हो जाता है।
- नवीकरणीय क्षमता 81,593 मेगावाट (वर्ष 2015) से बढ़कर 1,98,213 मेगावाट (वर्ष 2024) हो गई, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा प्रमुख योगदानकर्त्ता रहे।
- LNG, कोयला गैसीकरण और परमाणु ऊर्जा में विस्तार से बेस-लोड आपूर्ति सुदृढ़ होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की मौसमी परिवर्तनशीलता, पर्याप्त ऊर्जा भंडारण की कमी तथा धीमी गति के कारण संचरण अवसंरचना उन्नयन से ऊर्जा विश्वसनीयता के लिये जोखिम उत्पन्न होता है।

सुगम्यता में वृद्धि:

- हरित ऊर्जा कॉरिडोर, सौभाग्य योजना एवं DDUGJY ने ग्रामीण और अंतर-राज्यीय बिजली आपूर्ति में सुधार किया है।
- ऑफ-ग्रिड सोलर सॉल्यूशन और माइक्रोग्रिड दूरदराज़ के क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देते हैं।
- राज्य डिस्कॉम की वित्तीय परेशानी, बिजली चोरी और उच्च संचरण घाटा (अभी भी 17% पर) अंतिम बिंदु तक ऊर्जा वितरण को सीमित करता है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं, कुछ राज्य ग्रिड विस्तार और नवीकरणीय एकीकरण में पिछड़ रहे हैं।

वहनीयता में सुधार:

- भारत में सौर ऊर्जा की लागत विश्व में सबसे कम है, जो कि पैमाने की अर्थव्यवस्था और सरकारी प्रोत्साहनों के कारण संभव हो पाई है।
- PLI, KUSUM और UJALA योजनाएँ निम्न आय वाले परिवारों के लिये ऊर्जा की सामर्थ्य को बढ़ावा देती हैं।
- लिथियम और बैटरी भंडारण की बढ़ती लागत से भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा की सामर्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।
- बिजली दरों में क्रॉस-सब्सिडी से जहाँ कमज़ोर उपभोक्ताओं को संरक्षण मिलता है, वहीं उद्योगों और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं पर बोझ पड़ता है तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
- डिस्कॉम को निरंतर राहत निधि देने से सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ता है, जिससे स्थायी मूल्य निर्धारण सुधार मुश्किल हो जाता है।

पर्यावरणीय संधारणीयता को आगे बढ़ाना:

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,05,608 GWh (सत्र 2014-15) से बढ़कर 3,70,320 GWh (सत्र 2023-24) हो गया, जिससे कार्बन सांद्रता कम हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बायो-एनर्जी मिशन और FAME उद्योग एवं परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं।
- कोयले पर 57% ऊर्जा निर्भरता एक चुनौती बनी हुई है, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है।
- EV अंगीकरण और हाइड्रोजन अवसंरचना में धीमी प्रगति, गतिशीलता में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को सीमित करती है।
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएँ (जैसे: विस्थापन, वनों की कटाई) विस्तार को जटिल बना देती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ और अंतराल:

- बड़े पैमाने पर भंडारण समाधानों की कमी के कारण नवीकरणीय ऊर्जा में रुकावट से ऊर्जा विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की धीमी गति से अंगीकरण के कारण ट्रांसमिशन दक्षता कमज़ोर हो जाती है।
- कोयला संयंत्रों के विलंबित रूप से बंद होने तथा जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं में बढ़ते निवेश से दीर्घकालिक कार्बन अवरोध का खतरा है।
- हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण और अपतटीय पवन ऊर्जा के लिये उच्च पूंजीगत लागत बड़े पैमाने पर तैनाती में बाधा डालती है।
- भारत की महत्त्वपूर्ण खनिज निर्भरता (जैसे: बैटरी भंडारण के लिये लिथियम, कोबाल्ट) बाह्य भेद्यताओं को बढ़ाती है।
- विनियामक बाधाएँ और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की गति को धीमा कर देते हैं।

निष्कर्ष:

भारत की विविध ऊर्जा रणनीति ने उपलब्धता, अभिगम, सामर्थ्य और संधारणीयता में सुधार किया है। पूर्ण ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिये, अब ध्यान भंडारण, ग्रिड सुधार और समावेशी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर केंद्रित होना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऊर्जा परिवर्तन में कोई भी समुदाय पीछे न छूट जाए, समानता और संधारणीयता को संतुलित करने हेतु एक उचित संक्रमण कार्यढाँचा आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : एक युवा और ईमानदार IAS अधिकारी स्नेहा वर्मा, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त ज़िले में ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) की CEO के रूप में कार्यरत हैं। वह जल शक्ति अभियान के तहत एक महत्त्वपूर्ण ₹50 करोड़ की जल संरक्षण परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही हैं, जिसका उद्देश्य फसल की विफलता और बड़े पैमाने पर पलायन को रोकना है। निविदाओं को अंतिम रूप देते समय, सबसे कम बोली लगाने वाला— XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मज़बूत साख के साथ उभरता है। हालाँकि, स्नेहा को सहकर्मियों द्वारा अनौपचारिक रूप से फर्म के दूसरे राज्य में घटिया काम और रिश्वतखोरी में कथित संलिप्तता के बारे में चेतावनी दी जाती है, जबकि कोई औपचारिक दोषसिद्धि या ब्लैकलिस्ट स्थिति नहीं है।

स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब एक स्थानीय विधायक स्नेहा से मिलने आता है तथा उसे सरस्वती इंफ्रा को ठेका देने के लिये दबाव डालता है, उसे तत्काल कार्रवाई करने का हवाला देता है और उसके आगामी तबादले के परिणामों का संकेत देता है। अगली सुबह, उसे एक अज्ञात ईमेल प्राप्त होता है जिसमें फर्म द्वारा पिछली परियोजनाओं में गुणवत्ता रिपोर्ट में हेरफेर करने के कथित साक्ष्य होते हैं। ग्रामीणों को मानसून-पूर्व परियोजना के निष्पादन की प्रतीक्षा है जिसमें स्नेहा ईमानदारी सुनिश्चित करने और विलंब से बचने के बीच उलझी हुई है जो आजीविका को नुकसान पहुँचा सकती है तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया को आमंत्रित कर सकती है।

1. **मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर और उन पर चर्चा कीजिये।**
2. **स्नेहा के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिये। स्नेहा के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होगी?**
3. **दीर्घकाल में, सार्वजनिक संस्थाओं को विकासात्मक आवश्यकताओं की तात्कालिकता को संतुलित करते हुए सार्वजनिक खरीद में नैतिक अखंडता और पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिये?**

परिचय:

युवा और ईमानदार IAS अधिकारी स्नेहा को एक आवश्यक ग्रामीण विकास परियोजना के लिये निविदा प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की अज्ञात शिकायतें मिली हैं। अज्ञात आरोपों में कहा गया है कि जिस कंपनी को टेंडर मिलने वाला है— XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके पक्ष में गलत तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय विधायक (MLA) स्नेहा पर राजनीतिक दबाव बना रहा है कि इस टेंडर को वह त्वरित स्वीकृति दें।

मुख्य भाग:

1. मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कर और उन पर चर्चा कीजिये।

- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** निविदा को प्रभावित करने में विधायक की संलिप्तता प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता को कमज़ोर करती है।
  - इस तरह का हस्तक्षेप सुशासन के लिये खतरा बनता है तथा निष्पक्ष प्रशासनिक कार्यप्रणाली को विकृत करता है।
  - यह राजनीति को प्रशासनिक निर्णय लेने से अलग करने वाले स्थापित मानदंडों का भी उल्लंघन करता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** गुणवत्ता रिपोर्ट में हेरफेर से निविदा आवंटन में पारदर्शिता के बारे में गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - इससे सार्वजनिक जवाबदेही कमज़ोर होती है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के परिणाम निम्नतर हो सकते हैं।
  - सार्वजनिक प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखने के लिये पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लोक सेवा में ईमानदारी:** अनौपचारिक आरोपों को नजरअंदाज़ करने से स्नेहा की ईमानदारी पर असर पड़ सकता है तथा अनैतिक निर्णय लेने का जोखिम हो सकता है।
  - ईमानदारी बनाए रखने के लिये चिंताओं का तुरंत और निष्पक्ष तरीके से समाधान करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जनता का भरोसा समाप्त हो सकता है।
- **लोक हित और कल्याण:** उचित जाँच के बिना अनुबंध देने से लोक कल्याण और प्रभावी सेवा वितरण खतरे में पड़ जाता है।
  - ग्रामीण आजीविका के लिये इस परियोजना का महत्त्व गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में नैतिक दायित्वों को बढ़ाता है।
  - उचित सावधानी की उपेक्षा से कमज़ोर समुदायों को नुकसान पहुँचता है।
- **व्यावसायिक स्वायत्तता:** स्नेहा के स्थानांतरण से संबंधित खतरे उसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को चुनौती देते हैं।
  - इस तरह का दबाव पेशेवर स्वायत्तता को खतरे में डालता है, जो लोक सेवकों के लिये एक आवश्यक नैतिक सिद्धांत है।
  - स्वायत्तता बनाए रखने से निर्णय लेने की अखंडता की रक्षा होती है और नैतिक शासन कायम रहता है।

2. स्नेहा के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिये। स्नेहा के लिये सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्या होगी?

विकल्प 1: आरोपों को नज़रअंदाज़ करना, टेंडर को त्वरित स्वीकृति देना

- लाभ: परियोजना का तत्काल क्रियान्वयन; राजनीतिक दबाव को संतुष्ट करना; व्यक्तिगत कैरियर हितों को सुरक्षित करना।
- विपक्ष: परियोजना की गुणवत्ता को खतरा; निष्ठा से समझौता; जनता का विश्वास कमज़ोर होना; सम्भावित कानूनी दायित्व।

विकल्प 2: आरोपों पर रोक लगाकर पूरी जाँच का आदेश देना

- लाभ: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है; निष्ठा कायम रहती है; भविष्य में कानूनी या नैतिक मुद्दों में कमी आती है।
- विपक्ष: परियोजना में विलंब, ग्रामीण लाभार्थियों पर असर; व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या दंडात्मक हस्तांतरण का खतरा।

विकल्प 3: मार्गदर्शन के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से परामर्श करना

- लाभ: संस्थागत समर्थन प्राप्त होता है; व्यक्तिगत जोखिम कम होता है; वैधता और पारदर्शिता बढ़ती है।
- विपक्ष: निर्णय लेने में विलंब हो सकता है; राजनीतिक तनाव या प्रशासनिक प्रतिरोध बढ़ सकता है।

विकल्प 4: सशर्त पुरस्कार (निविदा की स्वीकृति लेकिन समानांतर जाँच शुरू करना)

- लाभ: परियोजना की तात्कालिक आवश्यकताओं और अखंडता संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाता है; विलंब को कम करता है; लचीलापन बनाए रखता है।
- विपक्ष: यदि आरोप प्रमाणित हो जाएँ तो आंशिक समझौते की संभावना; फिर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे उपयुक्त कार्यवाही (विकल्प 3 और 4 का संयोजन):

- स्नेहा को अपनी चिंताओं को पारदर्शी रूप से प्रलेखित करने तथा संस्थागत समर्थन प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक रूप से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (विकल्प 3) से परामर्श करना चाहिये।
- इसके साथ ही, उसे निविदा सशर्त प्रदान करनी चाहिये (विकल्प 4)— जिसमें स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी जाए कि अनुबंध की निरंतरता आरोपों की शीघ्र और निष्पक्ष जाँच पर निर्भर करती है।
  - यह दृष्टिकोण व्यावहारिक रूप से ईमानदारी, जवाबदेही समय पर परियोजना कार्यान्वयन और व्यक्तिगत कैरियर सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

3. दीर्घकाल में, सार्वजनिक संस्थाओं को विकासात्मक आवश्यकताओं की तात्कालिकता को संतुलित करते हुए सार्वजनिक खरीद में नैतिक अखंडता और पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिये?

- **खरीद का सुदृढ़ डिजिटलीकरण:** सार्वजनिक संस्थाओं को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये ई-टेंडरिंग प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए खरीद प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाना होगा।
  - इससे मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार न्यूनतम हो जाता है तथा निष्पक्षता या जवाबदेही से समझौता किये बिना खरीद की समयसीमा में तेज़ी आती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सुदृढ़ निरीक्षण तंत्र:** स्वतंत्र निरीक्षण निकायों या भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठों को खरीद प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी करनी चाहिये।
  - आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सख्त ऑडिट मानक होने चाहिये, जिससे बिना किसी महत्त्वपूर्ण विलंब के अनैतिक प्रथाओं का शीघ्र पता लगाने तथा उन्हें रोकने में मदद मिल सके।
- **पारदर्शी और समय पर संचार:** सभी खरीद-संबंधी जानकारी का सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसमें मानदंड, मूल्यांकन पद्धतियाँ और अनुबंध का आधार शामिल हैं, यह जनता का विश्वास बढ़ाता है।
  - इससे गलत सूचना भी कम होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप घटता है तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट होने से निर्णय लेने में तेज़ी आती है।
- **क्षमता निर्माण और नैतिक प्रशिक्षण:** लोक सेवा अधिकारियों को नैतिक खरीद प्रथाओं, प्रक्रियागत निष्पक्षता और अखंडता में नियमित रूप से प्रशिक्षण देने से संस्थाओं के भीतर नैतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
  - क्षमता निर्माण से यह सुनिश्चित होता है कि अधिकारी कार्यकुशलता से समझौता किये बिना नैतिक रूप से अत्यावश्यक विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करने में सक्षम हों।
- **संस्थागत शिकायत एवं निवारण तंत्र:** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने से हितधारकों को अपनी चिंताओं को तेज़ी से उठाने की सुविधा मिलती है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
  - कुशल और पारदर्शी निवारण प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि समय-संवेदनशील विकासात्मक दबावों के तहत भी अखंडता बरकरार रखी जाए।

निष्कर्ष:

स्नेहा को व्यावहारिक रूप से कार्य करना चाहिये, वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करके नैतिक ईमानदारी के साथ परियोजना की तात्कालिकता को संतुलित करना चाहिये और जाँच लंबित रहने तक निविदा को सशर्त रूप से स्वीकृति प्रदान करना चाहिये। पुनरावृत्ति को रोकने के लिये डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और निरीक्षण तंत्र जैसे दीर्घकालिक समाधान महत्त्वपूर्ण हैं। अंततः, नैतिक शासन के माध्यम से जनता का विश्वास बनाए रखना सर्वोपरि है।

प्रश्न : एक समर्पित और करुणाशील IAS अधिकारी अनन्या सिंह, वर्तमान में झारखंड के एक मुख्य रूप से जनजाति बहुल और अविकसित ज़िले में ज़िला कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने हाल ही में समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत एक संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिये समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर मातृ एवं बाल पोषण में सुधार करना है। इस नई प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि लाभ वितरण के दौरान आधार के माध्यम से अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य लाभ वितरण में गड़बड़ी को रोकना, फर्ज़ी लाभार्थियों को हटाना और उक्त कल्याणकारी योजना की पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाना है।

हालाँकि, क्रियान्वयन के कुछ ही सप्ताहों के भीतर, कई ज़मीनी स्तर की समस्याएँ उभरने लगती हैं। कई बुजुर्ग देखभालकर्त्ता, विशेष तौर पर माता-पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने वाली दादी-नानी (उम्र, मेहनत और स्वास्थ्य कारणों से जिनकी उंगलियों के निशान मिट चुके होते हैं) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में फिंगरप्रिंट बेमेल की समस्या से जूझती हैं। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और कार्यात्मक बायोमेट्रिक उपकरणों की कमी के कारण प्रायः लेन-देन विफल हो जाते हैं। स्थानीय आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आशा कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि 30% से अधिक पात्र लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिली है, जिससे काफी परेशानी हो रही है, विशेषकर सीमांत समुदाय के परिवारों में जो बुनियादी पोषण के लिये इस सहायता पर निर्भर हैं।

कमज़ोर समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित अनन्या ने सत्यापन के लिये अस्थायी वैकल्पिक तरीकों, जैसे कि भौतिक पहचान जाँच, मोबाइल OTP या मैन्युअल रजिस्टर रख-रखाव की अनुमति देने पर विचार

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

किया। हालाँकि, राज्य विभाग ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी है तथा सख्त केंद्रीय दिशानिर्देशों का हवाला दिया है, जो बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया के वैकल्पिक तरीकों को प्रतिबंधित करते हैं। इस बीच, एक प्रतिष्ठित स्थानीय NGO ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और मीडिया से संपर्क किया, जिसमें प्रशासन पर व्यवस्थित अपवर्जन तथा अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन का अधिकार) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।

1. **मामले में शामिल मुख्य नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।**
2. **अनन्या के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और सबसे उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दीजिये।**
3. **यह सुनिश्चित करने के लिये कि शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से कमज़ोर वर्ग वंचित न रह जाए, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?**

परिचय

झारखंड के एक जनजाति बहुल ज़िले में ICDS के तहत DBT योजना को लागू करते समय एक लोक सेवक अनन्या को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, हालाँकि पारदर्शिता के लिये है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 30% से अधिक लाभार्थी इससे अपवर्जित रह गए हैं। विरोध प्रदर्शन और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के दावे सामने आए हैं, जबकि अनन्या को जनजातीय परिवारों की तत्काल जरूरतों के साथ सख्त दिशा-निर्देशों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

हितधारक	रुचियाँ/चिंताएँ
अनन्या सिंह (ज़िला कलेक्टर)	नैतिक और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, अपवर्जन को रोकना, नियमों को करुणा के साथ संतुलित करना
गर्भवती महिलाएँ, दुग्धपान कराने वाली माताएँ, वृद्ध महिलाएँ और जनजातीय समुदाय	समय पर वित्तीय सहायता, सुलभ प्रक्रिया, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य, डिजिटल और सामाजिक समावेशन, स्थानीय वास्तविकताओं के प्रति सम्मान
आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/आशा	क्षेत्र-स्तर पर कुशल क्रियान्वयन, सामुदायिक विश्वास, तकनीकी बाधाओं में कमी
राज्य विभाग	केंद्रीय दिशानिर्देशों का अनुपालन, दुरुपयोग से बचना, डेटा इंटीग्रिटी
केंद्र सरकार	पारदर्शिता, लीकेज का उन्मूलन, आधार-आधारित जवाबदेही
NGO/ सिविल सोसाइटी	कमज़ोर समूहों की सुरक्षा, समावेशी वितरण, प्रशासनिक जवाबदेही
न्यायतंत्र	अनुच्छेद 21 को कायम रखना, कल्याणकारी वितरण में सम्मान और गैर-अपवर्जन सुनिश्चित करना

मुख्य भाग

1. मामले में शामिल मुख्य नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- **समावेशिता बनाम प्रक्रियागत अनुपालन:** अनन्या को प्रक्रियागत अनिवार्यताओं (पारदर्शिता के लिये आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) का पालन करने और कमज़ोर समूह के लाभार्थियों की समावेशिता एवं गरिमा सुनिश्चित करने के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
  - यद्यपि इस प्रणाली का उद्देश्य लीकेज को रोकना है, लेकिन इसकी तकनीकी विफलताएँ असमान रूप से सीमांत समूहों को अपवर्जित कर देती हैं, जिससे पोषण सहायता का मूल उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है।
  - सख्त अनुपालन से प्रशासनिक निष्ठा की रक्षा हो सकती है लेकिन आवश्यक सहायता से इनकार करने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने का खतरा है तथा नियम-आधारित शासन एवं लोक सेवा के बीच संतुलन को चुनौती मिल सकती है।
- **पारदर्शिता बनाम विश्वास:** यद्यपि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटा कर जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन वास्तविक प्राप्तकर्त्ताओं को धनराशि प्रदान करने में इसकी विफलता सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करती है।
  - यह विरोधाभास कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के उद्देश्य को ही चुनौती देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रशासनिक स्वायत्तता बनाम पदानुक्रमिक दबाव:** राज्य के निर्देश अनन्या के विवेक को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे विकेंद्रीकृत शासन कमज़ोर होता है।
  - स्थानीय स्तर पर समाधान के अंगीकरण में उनकी असमर्थता, क्षेत्र-स्तरीय नेतृत्व पर भरोसा करने की प्रणालीगत अनिच्छा को दर्शाती है।
- **प्रक्रिया बनाम लोक कल्याण:** प्रक्रियागत बाधाओं के कारण महत्त्वपूर्ण पोषण सहायता वितरित करने में विलंब सीधे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। परिणामों पर प्रक्रिया को प्राथमिकता देना कल्याण प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी पर प्रश्न उठाता है।

2. अनन्या के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? उनमें से प्रत्येक का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और सबसे उपयुक्त कार्यवाही का सुझाव दीजिये।

विकल्प 1: केंद्रीय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना (केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण)

- लाभ: यह केंद्रीय नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, लेखापरीक्षा आपत्तियों या अनुशासनात्मक कार्रवाई के जोखिम को कम करता है। पारदर्शिता बनाए रखता है और उच्च अधिकारियों के साथ प्रशासनिक विवादों से बचाता है।
- नुकसान: 30% लाभार्थियों को अपवर्जित रखा गया, पोषण संबंधी संकट को बढ़ाया गया तथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया गया। विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा मिला, जनता के विश्वास और प्रशासन की विश्वसनीयता पर असर पड़ा।
  - सहानुभूति की उपेक्षा करना, मानव कल्याण की अपेक्षा नियमों को प्राथमिकता देना।

विकल्प 2: बिना अनुमोदन के वैकल्पिक सत्यापन विधियों को लागू करना

- लाभ: वंचित लाभार्थियों के लिये तत्काल राहत सुनिश्चित करता है, तत्काल पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सहानुभूति और जवाबदेही प्रदर्शित करता है, संभावित रूप से विरोध को शांत करता है तथा जन-विश्वास का पुनर्निर्माण करता है।
  - अनुच्छेद 21 और सामाजिक न्याय सिद्धांतों के साथ समन्वय करते हुए समावेशिता को कायम रखता है।
- नुकसान: केंद्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ या कानूनी चुनौतियों का जोखिम।
  - यदि सख्ती से निगरानी नहीं की गई तो धोखाधड़ी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे जवाबदेही कम हो सकती है।

विकल्प 3: साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों के साथ नीतिगत लचीलेपन का समर्थन करना

- लाभ: समावेशिता के साथ अनुपालन को संतुलित करता है, कानूनी सीमाओं के भीतर प्रणालीगत परिवर्तन की मांग करता है। साक्ष्य-आधारित शासन का लाभ उठाता है, अपवर्जन दरों पर डेटा के साथ लाभ-वितरण को सुदृढ़ करता है।
- नुकसान: समय लेने वाला, लाभार्थियों को राहत मिलने में संभावित रूप से देरी। सफलता उच्च अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करती है, जो अनिश्चित है।

विकल्प 4: तत्काल सुविधा के लिये हितधारकों के साथ सहयोग करना

- लाभ: मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत समावेशिता को बढ़ाता है, अपवर्जन दरों को कम करता है। गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को शामिल करके, विरोधों को कम करके जनता का विश्वास बनाता है।
  - नियमों का उल्लंघन किये बिना तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सक्रिय शासन का प्रदर्शन करता है।
- नुकसान: संसाधन-गहन, सीमित धन और कर्मचारियों की आवश्यकता। खराब फिंगरप्रिंट या रिमोट एक्सेस जैसी समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता।
  - यह अस्थायी समाधान है, प्रणालीगत नीतिगत खामियों को दूर नहीं किया जा रहा है।

सबसे उपयुक्त कार्यवाही (विकल्प 3 और 4 का संयोजन)

अनन्या को नीतिगत लचीलेपन (विकल्प 3) के साथ तत्काल राहत के लिये हितधारक सहयोग (विकल्प 4) को मिलाकर दोहरी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है:

- **तत्काल कदम:**
  - बुजुर्ग देखभालकर्त्ताओं और दूरदराज़ के लाभार्थियों की सहायता के लिये कार्यात्मक बायोमेट्रिक डिवाइस, मोबाइल कनेक्टिविटी एवं प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये गैर सरकारी संगठनों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं के साथ अस्थायी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- प्रक्रिया को समझाने तथा गैर सरकारी संगठनों की चिंताओं का समाधान करने के लिये जनजातीय भाषाओं में जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

- **समर्थन और दस्तावेज़ीकरण:**
  - आशा कार्यकर्त्ताओं और लाभार्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपवर्जन मुद्दों (जैसे: 30% विफलता दर, फिंगरप्रिंट बेमेल, कनेक्टिविटी अंतराल) पर एक विस्तृत रिपोर्ट संकलित किया जाना चाहिये।
  - अनुच्छेद 21 और पोषण संबंधी तात्कालिकता का हवाला देते हुए, राज्य विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक हाइब्रिड सत्यापन मॉडल (जैसे: ओटीपी, असाधारण मामलों के लिये फिज़िकल ID) प्रस्तावित किया जाना चाहिये।
- **अनुपालन:**
  - पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिये सुविधा केंद्रों की निगरानी की जानी चाहिये। भविष्य में विफलताओं को रोकने के लिये बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन (इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुरक्षित डिवाइस) पर बल दिया जाना चाहिये।

तर्क: यह दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक अनुशासन के साथ सहानुभूति और समावेशिता को संतुलित करता है, प्रणालीगत परिवर्तन की मांग करते हुए तत्काल राहत सुनिश्चित करता है। यह अनन्या को अपने अधिकार का लाभ उठाने में सहायक है, जो हितधारकों को शामिल करता है, गैर-अनुपालन के जोखिमों को कम करता है और नैतिक शासन एवं लोक कल्याण के साथ संरेखित करता है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से कमज़ोर वर्ग वंचित न रह जाए, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **समावेशी प्रौद्योगिकी डिज़ाइन:**
  - जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय चुनौतियों (जैसे: बायोमेट्रिक मुद्दे, कनेक्टिविटी अंतराल) का अभिनिर्धारण करने के लिये पूर्व-कार्यान्वयन पायलट प्रोजेक्ट आयोजित किया जाना चाहिये।
  - वृद्ध जनों या विकलांगों जैसे विविध समूहों को समायोजित करने के लिये बहुविध प्रमाणीकरण (जैसे: ओटीपी, चेहरे की पहचान, फिज़िकल ID) विकसित किये जाने चाहिये।
- **सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी अवसंरचना:**
  - दूरदराज़ के क्षेत्रों में विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये BharatNet और 4G/5G रोलआउट में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।
  - अपर्याप्त इंटरनेट एक्सेस वाले क्षेत्रों के लिये ऑफलाइन प्रमाणीकरण उपकरण और पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइस तैनात किये जाने चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता:**
  - तकनीकी समस्याओं का निवारण करने और लाभार्थियों की सम्मानपूर्वक सहायता करने के लिये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं (जैसे: आशा, आँगनवाड़ी कर्मचारी) को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
  - समुदायों को शिक्षित करने के लिये स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, जिससे मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम हो। उदाहरण के लिये: डिजिटल सखी कार्यक्रम महिलाओं को ई-गवर्नेंस में ग्रामीण उपयोगकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिये सशक्त बनाता है।
- **नैतिक और कानूनी सुरक्षा:**
  - अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 (समानता) को लागू किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी बाधाओं के कारण किसी को भी कल्याण से वंचित न किया जाए।

निष्कर्ष

अनन्या सिंह को तकनीकी दक्षता और मानव-केंद्रित शासन के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हितधारक सहयोग को साक्ष्य-आधारित समर्थन के साथ जोड़कर, वह समावेशी नीति सुधारों पर जोर देते हुए जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों के लिये तत्काल राहत सुनिश्चित कर सकती है। दीर्घकालिक रूप से, सार्वजनिक संस्थानों को संदर्भ-विशिष्ट डिज़ाइन, बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन और पारदर्शी निगरानी को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि कल्याण वितरण के लिये प्रौद्योगिकी एक सक्षमकर्त्ता बन सके, न कि एक बाधा।

प्रश्न : राज्य लोक सेवा में दो दशक की सेवा के बाद, अनुभवी अधिकारी अभिषेक को एक सीमावर्ती राज्य की राजधानी में तैनात किया जाता है। उनकी माँ को हाल ही में कैंसर का पता चला है और शहर के एक प्रसिद्ध कैंसर अस्पताल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

में उनका इलाज चल रहा है। उनके किशोर बच्चों ने भी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया है। जैसे ही अभिषेक गृह विभाग के निदेशक के रूप में अपनी नई भूमिका में आते हैं, उन्हें एक गंभीर खुफिया रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पता चलता है कि पड़ोसी देश से अवैध प्रवासी राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। चिंतित होकर, वह अपनी टीम के साथ सीमा चौकियों का व्यक्तिगत रूप से औचक निरीक्षण करने का निर्णय करता है।

निरीक्षण के दौरान, अभिषेक को पता चलता है कि दो परिवार (कुल 12 व्यक्ति) भ्रष्ट सीमा सुरक्षा कर्मियों की सहायता से सीमा पार करते हुए पकड़े गए थे। आगे की जाँच से पता चलता है कि इन प्रवासियों ने देश में प्रवेश करने के बाद, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे महत्त्वपूर्ण पहचान दस्तावेज़ों को जाली/फर्ज़ी बनाया था, जिससे वे राज्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में बसने में सक्षम हो गए। अभिषेक ने सावधानीपूर्वक अपने निष्कर्षों को एक व्यापक रिपोर्ट में दर्ज किया और इसे राज्य के अतिरिक्त सचिव को प्रस्तुत किया।

एक सप्ताह बाद, अभिषेक को अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे रिपोर्ट वापस लेने का निर्देश देता है। अतिरिक्त गृह सचिव उसे सूचित करता है कि रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है और उसे चेतावनी देता है कि अनुपालन न करने पर उसे राज्य की राजधानी में प्रतिष्ठित पद से हटा दिया जा सकता है जिससे उसकी आगामी पदोन्नति भी ख़तरे में पड़ सकती है।

1. इस स्थिति में अभिषेक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ?
2. सीमावर्ती राज्य में गृह विभाग के निदेशक के रूप में अभिषेक के पास क्या विकल्प हैं और प्रत्येक संभावित विकल्प का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
3. अभिषेक को कौन-सा विकल्प चुनना चाहिये और क्यों ?
4. प्रत्येक संभावित विकल्प का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

परिचय:

एक वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी अभिषेक, एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में गृह विभाग के निदेशक के रूप में तैनात है। व्यक्तिगत तनाव, अपनी माँ के कैंसर और अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा से निपटने के दौरान, वह सीमा अधिकारियों के बीच अवैध प्रवास एवं भ्रष्टाचार से जुड़े एक गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाता है। एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उसे अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा इसे वापस लेने के लिये दबाव डाला जाता है, साथ ही उसकी नौकरी और पद के लिये निहित धमकियाँ भी दी जाती हैं।

हितधारक	चिंताएँ/रुचियाँ
अभिषेक (निदेशक, गृह विभाग)	राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, परिवार कल्याण के प्रति कर्त्तव्य।
अवैध प्रवासी	बुनियादी आजीविका, सुरक्षा, उत्पीड़न से बचना।
भ्रष्ट सीमा कार्मिक	अवैध गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ।
राज्य प्रशासन	राजनीतिक संवेदनशीलता, प्रशासनिक स्थिरता और सार्वजनिक छवि प्रबंधन।
संघ सरकार	राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा अखंडता, पहचान प्रणालियों की वैधानिकता।

1. इस स्थिति में अभिषेक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ?

- ईमानदारी बनाम व्यक्तिगत हित: अभिषेक को कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के अपने कर्त्तव्य, कॅरियर एवं पारिवारिक स्थिरता की रक्षा करने की इच्छा के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
  - अपनी माँ की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन पर अपने निजी जीवन एवं व्यावसायिक दायित्वों के बीच चयन करने का दबाव है।
- जनहित बनाम संस्थागत दबाव: अभिषेक ने जिस अवैध प्रवासन और भ्रष्टाचार को उजागर किया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दे हैं, फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट वापस लेने का दबाव जनता की सेवा करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उनके कर्त्तव्य के साथ टकराव करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- कानून का शासन बनाम प्रशासनिक पदानुक्रम के प्रति वफादारी: अभिषेक को सिस्टम के भीतर अवैध कार्यों को उजागर करने का काम सौंपा गया है, लेकिन उसे अपने वरिष्ठों (अतिरिक्त गृह सचिव) के प्रति वफादारी और अवैध कार्यों की रिपोर्ट करने के अपने संवैधानिक कर्त्तव्य के बीच नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है।

2. सीमावर्ती राज्य में गृह विभाग के निदेशक के रूप में अभिषेक के पास क्या विकल्प हैं और प्रत्येक संभावित विकल्प का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

विकल्प 1: दबाव में रिपोर्ट वापस लेना

- लाभ: इससे व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों की रक्षा होती है, जिसमें नौकरी और कॅरियर में स्थिरता शामिल है तथा राज्य की राजधानी में निरंतर नियुक्ति एवं पदोन्नति सुनिश्चित होती है।
- विपक्ष: अपने संवैधानिक कर्त्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A) का उल्लंघन करता है तथा भ्रष्टाचार एवं अवैधता को प्रोत्साहित करता है, जो जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।
  - सच्चाई को छुपाकर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक कल्याण से समझौता करने का जोखिम है तथा लोक सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है।

विकल्प 2: मामले को उच्च अधिकारियों (जैसे: मुख्य सचिव, राज्यपाल या केंद्र सरकार) **तक ले जाना**

- लाभ: भ्रष्टाचार और अवैध प्रवासन को रोक कर राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता को बनाए रखता है। नैतिक नेतृत्व का प्रदर्शन करता है, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
  - समस्या के समाधान के लिये संस्थागत तंत्र (जैसे: केंद्रीय सतर्कता आयोग, गृह मंत्रालय) का उपयोग किया जाता है।
  - यह नैतिक साहस और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही इससे तत्काल कार्रवाई में विलंब हो या प्रशासनिक प्रतिरोध आकर्षित हो।
- विपक्ष: विभाग के भीतर तनाव बढ़ता है, जिससे वरिष्ठों के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। उच्च व्यक्तिगत जोखिम जैसे कि कॅरियर विकास में रुकावट या उसके खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की संभावना।
  - प्रशासनिक बाधाएँ इस मुद्दे के समाधान को धीमा कर सकती हैं।

विकल्प 3: रिपोर्ट को संशोधित करना और जाँच को गुप्त रूप से जारी रखना

- लाभ: व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को प्रबंधित करने के लिये समय मिलता है, साथ ही समस्या का समाधान भी होता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुले टकराव से बचा जा सकता है, जिससे तत्काल परिणाम कम से कम हो सकते हैं।
- विपक्ष: आंशिक सत्य या चूक जाँच की अखंडता को कमज़ोर कर सकती है।
  - प्रणालीगत मुद्दों को सीधे संबोधित न करके दीर्घकालिक जवाबदेही को कमज़ोर करने की संभावना है।

विकल्प 4: पीछे हटने से इनकार करना और संभावित नतीजों के लिये तैयार रहना

- पक्ष: संवैधानिक नैतिकता और लोक सेवा नैतिकता को कायम रखता है तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अवैध प्रवासन मुद्दे को पूरी तरह से निपटाया जाए।
  - नैतिक शासन पर द्वितीय ARC अनुशंसाओं के अनुरूप।
- विपक्ष: उच्च व्यक्तिगत लागत, नौकरी छूटना, स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
  - संभावित व्यावसायिक अस्थिरता और व्यक्तिगत त्याग के कारण पारिवारिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

(c) अभिषेक को कौन-सा विकल्प चुनना चाहिये और क्यों?

अभिषेक को विकल्प 2 और विकल्प 4 का संयोजन अपनाना चाहिये।

- उन्हें रिपोर्ट वापस लेने से मना कर देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना उनके पेशेवर कर्त्तव्य का उल्लंघन होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। साथ ही, उन्हें इस मामले को मुख्य सचिव, राज्यपाल या केंद्र सरकार जैसे उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना चाहिये।
- इससे उन्हें कानूनी रूप से स्वयं को सुरक्षित रखने और संस्थागत सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ इस मुद्दे को पूरी तरह से दस्तावेजित करने का अवसर मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ऐसा करके, वह यह सुनिश्चित करते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे और अवैध कार्यों पर ध्यान दिया जाए, भले ही इसके लिये उन्हें अपने व्यक्तिगत एवं कॅरियर संबंधी हितों की कीमत चुकानी पड़े।

निष्कर्ष

रिपोर्ट वापस लेने से इनकार करना और मामले को आगे बढ़ाना संवैधानिक दायित्वों, नैतिक अपेक्षाओं और राज्य तथा जनता के दीर्घकालिक हितों को संतुष्ट करता है। हालाँकि व्यक्तिगत रूप से चुनौतीपूर्ण, यह दृष्टिकोण सुशासन और नैतिक नेतृत्व के सिद्धांतों के अनुरूप है जिसे लोक सेवाओं को बनाए रखना है। जैसा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उचित कहा है: ***"लोक कल्याण सर्वोच्च कानून है।"*** अभिषेक को, एक लोक सेवक के रूप में, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके कार्य सभी से ऊपर सार्वजनिक कल्याण को बनाए रखें।

प्रश्न : वरिष्ठ लोक सेवक अरविंद मेहता वर्तमान में वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग के प्रमुख हैं। उनका प्रभाग वर्तमान में विभिन्न राज्यों को बजटीय सहायता आवंटित करने में कार्यरत है, जिनमें से चार राज्यों में चालू वित्त वर्ष के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं।

नवीनतम केंद्रीय बजट के अनुसार, राष्ट्रीय आवास योजना (NHS) के लिये ₹8,300 करोड़ से अधिक आवंटित किये गए थे, जो एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमज़ोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। जून तक, इस योजना के तहत ₹775 करोड़ पहले ही वितरित किये जा चुके थे।

इसके समानांतर, वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक दक्षिणी राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना पर काम कर रहा था। केंद्र एवं राज्य के बीच करीब दो वर्ष के परामर्श के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में अपनी मंजूरी दे दी और तब से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एक अन्य घटनाक्रम में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) ने क्षेत्रीय गैस ग्रिड को समर्थन देने के लिये एक उत्तरी राज्य में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रस्ताव रखा था, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक अनिवार्य तत्त्व है। परियोजना के लिये भूमि पहले से ही उपलब्ध है तथा तीन चरणों की वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी M/s XYZ हाइड्रोकार्बन्स को अनुबंध प्रदान किया गया। भुगतान की पहली किस्त दिसंबर के लिये निर्धारित है।

इन दो प्रमुख विकास परियोजनाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त ₹6,000 करोड़ की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित किया गया है कि इस राशि को NHS बजट से पुनर्विनियोजित किया जाए। इस पुनर्आवंटन के लिये अनुमोदन मांगने वाली फाइल को जाँच और प्रसंस्करण के लिये बजट प्रभाग को भेजा गया था।

फाइल की समीक्षा करने पर, अरविंद मेहता चिंतित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि NHS द्वारा धन आवंटन रोकने से इसके कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है, एक ऐसी योजना जिसे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों द्वारा व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया है और जो चुनावी प्रतिबद्धताओं से निकटता से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, SEZ और गैस प्लांट को धन आवंटन में विलंब से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। अपने वरिष्ठों के साथ इस मुद्दे को उठाने पर, अरविंद को सलाह दी गई कि यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसे बिना विलंब किये तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

1. **कल्याणकारी कार्यक्रम से विकास परियोजनाओं के लिये धन के पुनर्आबंटन में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।**
2. **सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के मद्देनजर अरविंद मेहता के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? क्या अपने पद से इस्तीफा देना उचित या नैतिक कदम होगा?**

वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग का नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित लोक सेवक अरविंद मेहता को दो प्रमुख विकास परियोजनाओं— एक SEZ और एक प्राकृतिक गैस संयंत्र के लिये राष्ट्रीय आवास योजना (NHS) से ₹6,000 करोड़ का पुनर्आवंटन करने को लेकर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि NHS सीमांत समुदायों का समर्थन करता है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

तथापि विकास परियोजनाएँ महत्त्वपूर्ण आर्थिक और कूटनीतिक महत्त्व रखती हैं। अरविंद को उनकी चिंताओं के बावजूद बिना विलंब किये के फंड पुनर्आवंटन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है।

हितधारक	चिंताएँ/रुचियाँ
अरविंद मेहता (लोक सेवक)	पारदर्शिता, निष्पक्षता और वित्तीय विवेकशीलता बनाए रखने का कर्त्तव्य।
NHS के लाभार्थी	किफायती आवास और समावेशी कल्याण तक समय पर पहुँच का अधिकार।
वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय	विकास परियोजनाओं का बिना किसी विलंब के सफल क्रियान्वयन।
राजनीतिक नेतृत्व	जनता की धारणा को प्रबंधित करना और चुनावी वादों को पूरा करना।
अंतर्राष्ट्रीय हितधारक (MNC)	संविदात्मक दायित्वों और भारत की वैश्विक विश्वसनीयता पर भरोसा।

1. कल्याणकारी कार्यक्रम से विकास परियोजनाओं के लिये धन के पुनर्आवंटन में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये।

- **जनहित और राजनीतिक दबाव:** अरविंद को राष्ट्रीय आवास योजना (NHS) के माध्यम से सीमांत समुदायों के कल्याण को बनाए रखने तथा आर्थिक और कूटनीतिक लाभ के लिये विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने वाले राजनीतिक निर्देशों का पालन करने के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
- **विधि का शासन:** कल्याणकारी योजना से धन का पुनर्आवंटन करने से सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धताओं (अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्त्वों) को नुकसान पहुँचने का खतरा है।
  - अरविंद को संवैधानिक मूल्यों का पालन करने और सुविधाजनक, राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यों के बीच नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
- **पारदर्शिता बनाम प्रशासनिक अनुपालन:** पूरी तरह से जाँच किये बिना धन के दुरुपयोग में तेज़ी लाने का दबाव पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को चुनौती देता है।
  - अरविंद को जनता का विश्वास बनाए रखने और आंतरिक प्रशासनिक दबावों के आगे झुकने के बीच नैतिक विसंगति का अनुभव होता है।
- **उपयोगितावादी दुविधा बनाम आर्थिक लाभ:** अरविंद इस बात से जूझ रहे हैं कि क्या SEZ तथा ऊर्जा अवसंरचना विकास के दीर्घकालिक आर्थिक और कूटनीतिक लाभ NHS में विलंब से होने वाले अल्पकालिक नुकसान को नैतिक रूप से उचित ठहरा सकते हैं, जो सीधे तौर पर कमज़ोर आबादी को प्रभावित करता है।
- **पेशेवर सत्यनिष्ठा बनाम कॅरियर सुरक्षा:** यह स्थिति अरविंद की पेशेवर सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेती है तथा उसे व्यक्तिगत कॅरियर उन्नति और स्थायित्व के विचारों के विरुद्ध खड़ा करती है।
  - नैतिक शासन को कायम रखने से पेशेवर जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जबकि अनुपालन से लोक सेवक के रूप में उनकी नैतिक जिम्मेदारी से समझौता हो सकता है।

2. सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के मद्देनजर अरविंद मेहता के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? क्या अपने पद से इस्तीफा देना उचित या नैतिक कदम होगा?

विकल्प 1: निर्देशानुसार पुनर्विनियोजन को मंजूरी देना

- लाभ: धन का पुनर्विनियोजन, खाद्य वितरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे अत्यावश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये समय पर वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करता है, अल्पकालिक नकदी प्रवाह संबंधी समस्याओं का समाधान करता है तथा आवश्यक सेवाओं में विलंब को रोकता है।
- विपक्ष: अन्य क्षेत्रों से धन का पुन: आवंटन करके, यह मूल बजट आवंटन को बाधित करता है और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन की अखंडता को कमज़ोर करता है। इससे भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित वित्तीय घाटे हो सकते हैं।

विकल्प 2: आधिकारिक तौर पर अनुमोदन और आपत्तियों को दर्ज करने से इनकार करना

- पक्ष: कमज़ोर वर्गों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और कर्त्तव्य को कायम रखता है तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत असहमति दर्ज करके अरविंद को कानूनी रूप से संरक्षण देता है।
  - बजटीय आवंटन के लिये संसदीय जवाबदेही का सम्मान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- नुकसान: प्रशासनिक अप्रसन्नता, स्थानांतरण या कॅरियर में ठहराव का खतरा।
  - निर्णय लेने में विलंब हो सकता है।

विकल्प 3: वैकल्पिक समाधान तलाशना (चरणबद्ध पुनर्विनियोजन, अतिरिक्त वित्तपोषण स्रोत)

- लाभ: वैकल्पिक समाधान जैसे चरणबद्ध पुनर्विनियोजन, अतिरिक्त वित्तपोषण स्रोत कल्याण और विकास लक्ष्यों दोनों में संतुलन स्थापित करते हैं तथा रचनात्मक समस्या समाधान एवं नेतृत्व का प्रदर्शन करते हैं।
  - यह कमज़ोर समूहों को होने वाली हानि को न्यूनतम करता है।
- विपक्ष: वैकल्पिक समाधान राजनीतिक तात्कालिकता को संतुष्ट नहीं कर सकता है और इसके लिये जटिल अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता होगी, जिससे तत्काल निर्णय लेने में विलंब हो सकता है।

विकल्प 4: विरोध स्वरूप इस्तीफा देना

- पक्ष: अरविंद ने पद से इस्तीफा दे दिया, पूर्ण नैतिक प्रतिबद्धता कायम रखते हुए अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ एक कड़ा संदेश भेजा।
- विपक्ष: अरविंद को उस प्रभावशाली पद से हटा दिया गया जहाँ वह नैतिक निर्णय लेना जारी रख सकते थे।
  - इसे व्यवस्था में भीतर से सुधार लाने के अवसर को त्यागने के रूप में देखा जा सकता है।

अनुशंसित कार्यवाही:

- उन्होंने पुनर्आवंटन प्रस्ताव पर आधिकारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिये, जिसमें कल्याण संबंधी प्राथमिकताओं के उल्लंघन का हवाला दिया जाए तथा NHS को नुकसान पहुँचने पर सरकार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताया जा सकता है।
- वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाना चाहिये, जैसे चरणबद्ध वित्तपोषण या अन्यत्र गैर-महत्त्वपूर्ण व्यय का अभिनिर्धारण करना, जिससे राजकोषीय विवेकशीलता कायम रहे।
- पारदर्शिता से संवाद करना: कल्याणकारी निधियों के दुरुपयोग में शामिल संवैधानिक और नैतिक जोखिमों के संदर्भ में उच्च अधिकारियों से संवाद करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि चाणक्य ने बुद्धिमानी से कहा था, *'राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिये जैसे वह अपने बच्चों की करता है।'* अरविंद के संदर्भ में यह सिद्धांत विशेष रूप से प्रासंगिक है। एक नेता होने के नाते, अरविंद को सीमांत समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिये, भले ही राजनीतिक दबाव उसे इसके विपरीत करने को कहें। धन के अनैतिक विचलन का विरोध करके तथा व्यावहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके, अरविंद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास लक्ष्य और वंचितों का कल्याण दोनों सुरक्षित रहें। निबंध का विषय

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : आप 'विवेक' और 'नैतिक तर्क' से क्या समझते हैं? वे लोक सेवा में नैतिक निर्णय लेने को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- विवेक और नैतिक तर्क की प्रासंगिकता के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- विवेक और नैतिक तर्क को परिभाषित कर उनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिये।
- सार्वजनिक जीवन में नैतिक निर्णय लेने पर अपना प्रभाव बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता के क्षेत्र में, विशेष तौर पर लोक सेवा में, निर्णय लेना केवल वैधानिकता या नीति का मामला नहीं है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का भी मामला है। दो प्रमुख आंतरिक क्षमताएँ जो ऐसे नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती हैं, वे हैं विवेक और नैतिक तर्क।

मुख्य भाग:

'विवेक'

विवेक अंत: करण या आंतरिक नैतिक दिशासूचक है जो किसी व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में मार्गदर्शन करता है। यह प्राय: अपराधबोध, शर्म या गर्व की भावनाओं के रूप में प्रकट होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के कार्य उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह सहज बोधपूर्ण, व्यक्तिपरक और प्राय: भावनात्मक रूप से आवेशित होता है।
- इमैनुअल कांट जैसे विचारकों ने इसे एक 'नैतिक क्षमता' के रूप में संदर्भित किया है जो एक आंतरिक न्यायालय के रूप में कार्य करती है।

'नैतिक तर्क'

नैतिक तर्क, नैतिक सिद्धांतों, मानदंडों और तार्किक विश्लेषण को लागू करके किसी दिये गए परिस्थिति में क्या सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन करने की तर्कसंगत और विचार-विमर्शपूर्ण प्रक्रिया है।

- यह संज्ञानात्मक, वस्तुनिष्ठ और स्थितिजन्य रूप से प्रतिक्रियाशील है।
- यह व्यक्ति को प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों या कर्त्तव्यों का मूल्यांकन करने में सहायक है, विशेष रूप से जटिल दुविधाओं में।

विवेक और नैतिक तर्क के बीच अंतर

पहलू	अंत: करण	नैतिक तर्क
प्रकृति	भावनात्मक, सहज	तर्कसंगत, विश्लेषणात्मक
आधार	आंतरिक मूल्य	नैतिक सिद्धांत, सिद्धांत, तर्क
निर्णय लेने में भूमिका	आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है	नैतिक दुविधाओं को तार्किक रूप से हल करने में मदद करता है
परिसीमन	पक्षपातपूर्ण या अविकसित हो सकता है	भावनात्मक रूप से अति-विश्लेषणात्मक या भिन्न हो सकते हैं

लोक प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने पर प्रभाव:

लोक प्रशासन में नैतिक निर्णय लेने के लिये विवेक और नैतिक तर्क दोनों की आवश्यकता होती है ताकि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष एवं प्रभावी शासन सुनिश्चित किया जा सके।

- **व्यक्तिगत ईमानदारी को सुनिश्चित करना**
  - विवेक से प्रेरित एक लोक सेवक में अनैतिक आदेशों, भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव से प्रभावित होने की संभावना कम होती है।
  - उदाहरण: सत्येंद्र दुबे नामक इंजीनियर ने जोखिमों के बावजूद स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया, यह नैतिक विवेक पर आधारित कार्य था।
- **प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों में संतुलन**
  - लोक सेवकों को प्राय: दुविधाओं का सामना करना पड़ता है– जैसे पारदर्शिता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून बनाम करुणा या व्यवस्था बनाम स्वतंत्रता।
  - नैतिक तर्क उपयोगितावाद, कर्त्तव्यवाद, या सदाचार नैतिकता जैसी संरचना के माध्यम से ऐसे परस्पर विरोधी मूल्यों का आकलन करने में मदद करता है।
  - उदाहरण: कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने का निर्णय लेने के लिये सावधानीपूर्वक नैतिक तर्क की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकारों एवं दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
- **मानवतावाद के साथ कानून के शासन को बढ़ावा देना**
  - विवेक कानूनों के कठोर अनुप्रयोग को रोकता है और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
  - उदाहरण: एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी गरीब सड़क विक्रेता पर भारी जुर्माना लगाने के बजाय विवेक का प्रयोग करना विवेक के प्रभाव को दर्शाता है।
- **सार्वजनिक विश्वास का निर्माण**
  - नागरिक न केवल कुशल बल्कि नैतिक शासन की अपेक्षा करते हैं।
  - कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिक रूप से तर्कसंगत निर्णय वैधता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष:

इसलिये एक नैतिक लोक सेवक को संवेदनशील विवेक और नैतिक तर्क के एक मज़बूत ढाँचे दोनों को विकसित करना चाहिये। एक लोक सेवक की असली परीक्षा सिर्फ सही काम करने में नहीं है, बल्कि सही कामों को सही तरीके— एक ऐसा काम जो तभी संभव है जब आत्मा (विवेक) और दिमाग (नैतिक तर्क) दोनों मिलकर काम करें से करने में है।

प्रश्न : समकालीन शासन और प्रशासन में गांधीवादी नैतिकता की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

हल करने का दृष्टिकोण:

- गांधीवादी नैतिकता के बारे में जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत दीजिये।
- गांधीवादी नैतिकता के मूल सिद्धांत और उनकी समकालीन प्रासंगिकता बताइये।
- समकालीन चुनौतियों में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन, जो सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, आत्म-अनुशासन और दूसरों की सेवा पर आधारित है, शासन एवं लोक प्रशासन के लिये एक नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में काम करता है।

मुख्य भाग:

गांधीवादी नैतिकता के मूल सिद्धांत और उनकी समकालीन प्रासंगिकता

- **सत्य – पारदर्शी शासन की नींव**
  - गांधीजी का मानना था कि सत्य को लोक-प्रशासन का मार्गदर्शन करना चाहिये। शासन में, इसका अर्थ पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्ठा है।
  - उदाहरण: RTI अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली के पीछे की सच्चाई से अवगत कराता है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- **अहिंसा – सद्भाव और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना**
  - अहिंसा केवल शारीरिक अहिंसा नहीं है बल्कि सम्मान, सहिष्णुता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व भी है।
  - उदाहरण: सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली पहल, जैसे ऑपरेशन सद्भावना और समन्वय के माध्यम से संघर्ष समाधान, गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **सर्वोदय (सभी का कल्याण) और ट्रस्टीशिप-समावेशी विकास**
  - गांधीजी की सर्वोदय की अवधारणा सबसे कमज़ोर लोगों के उत्थान का आह्वान करती है।
    - उदाहरण: अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाएँ समाज के सबसे वंचित वर्गों को लक्षित करके इस लोकाचार को प्रतिबिंबित करती हैं।
  - इसके अलावा, गांधीजी ने यह भी कहा कि धन और शक्ति को समुदाय के कल्याण के लिये ट्रस्ट में रखा जाना चाहिये।
    - उदाहरण: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत CSR दायित्व जिम्मेदार व्यावसायिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।
- सादगी और आत्म-अनुशासन – लोक सेवकों का नैतिक आचरण
  - गांधीजी ने अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत किया और दिखाया कि नेतृत्व के लिये तपस्या, आत्म-संयम और नैतिक साहस की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण: ई. श्रीधरन (भारत के मेट्रो मैन) जैसे प्रशासकों ने गांधीवादी मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए सादगी और जन-सेवा का जीवन जिया।
- **स्वराज और विकेंद्रीकरण**
  - गांधीजी का स्वराज का विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था बल्कि सशक्त स्थानीय स्वशासन था।
    - उदाहरण: पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना करने वाले 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, गांधीजी के ग्राम गणराज्यों और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के दृष्टिकोण से गहनता से मेल खाते हैं।

समकालीन चुनौतियों में प्रासंगिकता:

समकालीन मुद्दा	गांधीवादी नैतिक समाधान
भ्रष्टाचार	सत्य, आत्म-अनुशासन और लोक सेवा की भावना से प्रेरित
वातावरण संबंधी मान भंग	सादगी, स्थिरता और प्रकृति के प्रति सम्मान
उपभोक्तावाद और असमानता	ट्रस्टीशिप और स्वैच्छिक रूप से आवश्यकताओं में कमी
प्रशासनिक निष्पक्षता	दयालु शासन और सेवक नेतृत्व

निष्कर्ष:

हालाँकि आज शासन में तकनीक, संस्थाओं और वैश्विक अंतरनिर्भरता का प्रभाव है, लेकिन गांधीवादी नैतिकता मानवीय गरिमा, लोक सेवा और नैतिक जिम्मेदारी में निहित शाश्वत सिद्धांत प्रदान करती है। शासन में गांधीवादी आदर्शों को पुन: जीवंत करना एक कदम पीछे हटना नहीं है, बल्कि वास्तव में नैतिक और सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवा की ओर एक उन्नति है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये लोक प्रशासन में जवाबदेही आवश्यक है। मूल्यांकन कीजिये कि लोक सेवा में जवाबदेही किस प्रकार सुशासन में योगदान देती है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन और सुशासन के संदर्भ में जवाबदेही को परिभाषित कीजिये।
- परीक्षण कीजिये कि यह किस प्रकार पारदर्शिता, दक्षता, नैतिकता और विश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरणों के साथ इसकी पुष्टि कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

लोक प्रशासन में जवाबदेही लोक सेवा अधिकारियों के नैतिक दायित्व को दर्शाती है ताकि वे पारदर्शिता, ईमानदारी व जवाबदेही के साथ काम करें और अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता एवं उचित निगरानी संस्थानों दोनों को स्पष्ट औचित्य प्रदान करें। सुशासन की प्रणाली में, जवाबदेही मौलिक है क्योंकि यह संसाधनों के प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करती है, जो नागरिकों के कल्याण के लिये आवश्यक है।

"जवाबदेही से जिम्मेदारी का सृजन होता है।"

-स्टीफन कोवे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

जवाबदेही लोक प्रशासन की कुंजी है:

- **पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना:** लेखा-परीक्षण, निष्पादन समीक्षा और सार्वजनिक जाँच जैसे जवाबदेही तंत्र एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहाँ लोक सेवा अधिकारियों द्वारा लिये गए निर्णय मूल्यांकन के लिये खुले होते हैं, जिससे संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है।
  - उदाहरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना समय पर निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से लीकेज को कम करती है।
- **नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना:** लोक सेवा अधिकारी जो जवाबदेह होते हैं, उनके नैतिक मानदंडों का पालन करने और भ्रष्ट आचरण से बचने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके कार्यों पर नज़र रखी जा रही है। इससे बेहतर शासन और सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है।
  - उदाहरण के लिये: मनरेगा के तहत, सामाजिक लेखा-परीक्षण अनिवार्य है, जहाँ ग्रामीण यह आकलन करते हैं कि उनके क्षेत्र में धन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी और ठेकेदार समुदाय के प्रति जवाबदेह हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है तथा पारदर्शिता बढ़ती है।
- **सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक समानता को मज़बूत करना:** जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक संसाधनों का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिससे धोखाधड़ी कम हुई है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ है।
- **बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करना:** जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जिम्मेदार हैं, जिससे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण हो सके।
  - स्वच्छ भारत मिशन का सफल कार्यान्वयन स्थानीय निकायों को स्वच्छता प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिये जवाबदेह बनाकर संभव हो सका।

निष्कर्ष

संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और जनता के विश्वास को दृढ़ करने के लिये लोक प्रशासन में जवाबदेही अपरिहार्य है। यह सुशासन प्राप्त करने के लिये अभिन्न अंग है, क्योंकि यह समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखता है, अंततः यह सुनिश्चित करता है कि जनता की भलाई के लिये संसाधनों का सदुपयोग हो।

प्रश्न : नैतिक शासन के लिये व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर कर्त्तव्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक शासन और पेशेवर कर्त्तव्यों के साथ व्यक्तिगत मूल्यों को संतुलित करने के महत्त्व का परिचय दीजिये।
- समझाइये कि किस प्रकार व्यक्तिगत मूल्य लोक सेवकों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नैतिक तर्क उनके पेशेवर कर्त्तव्यों में निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं।
- निष्कर्ष में इस बात पर बल दीजिये कि नैतिक शासन को बनाए रखने के लिये व्यक्तिगत मूल्यों को व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

परिचय

नैतिक शासन का तात्पर्य ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सरकार के प्रशासन से है, जहाँ निर्णय न केवल कानूनी आवश्यकताओं द्वारा बल्कि नैतिक विचारों द्वारा भी निर्देशित होते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर कर्त्तव्यों के बीच संतुलन यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि लोक सेवक अपने नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।

मुख्य भाग:

नैतिक शासन में व्यक्तिगत मूल्यों और व्यावसायिक कर्त्तव्यों में संतुलन:

- **व्यक्तिगत मूल्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं:** एक लोक सेवक के व्यक्तिगत मूल्य, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और न्याय, उनके कार्यों को निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, हितों के टकराव या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने से बचने के लिये इन व्यक्तिगत मान्यताओं को उनके पेशेवर कर्त्तव्यों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

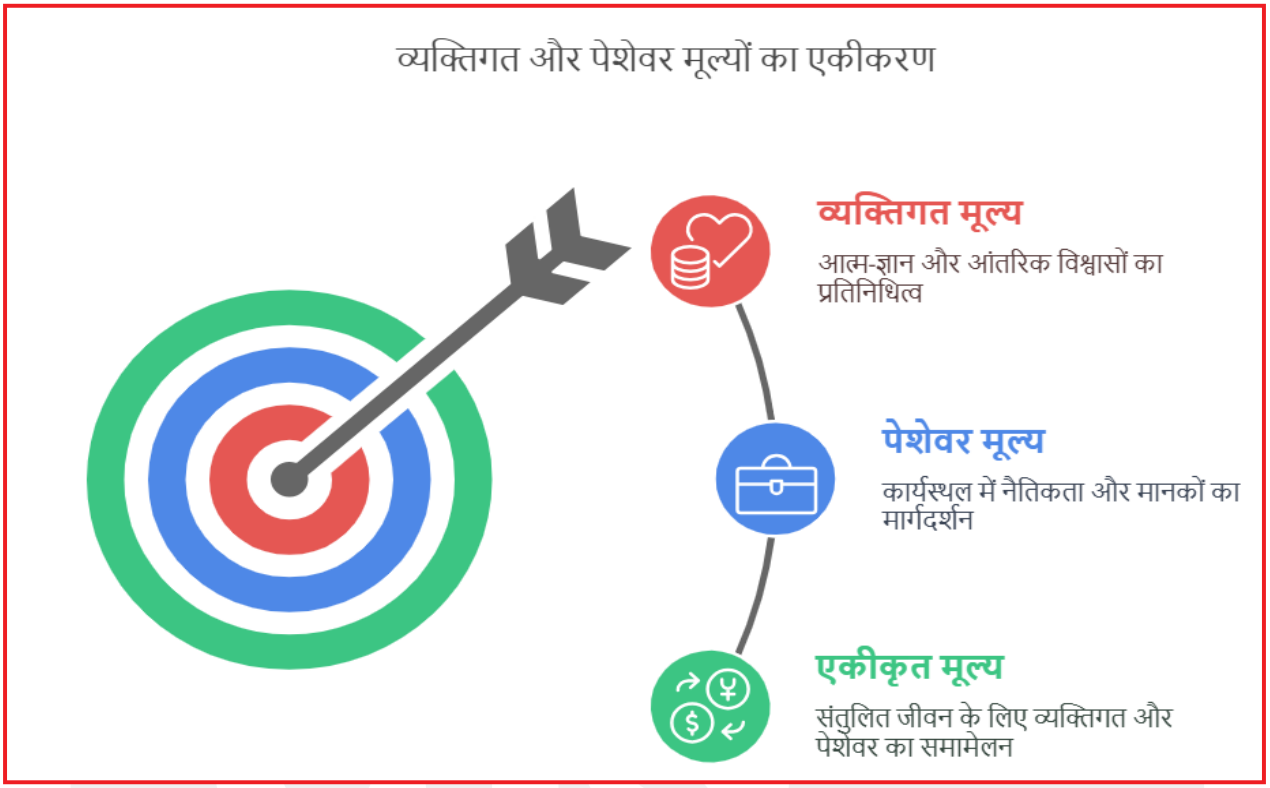

- उदाहरण: एक लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण संरक्षण की अखंडता में विश्वास कर सकता है। हालाँकि, औद्योगिक विकास के बारे में निर्णय लेते समय, अधिकारी को आर्थिक कारणों पर विचार करते हुए अपने व्यक्तिगत पर्यावरणीय मूल्यों को पेशेवर कर्त्तव्य के साथ संतुलित करने की आवश्यकता होती है।

- **निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करना:** नैतिक शासन के लिये यह आवश्यक है कि लोक सेवक अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं की परवाह किये बिना निष्पक्षता और स्पष्टता के सिद्धांतों को बनाए रखें। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किये जाएँ।
  - उदाहरण: एक ऐसे न्यायाधीश पर विचार कीजिये जिसकी सामाजिक मुद्दे पर मज़बूत व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत विचारों के बावजूद, न्यायाधीश को कानून के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय सुनाना चाहिये, निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये और न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिये।
- **शासन में नैतिक समुत्थानशीलन को बढ़ावा देना:** ईमानदारी और करुणा जैसे व्यक्तिगत मूल्य दबाव या कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए समुत्थानशक्ति बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - दृढ़ नैतिक आधार वाले लोक सेवा अधिकारी भ्रष्टाचार या अनैतिक प्रथाओं का विरोध करने की अधिक संभावना रखते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत या व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने पर भी।
- IAS अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने क्राउडफंडिंग का उपयोग करके मणिपुर में बिना सरकारी फंडिंग के 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर नैतिक शासन का उदाहरण पेश किया है। उनकी पहल निस्वार्थता, ईमानदारी और लोक सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष

नैतिक शासन के लिये व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर कर्त्तव्यों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। लोक सेवकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी व्यक्तिगत मान्यताएँ निष्पक्ष और उचित तरीके से जनता की सेवा करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के बजाय उससे समझौता करें। व्यक्तिगत ईमानदारी और पेशेवर जिम्मेदारी दोनों को बनाए रखकर, लोक सेवक विश्वास, जवाबदेही एवं नैतिक शासन को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रश्न : नैतिकता के उन प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिये जो पेशेवर परिस्थितियों में मानव व्यवहार और नैतिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिकता को परिभाषित कीजिये तथा इसके प्रमुख आयाम का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।
- मानव व्यवहार एवं निर्णय-निर्माण को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये तथा उदाहरण देते हुए बताइये कि नैतिक सिद्धांत किस प्रकार व्यावसायिक निर्णय-निर्माण को निर्देशित करते हैं।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता उन सिद्धांतों को संदर्भित करती है जो व्यक्तियों के व्यवहार और निर्णय-निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि "क्या सही है और क्या गलत।" इसमें मानक नैतिकता, मेटा-एथिक्स, टेलीओलॉजी, डेऑन्टोलॉजी और एप्लाइड एथिक्स जैसे विभिन्न आयाम शामिल हैं, जो सभी पेशेवर सेटिंग्स में कार्यों का मूल्यांकन करने तथा जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये रूपरेखा प्रदान करते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिकता के प्रमुख आयाम:

- मानक नैतिकता: सही और गलत व्यवहार के लिये मानक स्थापित करने तथा नैतिक आचरण के लिये दिशानिर्देश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - उदाहरण: भारत का CAG सरकारी व्यय का निष्पक्ष ऑडिट करके नैतिक मानकों का पालन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।
- कर्त्तव्य-परायणता: परिणामों की परवाह किये बिना नैतिक कर्त्तव्यों और नियमों का पालन करने पर ज़ोर देती है।
  - उदाहरण: राजनीतिक दबाव के बावजूद भी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये लोक सेवक चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) का पालन करते हैं।
- मेटा-एथिक्स: इसके तहत नैतिक सिद्धांतों की प्रकृति, उत्पत्ति एवं अर्थ का अन्वेषण किया जाता है, जैसे कि नैतिकता व्यक्तिपरक है या सार्वभौमिक, इस पर बहस और वैश्विक मानव अधिकारों के संदर्भ में चर्चा।
  - उदाहरण: एक परा-नैतिक बहस यह हो सकती है कि "क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक सार्वभौमिक मानव अधिकार (सार्वभौमिकता) है?" या "क्या इसका महत्त्व संस्कृतियों के बीच भिन्न (सांस्कृतिक सापेक्षवाद) होता है?"
- उद्देश्यवाद (Teleology): इसमें परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्यों के परिणामों के आधार पर उनकी नैतिकता का आकलन किया जाता है।
  - उदाहरण: कल्याणकारी सुधारों को लागू करते समय व्यापक हित पर विचार करने वाला नीति-निर्माता।
- व्यावहारिक नैतिकता: नैतिक सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर लागू करता है, जिसमें व्यापार, चिकित्सा और पर्यावरण नैतिकता शामिल है।
  - उदाहरण: नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का अंगीकरण।

व्यावसायिक सेटिंग में नैतिक निर्णय लेना:

- परिणामों और कर्त्तव्यों में संतुलन: टेलीओलोजी/उद्देश्यवाद और डेऑन्टोलॉजी/कर्त्तव्यशास्त्र पेशेवरों को उनके कार्यों के परिणामों को उनके नैतिक कर्त्तव्यों के साथ संतुलित करने में मदद करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- लोक कल्याण सुनिश्चित करने वाले प्रशासक को प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करते समय कानूनी नियमों को भी कायम रखा जाता है।

- नैतिक मानक स्थापित करना: मानक नैतिकता पेशेवरों को उनके व्यवहार में नैतिक मानकों को स्थापित करने और उनका पालन करने के लिये रूपरेखा प्रदान करती है।
  - एक लोक सेवक निर्णय लेने और संसाधन आवंटन में शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखता है।
- जटिल परिदृश्यों में अनुप्रयोग: अनुप्रयुक्त नैतिकता चिकित्सा, कानून या व्यवसाय जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नैतिक दुविधाओं को हल करने में पेशेवरों का मार्गदर्शन करती है।
  - उदाहरण: हेलसिंकी घोषणा में चिकित्सा अनुसंधान के लिये नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें मानव विषयों की सुरक्षा और अनुसंधान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित की गई है।

व्यावसायिक सेटिंग में नैतिक निर्णय लेने में चुनौतियाँ:

- परस्पर विरोधी हितधारक लाभ: प्रतिस्पर्द्धी हितों के बीच संतुलन बनाना, जैसे कि लागत में कटौती करते हुए कर्मचारी कल्याण को बनाए रखना।
- वैश्विक सांस्कृतिक विविधताएँ: विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नैतिक मानकों की उपस्थिति, जो बहुराष्ट्रीय निगमों में एक समान नैतिक प्रथाओं को बनाए रखना जटिल बनाती है।
- पारदर्शिता बनाम गोपनीयता: पारदर्शिता सुनिश्चित करने की चुनौती, जो कभी-कभी गोपनीयता की आवश्यकता के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती है या संगठनों को सार्वजनिक जाँच के दायरे में ला सकती है।
- अनुपालन की लागत: नैतिक प्रथाओं को लागू करना, जैसे कि ESG मानकों (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) का पालन करना, महंगा हो सकता है, विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों के लिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि पॉटर स्टीवर्ट ने सटीक रूप से कहा, "नैतिकता का तात्पर्य यह जानना है कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है।" यह व्यवसायों के भीतर पारदर्शी आचार संहिता स्थापित करने के महत्त्व को उजागर करता है। ऐसे सिद्धांतों का पालन करके, पेशेवर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके निर्णय न केवल कानूनी रूप से सही हों, बल्कि नैतिक रूप से भी जिम्मेदार हों।

प्रश्न : निष्पक्षता का सिद्धांत अच्छे शासन के लिये मौलिक है। मूल्यांकन कीजिये कि निष्पक्षता लोक प्रशासन की प्रभावशीलता में किस प्रकार योगदान देती है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन में निष्पक्षता और उसके महत्त्व को परिभाषित कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि निष्पक्षता किस प्रकार पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाती है तथा नीति कार्यान्वयन में सुधार लाने में इसकी भूमिका के उदाहरणों के साथ इसकी पुष्टि कीजिये।
- प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिये निष्पक्षता के महत्त्व पर बल देते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

निष्पक्षता से तात्पर्य निष्पक्ष व्यवहार से है, जहाँ निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रहों या पक्षपात के बजाय वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किये जाते हैं। एक निष्पक्ष निर्णयकर्त्ता सभी व्यक्तियों या समूहों के साथ समान व्यवहार करता है और व्यक्तिगत विश्वासों या बाह्य प्रभावों के बावजूद कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

मुख्य भाग:

सुशासन में निष्पक्षता की भूमिका:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाता है: निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निर्णय लें, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम सामने आएँ। असमान परिस्थितियों की स्थिति में, निष्पक्षता को समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों द्वारा पूरक बनाया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिये विशिष्ट लाइनें या सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन।
- जवाबदेही को बढ़ावा देता है: निष्पक्षता भ्रष्ट आचरण के प्रति सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। जब निर्णय निष्पक्ष रूप से किये

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

जाते हैं, तो लोक सेवक व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का कुशल और नैतिक उपयोग सुनिश्चित होता है।

- उदाहरण: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CEC) जैसे भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जाँच करते समय अधिकारी निष्पक्ष रहें।

- सार्वजनिक विश्वास को दृढ़ करता है: एक निष्पक्ष प्रशासन यह सुनिश्चित करके अधिक समावेशिता को बढ़ावा देता है ताकि नीतियों और संसाधनों का आवंटन राजनीतिक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय आवश्यकता के आधार पर किया जाए।
  - उदाहरण: मनरेगा कार्यक्रम का निष्पक्ष कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करके सीमांत समुदायों को सशक्त बना सकता है।
- नैतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना: निष्पक्षता लोक सेवकों के बीच नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है तथा उन्हें निष्पक्ष, न्यायसंगत और समतापूर्ण निर्णय लेने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- उदाहरण के लिये; टी.एन. शेषन (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त) ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाकर तथा चुनावी कदाचार पर अंकुश लगाकर निर्णय लेने में निष्पक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

लोक प्रशासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय:

- नैतिक प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना: लोक सेवकों, निर्वाचित अधिकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिये नैतिकता, निष्पक्षता एवं संघर्ष समाधान पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये।
  - उदाहरण: राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) लोक सेवकों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करता है और मिशन कर्मयोगी लोक सेवा में ईमानदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता पर आधारित है।
- व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को मज़बूत करना: प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार या पक्षपात की घटनाओं की रिपोर्ट करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिये मज़बूत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से अधिक व्यक्तियों को इसमें सहयोग करने और पक्षपातपूर्ण या अनुचित प्रथाओं को उजागर करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये; व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये लागू किया गया था जो सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का खुलासा करते हैं।
- विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सार्वजनिक कार्यालय और निर्णय लेने वाली संस्थाएँ विविधतापूर्ण एवं समावेशी हों, जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हों। इससे समरूप समूहों से उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद मिलेगी।
  - उदाहरण: भारत में आरक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित सीमांत समुदायों को शासन में महत्त्व दिया जाए और निर्णय किसी विशेष समूह के पक्ष में न हों।

निष्कर्ष:

शासन में निष्पक्षता बढ़ाने के लिये संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जबकि MGNREGA में सामाजिक ऑडिट सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। ऐसे उपायों को लागू करने से पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, जिससे लोक प्रशासन में विश्वास और वैधता बढ़ती है।

प्रश्न : मानव विकास को आकार देने में दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। एक लोक सेवक प्रभावी सेवा के लिये आवश्यक उचित दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित कर सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मानव विकास और लोक सेवा में दृष्टिकोण की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि एक लोक सेवक प्रभावी सेवा के लिये आवश्यक उचित दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित कर सकता है।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

दृष्टिकोण एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो लोगों, परिस्थितियों या मुद्दों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करती है तथा किसी व्यक्ति की मान्यताओं और पूर्व अनुभवों से प्रभावित होती है। मानव

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विकास के संदर्भ में, दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित करता है कि व्यक्ति और संस्थाएँ समानता, समावेशन एवं सशक्तीकरण जैसे मुद्दों पर किस प्रकार नज़रिया रखती हैं। लोक सेवा में एक सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नैतिक निर्णय लेने और समावेशी शासन को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक न्याय एवं समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होती है।

मुख्य भाग:

लोक सेवाओं के लिये उचित दृष्टिकोण विकसित करने के तरीके:

- सहानुभूति का अभ्यास करना: लोक सेवा के लिये उपयुक्त दृष्टिकोण, जैसे कि करुणा, सहिष्णुता, निष्पक्षता और जवाबदेही, को ज़मीनी स्तर पर संपर्क, नागरिक प्रतिक्रिया, अनुभवी सहकर्मियों से सीख लेना, आत्म-चिंतन, मूल्य-आधारित प्रशिक्षण व नागरिक-केंद्रित शासन के लिये दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।
  - प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना: लोक सेवकों को प्राय: नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और राष्ट्रीय प्रतीकों से प्रेरणा प्राप्त करने से नैतिक स्पष्टता मिल सकती है।
    - महात्मा गांधी (सत्य और अहिंसा), सरदार पटेल (राष्ट्र निर्माण) और जवाहरलाल नेहरू (वैज्ञानिक स्वभाव और लोकतांत्रिक आदर्श) जैसे नेता संतुलित एवं सिद्धांतबद्ध दृष्टिकोण को विकसित करने के लिये मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
  - समस्या-समाधान दृष्टिकोण का अंगीकरण: लोक सेवा में समाधान-उन्मुख मानसिकता महत्त्वपूर्ण है, जहाँ चुनौतियाँ विविध और जटिल होती हैं। आर्मस्ट्रांग पाम जैसे अधिकारी सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना सड़क बनाकर इसका उदाहरण देते हैं।
  - नैतिक आधार पर दृढ़ संकल्प: सांविधिक नैतिकता (न्याय, समानता, गरिमा) और गांधीवादी मूल्यों में दृढ़ संकल्प नैतिक सेवा को बढ़ावा देता है।
- आत्म-जागरूकता और नैतिक चिंतन का अभ्यास नकारात्मक प्रभावों के प्रति समुत्थानशक्ति का निर्माण करता है। निष्पक्षता, पारदर्शिता और तटस्थता के साथ जुड़ा हुआ दृष्टिकोण जनता के विश्वास को मज़बूत करता है।
- नैतिक मूल्यों का अंगीकरण: ईमानदारी, निष्ठा, जिम्मेदारी और पारदर्शिता जैसे मूल मूल्यों को लोक सेवक के दृष्टिकोण का नैतिक आधार बनाना चाहिये।
- मिशन कर्मयोग- I, द्वितीय ARC रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप, व्यवहारिक और मनोवृत्तिगत परिवर्तन लाने के लिये निरंतर अधिगम को बढ़ावा देता है।
- देशभक्ति का भाव जगाना: राष्ट्र सेवा की गहरी भावना प्रतिबद्धता और समर्पण को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर राष्ट्रीय हित को बनाए रखना लोक सेवा की भावना को दृढ़ करता है।

निष्कर्ष:

एक व्यक्ति की पहचान उसके दृष्टिकोण से होती है और यह बात राष्ट्र निर्माण के लिये कार्य करने वाले लोक सेवक के लिये विशेष तौर पर सत्य है। करुणा और समस्या-समाधान के दृष्टिकोण को विकसित करके, एक लोक सेवक कुशल, समावेशी एवं जिम्मेदार शासन के लिये आवश्यक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है।

प्रश्न : "अंतत: अंतर्मन की सत्यनिष्ठा के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है।" यह उद्धरण सत्यनिष्ठा और बाह्य प्रभावों के बीच संबंध के बारे में क्या बताता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उद्धरण की व्याख्या कीजिये और ईमानदारी के नैतिक महत्त्व को समझाइये।
- व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और बाह्य दबावों के बीच संघर्ष पर चर्चा कीजिये।
- प्रासंगिक उदाहरण दीजिये और लोक सेवा में आंतरिक दृढ़ विश्वास के महत्त्व के साथ निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

राल्फ वाल्डो इमर्सन का यह कथन, "अंतत: अंतर्मन की सत्यनिष्ठा के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है।", बाह्य प्रभावों पर व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की प्रधानता को रेखांकित करता है। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि बदलते सामाजिक मानदंडों, बाह्य दबावों एवं परिस्थितिजन्य चुनौतियों के बीच, किसी व्यक्ति के लिये अंतिम मार्गदर्शक शक्ति उसकी अपनी अंतरात्मा की अटूट सत्यनिष्ठा और नैतिक स्पष्टता होनी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

अंततः अंतर्मन की सत्यनिष्ठा पवित्र है:

- आंतरिक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में सत्यनिष्ठा: सत्यनिष्ठा नैतिक सिद्धांतों पर आधारित विचार, वाणी और कार्य के बीच एकरूपता है।
  - लोक सेवा के संदर्भ में, जहाँ एक लोक सेवक को प्रायः राजनीतिक दबावों, प्रशासनिक पदानुक्रमों या जनमत से संबंधित परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है।
  - ऐसी परिस्थितियों में, यह व्यक्ति के अंतर्मन की सत्यनिष्ठा ही है जो एक ढाल के रूप में कार्य करती है तथा इन दबावों के बावजूद नैतिक आचरण बनाए रखने में सहायता करती है।
    - सत्येंद्र दुबे और अशोक खेमका इस बात के उदाहरण हैं कि किस प्रकार अटूट सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार को चुनौती दे सकती है तथा लोक सेवा में प्रणालीगत प्रतिरोध पर विजय प्राप्त कर सकती है।
- दृढ़ विश्वास, न कि अंध अनुपालन: यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक और संस्थागत दबावों के प्रति अंध अनुपालन के प्रति सावधान करता है। सच्चा नैतिक आचरण मात्र अनुपालन से नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत नैतिक निर्णय और गहरे व्यक्तिगत विश्वास से उत्पन्न होता है।
- न्यायपूर्ण शासन का एक स्तंभ के रूप में सत्यनिष्ठा: यह उद्धरण गांधीवादी आदर्श 'अंत्योदय' के (अंततः व्यक्ति की सेवा भावना) के साथ भी सामंजस्य रखता है, जिसे नैतिक सत्यनिष्ठा का एक मापदंड माना जा सकता है।
  - जब निर्णय सुविधावाद के बजाय ईमानदारी और विवेक से निर्देशित होते हैं, तो शासन अधिक मानवीय, समावेशी एवं न्यायोचित हो जाता है।

निष्कर्ष:

यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि सच्चे नैतिक आचरण की उत्पत्ति बाह्य नियमों से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंतः करण से होती है। लोक सेवा के क्षेत्र में, मानसिक सत्यनिष्ठा ही नैतिक शासन की आधारशिला है, जो जनविश्वास को उत्पन्न करती है और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : आत्मा एक उपवन और युद्ध-क्षेत्र दोनों है।

- **अपने निबंध को बेहतर बनाने के लिये उद्धरण:**
  - कार्ल युंग: "जो बाहर देखता है, वह स्वप्न देखता है; जो भीतर (आत्म) झाँकता है, वह जागता है।"
  - महात्मा गांधी: "स्वयं को खोजने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है—स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना।"
  - मार्कस ऑरेलियस: "तुम्हारा नियंत्रण अपने मन (आत्म) पर है, बाह्य घटनाओं पर नहीं। इस सत्य को जानकर ही तुम सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हो।"
- **दार्शनिक पक्ष:**
  - **स्व (आत्म/आत्मा) की द्वैत प्रकृति**
  - व्यक्ति के भीतर एक साथ दो स्तरों पर अस्तित्व होता है —
    - आत्म एक उपवन (आश्रयस्वरूप) के रूप में: यह आत्म-चिंतन, पहचान, मूल्यबोध, नैतिक दिशा और आत्मिक उपचार का केंद्र होती है।
    - युद्धक्षेत्र के रूप में आत्म: यह आत्मा के भीतर इच्छाओं व कर्त्तव्यों, भय व साहस, अहं और विनम्रता, मूल्यों व प्रलोभनों के बीच अंतर्द्वंद को दर्शाती है।
  - **मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण**
    - कार्ल युंग का 'छाया स्व/आत्म' सिद्धांत: युंग के अनुसार, स्व/आत्मा के वे अज्ञात और दमित पक्ष जो अचेतन पहलू होते हैं, यदि स्वीकार न किये जाएँ तो आंतरिक द्वंद्व का कारण बनते हैं। लेकिन यदि उन्हें समझकर एकीकृत किया जाए, तो व्यक्तित्व की संपूर्णता प्राप्त की जा सकती है।
  - **आध्यात्मिक और नैतिक व्याख्याएँ**
    - भारतीय दर्शन में आत्मा (आत्मन्): भारतीय चिंतन में आत्मा शांत, चिरस्थायी और दिव्य मानी जाती है। किंतु वह माया (भ्रम) और अविद्या (अज्ञान) से परे तभी पहुँच सकती है जब व्यक्ति आंतरिक संघर्ष से गुज़रे तथा आत्मबोध प्राप्त करे।
    - भगवद् गीता का संदर्भ: कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाह्य संग्राम नहीं है, बल्कि अर्जुन के अंतर्मन में चल रहे नैतिक द्वंद्व का प्रतीक है। यह स्वयं के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म, कर्त्तव्य और मोह के संघर्ष को दर्शाता है।
- **संबंधित ऐतिहासिक और समकालीन विश्व उदाहरण:**
  - **इतिहास में महान नेताओं के आंतरिक संघर्ष**
    - महात्मा गांधी: हिंसा बनाम अहिंसा, सत्य बनाम राजनीतिक आवश्यकता के साथ उनका निरंतर संघर्ष, स्वयं के भीतर नैतिक संघर्ष का उदाहरण है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि आत्मा में चलने वाला नैतिक द्वंद्व कैसे व्यक्ति की सोच और कार्यों को दिशा देता है।
    - अब्राहम लिंकन: अमेरिका के इस राष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठा और दासप्रथा के विरुद्ध नैतिक कर्त्तव्य के बीच गंभीर द्वंद्व का सामना करना पड़ा। उनके निर्णय उनके अंतरात्मा के युद्धक्षेत्र का ही परिणाम हैं।
  - **संविधान और राष्ट्रीय स्व**
    - भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश की आदर्शवादी आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है — जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों का 'अभयारण्य' अर्थात् आश्रय है। लेकिन व्यावहारिक राजनीति में ये मूल्य प्राय: संघर्ष का केंद्र बन जाते हैं, जहाँ सिद्धांत और सत्ता में संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होता है।
  - **नागरिक अधिकार आंदोलनों में आत्मिक संघर्ष:**
    - मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने व्यक्तिगत पीड़ा को नैतिक स्पष्टता का आधार बनाया। उन्होंने आंतरिक क्रोध और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा को एक नैतिक आश्रय में रूपांतरित किया।
  - **समकालीन विश्व दुविधा**
    - मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक द्वंद्व: आज का व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और पहचान के संकट से जूझ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आधुनिक जीवन का संघर्ष अब बाह्य से अधिक आंतरिक हो गया है, जहाँ मन स्वयं एक युद्धभूमि बन चुका है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सोशल मीडिया और दोहरा व्यक्तित्व**
  - डिजिटल युग में ऑनलाइन पहचान वास्तविक आत्म से भिन्न होती है, जिससे आंतरिक संघर्ष और असंतुलन उत्पन्न होता है। स्वीकृति और मान्यता की होड़ व्यक्ति को आत्म-संदेह व चिंता की स्थिति में पहुँचा देती है।
- **सार्वजनिक सेवा में नैतिक दुविधाएँ**
  - प्रशासनिक अधिकारी एवं जननेता प्राय: व्यक्तिगत अंतरात्मा और संस्थागत आदेशों के बीच दुविधा का अनुभव करते हैं। ऐसे में उनका 'स्व' नैतिक मूल्यों का युद्धक्षेत्र बन जाता है।
- **व्यक्तिगत मनोविज्ञान:**
  - आश्रय के रूप में आत्मा: ध्यान, आत्मचिंतन, अध्यात्म और लेखन जैसे माध्यमों से व्यक्ति आंतरिक स्थिरता और शांति की खोज़ करता है।
  - घर्ष क्षेत्र के रूप में आत्मा: दबी हुई भावनाएँ, अपराधबोध, आघात और वैचारिक भ्रम व्यक्ति के भीतर तनाव एवं द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, जिन्हें सुलझाना आवश्यक होता है।

निष्कर्षत:, जब व्यक्ति अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करता है, तो वही आत्मा जो पहले युद्धक्षेत्र थी, एक शांति-संकुल बन जाती है। यहीं से आत्मिक प्रबलता और नैतिक स्पष्टता का जन्म होता है, जो न केवल व्यक्ति को संबल देती है, बल्कि समाज को भी दिशा प्रदान करती है।

प्रश्न : शक्ति प्रतिरोध में नहीं, बल्कि सहिष्णुता में निहित होती है।

- **अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:**
  - नेल्सन मंडेला: "मेरी सफलता से मेरा मूल्यांकन मत करो, यह देखो कि मैं कितनी बार गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ।"
  - विक्टर फ्रेंकल: "जब हम किसी स्थिति को बदलने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हमें स्वयं को बदलने की चुनौती मिलती है।"
  - जापानी कहावत: "सात बार गिरो, लेकिन आठवीं बार उठो।"
  - महात्मा गांधी: "शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अडिग इच्छाशक्ति से उत्पन्न होती है।"
- **सैद्धांतिक आयाम:**
  - **प्रतिरोध बनाम सहिष्णुता/समुत्थानशक्ति**
    - प्रतिरोध से तात्पर्य विरोध या अवज्ञा से है, जो प्राय: निरंतर दबाव के कारण लंबे समय तक टिक नहीं पाता।
    - इसके विपरीत, सहिष्णुता/समुत्थानशक्ति वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समाज आघात को सहन करता है, परिस्थितियों के अनुसार ढलता है और पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ता से उभरता है। समुत्थानशक्ति स्टोइक दर्शन के साथ संरेखित होती है, जिसमें बाह्य घटनाओं की अपेक्षा आंतरिक नियंत्रण पर ज़ोर दिया जाता है।
  - सकारात्मक मनोविज्ञान के अनुसार सहिष्णुता को मानसिक शक्ति का ऐसा भंडार माना गया है जिसे व्यक्ति संकट या आघात के समय सक्रिय करता है।
  - न्यूरोप्लास्टिसिटी से तात्पर्य मस्तिष्क की वह क्षमता से है, जिससे वह स्वयं को पुन: संगठित करता है — यह जैविक स्तर पर सहिष्णुता/समुत्थानशक्ति का परिचायक है, न कि केवल प्रतिरोध मात्र का।
  - नैतिक पक्ष: जब व्यक्ति दबाव, संकट या दुविधा के समय भी अपने मूल्यों को बनाए रखता है, तो यह विद्रोह नहीं बल्कि नैतिक सहिष्णुता/समुत्थानशक्ति कहलाता है। यह मौन शक्ति, स्थायित्व और दीर्घकालिक प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:**
  - **भारत का स्वतंत्रता संग्राम**
    - गांधीजी के सत्याग्रह का अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक विरोध से अधिक सहिष्णु व दृढ़ था, जिसमें जेल यात्राएँ, दमन, प्रतिबंध—इन सबके बावजूद आंदोलन अहिंसात्मक और धैर्यपूर्ण बना रहा।
    - दांडी मार्च (वर्ष 1930): यह कोई शस्त्रयुक्त संघर्ष नहीं था, बल्कि प्रतीकात्मक सविनय अवज्ञा थी, जिसमें धैर्य और नैतिक दृढ़ता की झलक मिलती है।
  - **दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के बाद का पुनर्निर्माण:**
    - ट्रुथ एंड रिकॉन्सीलियेशन कमीशन (TRC): प्रतिशोध के साथ प्रतिरोध करने के स्थान पर, दक्षिण अफ्रीका ने पुनर्स्थापनात्मक न्याय को अपनाया— यह राष्ट्र निर्माण में समुत्थानशक्ति का उदाहरण है।
  - **जापान का युद्धोत्तर पुनर्निर्माण:**
    - द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद जापान ने असाधारण आर्थिक और तकनीकी समुत्थानशक्ति प्रदर्शित किया तथा वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। यह सतत् और दूरदर्शी अनुकूलन का उदाहरण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्राकृतिक आपदाएँ और शहरी समुत्थानशीलन**
  - **केरल बाढ़ (वर्ष 2018):** समुदाय द्वारा संचालित आपदा-मोचन और द्रुत पुनर्निर्माण प्रयासों ने प्रकृति के प्रति प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध की तुलना में अधिक समुत्थानशीलन प्रदर्शित किया।
- **समकालीन विश्व उदाहरण:**
  - कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में आए संकटों के बीच समुत्थानशक्ति ही पुनर्निर्माण की आधारशिला बनी।
  - तटीय शहरों द्वारा जलवायु अनुकूल अवसंरचना का निर्माण यह दर्शाता है कि समुत्थानशीलन ही भविष्य का मार्ग है, मात्र प्रतिरोध पर्याप्त नहीं।
  - **अफगानिस्तान में महिला शिक्षा समर्थन:** जहाँ प्रत्यक्ष विरोध संभव नहीं, वहाँ अफगानिस्तान में कुछ महिलाएँ अब भी भूमिगत रूप से शिक्षण का कार्य कर रही हैं। यह प्रत्यक्ष प्रतिरोध नहीं, बल्कि एक शांत और प्रभावशाली समुत्थानशक्ति है, जो धीरे-धीरे सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद तैयार कर रही है। यह दर्शाता है कि स्थायी परिवर्तन केवल टकराव से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और धैर्यपूर्ण प्रयासों से आता है।

- **व्यक्तिगत मनोविज्ञान:**
  - **व्यक्तियों में लचीलापन:** समुत्थानशक्ति उन व्यक्तियों में देखा जाती है जो जीवन की कठिनतम परिस्थितियों— जैसे कि कैंसर, दुर्व्यवहार या गंभीर आघात के बावजूद फिर से आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं।
  - **ग्रोथ माइंडसेट (कैरोल ड्वेक):** यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की मानसिकता ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। कठिनाइयों का विरोध करने के बजाय, उनसे सीखना और स्वयं को परिवर्तित करना समुत्थानशक्ति की पहचान है।
  - **भावनात्मक लचीलापन:** नौकरी छूटना, व्यक्तिगत संबंधों का टूटना या जीवन में असफलताएँ— इन सभी स्थितियों में भी जो व्यक्ति अपने मूल्यों एवं लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, वह भावनात्मक रूप से समुत्थानशील कहलाता है। यही आत्मबल भविष्य निर्माण की नींव है।

- **रूपकात्मक प्रतिबिंब:**
  - बाँस का पेड़ बनाम ओक: बाँस का पेड़ झुकता है लेकिन टूटता नहीं है— यह लचीलापन है। लेकिन ओक का पेड़ कठोर होकर प्रतिरोध करता है और अत्यधिक दबाव में टूट सकता है — यह प्रतिरोध की सीमाएँ दर्शाता है।
  - जल का प्रतीक: जल बहता है, मार्ग खोजता है, चट्टानों को भी धीरे-धीरे काटता है। इसकी शक्ति प्रतिरोध में नहीं, बल्कि निरंतरता और समुत्थानशक्ति में है। जल का यह गुण बताता है कि नरम होते हुए भी शक्ति किस प्रकार स्थायी और परिवर्तनकारी हो सकती है।

निष्कर्षत:, सहिष्णुता/समुत्थानशक्ति/लचीलापन केवल प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक मूल्य, मनोवृत्ति और रणनीति है। प्रतिरोध क्षणिक हो सकता है, लेकिन सहिष्णुता व्यक्ति और समाज को दीर्घकालीन स्थायित्व, नैतिक स्पष्टता व आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है।

प्रश्न : विपरीत परिस्थितियों की अपेक्षा शक्ति चरित्र को अधिक उजागर करती है।

प्रश्न : नैतिकता का पाठ सिखाया नहीं जाता, बल्कि यह एक आंतरिक बोध है।

निबंध विषय:

- शक्ति प्रतिकूलता की अपेक्षा चरित्र को अधिक प्रकट करती है।
- नैतिकता सिखाई नहीं जाती, उसे जागृत किया जाता है।

1. शक्ति प्रतिकूलता की अपेक्षा चरित्र को अधिक प्रकट करती है।

- **निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:**
  - अब्राहम लिंकन: "लगभग सभी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसे शक्ति दीजिए।"
  - प्लेटो: "किसी व्यक्ति का मापदंड यह है कि वह शक्ति का क्या उपयोग करता है।"
  - चाणक्य: "जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, वह लंबे समय तक सदाचारी नहीं रह सकता।"
- **दार्शनिक और नैतिक आयाम:**
  - विपत्ति अक्सर मजबूरी के कारण लचीलापन, साहस या विनम्रता लाती है । लेकिन शक्ति चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करती है , जिससे व्यक्ति का नैतिक कम्पास स्पष्ट हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- शक्ति संयम की परीक्षा लेती है । प्रतिकूलता विकल्पों को सीमित कर सकती है, शक्ति उन्हें विस्तृत करती है, हम उस स्वतंत्रता के साथ क्या करना चुनते हैं, यह हमारी नैतिक परिपक्वता को परिभाषित करता है ।
- काण्टीय कर्तव्यशास्त्र जैसे नैतिक सिद्धांत इरादे की भूमिका पर जोर देते हैं; शक्ति उन इरादों को उजागर करती है।
- भारतीय दर्शन में , " धर्म " को सत्ता में रहने वालों का मार्गदर्शन करना चाहिए। *महाभारत* राजाओं (युधिष्ठिर, दुर्योधन) की कहानी है जो सत्ता में नैतिक परीक्षणों का सामना कर रहे हैं।

ऐतिहासिक एवं राजनीतिक चित्रण:

सत्ता में नैतिक नेतृत्व:

- कलिंग युद्ध के बाद अशोक : एक विजय-प्रेरित सम्राट से बौद्ध धर्म और करुणा द्वारा निर्देशित शासक में परिवर्तित हो गया।
- नेल्सन मंडेला : दशकों की प्रतिकूलता के बाद, उन्होंने बदला लेने के बजाय एकजुटता के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया, उनका असली चरित्र सत्ता में सामने आया।

शक्ति प्रकट करने वाली खामियां:

- हिटलर और नाजी शासन (जर्मनी); प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरकर राष्ट्रीय कायाकल्प का वादा किया।
- सत्ता हासिल करने के बाद, उन्होंने सत्तावादी शासन, नरसंहारकारी नीतियां और विश्व युद्ध शुरू कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तबाही हुई।

संस्थागत और संरचनात्मक संदर्भ:

- संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सत्ता भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है। अंबेडकर ने सत्ता को अनुशासित करने के लिए संवैधानिक नैतिकता पर जोर दिया।
- आरटीआई अधिनियम , न्यायिक समीक्षा , नागरिक समाज , ये सब यह देखने के लिए हैं कि सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है, न कि यह देखने के लिए कि लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं।
- शक्ति किसी व्यक्ति की अधिकारिता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का परीक्षण करती है, जो विनम्रता या अभिमान को दर्शाती है।

व्यक्तिगत मनोविज्ञान:

- शक्ति अवरोधों को कम करती है, सच्चे उद्देश्यों को सामने लाती है, जबकि प्रतिकूलता व्यक्तित्व को दबा सकती है।
- शक्ति अहंकार, सहानुभूति, मूल्यों या उनकी कमी को प्रकट करती है।

करियर में (नौकरशाह, सीईओ), कुछ लोग लाभ के लिए सत्ता का शोषण करते हैं; अन्य लोग इसका उपयोग सुधार और सार्वजनिक सेवा के लिए करते हैं ।

मुखबिर अक्सर तब सामने आते हैं जब वे सत्ता के अनैतिक उपयोग को देखते हैं।

रूपकात्मक प्रतिबिंब:

- शक्ति अग्नि की तरह है, यह प्रकाशित करती है या नष्ट करती है, यह धारक पर निर्भर करता है।
- दर्पण रूपक, प्रतिकूलता लचीलापन दिखाती है, लेकिन शक्ति व्यक्ति के आंतरिक स्व का प्रतिबिंब दिखाती है।

निष्कर्ष:

सच्चा चरित्र केवल कठिनाई से बचकर नहीं बनता, बल्कि जब व्यक्ति को कष्ट नहीं सहना पड़ता तो वह कैसा व्यवहार करता है , इससे बनता है। इसलिए, सत्ता ही असली परीक्षा है - चाहे वह भ्रष्ट करे, संयमित करे या रूपांतरित करे, यह चरित्र की मजबूती पर निर्भर करता है। इसलिए, समाज को नैतिक रूप से आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिए , न कि केवल लचीले व्यक्तियों को। प्रतिकूल परिस्थितियों के विपरीत, सत्ता व्यक्ति के गहरे मूल्यों को लागू करने का मंच प्रदान करती है। प्राचीन राज-धर्म से आधुनिक लोकतंत्र तक भारत की यात्रा चरित्र के आकार और विरासत को दर्शाती है। भविष्य के नेताओं को सत्ता का इस्तेमाल न्याय के साधन के रूप में करना चाहिए, न कि प्रभुत्व के लिए।

2. नैतिकता सिखाई नहीं जाती, उसे जागृत किया जाता है।

निबंध को समृद्ध करने के लिए उद्धरण:

- स्वामी विवेकानंद: "शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है।"
- सुकरात: "मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अल्बर्ट आइंस्टीन: "किसी व्यक्ति का नैतिक व्यवहार सहानुभूति, शिक्षा और सामाजिक संबंधों पर आधारित होना चाहिए; कोई धार्मिक आधार आवश्यक नहीं है।"

दार्शनिक और नैतिक आयाम:

- नैतिकता बाहरी रूप से थोपी नहीं जाती; इसे आत्म-जागरूकता और सहानुभूति के माध्यम से आंतरिक रूप से महसूस किया जाता है।
- प्लेटो का स्वरूप सिद्धांत : नैतिक ज्ञान पहले से ही आत्मा में मौजूद है और इसे "पुन: स्मरण" करने की आवश्यकता है।
- भारतीय दर्शन (वेदांत) : आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, अज्ञान (अविद्या) उसे अस्पष्ट कर देती है।
- नैतिक जागृति विवेक से जुड़ी है , सिर्फ अनुपालन से नहीं।

मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य:

- कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण दर्शाते हैं कि नैतिक तर्क रटने से नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक परिपक्वता से विकसित होता है।
- नैतिक अंतर्ज्ञानवाद (जोनाथन हैडट): नैतिकता केवल तर्कसंगत प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि गहन सहज प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है।
- स्कूलों में मूल्य शिक्षा आवश्यक है, लेकिन नैतिक जागृति जीवन के अनुभव, चिंतन और सहानुभूति से आती है ।

ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरण:

- गांधीजी की नैतिकता कानून की पढ़ाई में नहीं सिखाई गई थी, बल्कि टॉलस्टॉय फार्म, दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और भगवद गीता के माध्यम से जागृत हुई थी।

सामाजिक और संस्थागत प्रतिबिंब:

- कानून अनुपालन को लागू कर सकते हैं, नैतिकता को नहीं ।
- सिविल सेवा में सच्ची नैतिकता को नियमों (आचरण नियम, आचार संहिता) से परे जाना चाहिए तथा आंतरिक नैतिक भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- गांधीवादी नैतिकता : आत्म-शुद्धि और आत्म-जागरूकता नैतिक शक्ति को जागृत करती है।
- ऑनलाइन गलत सूचना , ट्रोलिंग, भीड़ मानसिकता, औपचारिक शिक्षा के बावजूद, कई लोग नैतिक रूप से असफल हो जाते हैं।

रूपकात्मक प्रतिबिंब:

- नैतिकता एक बीज है , कोई स्क्रिप्ट नहीं। शिक्षा उसे सींचती है, लेकिन जागृति तब होती है जब वह भीतर से अंकुरित होती है।
- दीपक तो दिया जा सकता है, लेकिन वह तभी चमक सकता है जब उसमें जागरूकता का तेल मौजूद हो ।

निष्कर्ष:

नैतिकता का मतलब नियम पुस्तिकाओं या अधिकार से नहीं है, इसका मतलब है कि क्या सही है, इसका सचेत अहसास । इसे डाउनलोड नहीं किया जा सकता; इसे अनुभव, सहानुभूति और आंतरिक विकास के माध्यम से जागृत किया जाना चाहिए। शिक्षा और नेतृत्व का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों और समाज में इस गहरी नैतिक चेतना को जगाना है।

प्रश्न : शब्दों की शक्ति किसी शस्त्र से भी अधिक गहरा वार कर सकती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- फ्रेडरिक नीत्शे: "मेरे पास यदि कागज़ का एक टुकड़ा और लिखने के लिये कुछ हो, तो मैं दुनिया को उलट सकता हूँ।"
- आधुनिक कहावत: "लाठी और पत्थर मेरी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द जीवनभर के लिये घाव दे सकते हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- शब्द विचारों और शक्ति के संवाहक होते हैं: शब्द न केवल विचारों को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे आख्यानों, पहचान, विचारधाराओं और विश्वास प्रणालियों को भी आयाम देते हैं। जहाँ हथियार शरीर पर प्रहार करते हैं, वहीं शब्द मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं।
  - भारतीय संवैधानिक भाषा, हम लोग ने अरबों लोगों को आशा और सम्मान दिया है।
- बौद्ध दृष्टिकोण: सम्यक वाक् (उचित वाणी): बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के तत्त्वों में से एक - नैतिक और सजग वाणी पर ज़ोर देता है: बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण अंग – सम्यक वाक्, नैतिक और सजग वाणी पर बल देता है।
  - झूठी, कठोर, विभाजनकारी या बेकार की बातों से बचना तथा सत्य, सौहार्दपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण संवाद को प्रोत्साहित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह सिद्धांत दर्शाता है कि भाषा का नैतिक उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिये अत्यावश्यक है।

- भाषाई नृविज्ञान में सापिर-वॉर्फ परिकल्पना यह मानती है कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। इसका अर्थ है कि मौखिक अभिव्यक्ति केवल निष्पक्ष माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया का निर्माण करती है।
- भाषा की हिंसा: हेट स्पीच (नफ़रत फैलाने वाली भाषा), सांप्रदायिक बयानबाज़ी, दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाएँ दंगे, युद्ध या नरसंहार को भड़का सकती हैं।
  - उदाहरण के लिये, हिटलर की मीन कैम्फ और राज्य के दुष्प्रचार ने यहूदी-विरोधी भावना को सामान्य बना दिया, जिसकी परिणति होलोकॉस्ट में हुई।
- उपचार और विनाश: भाषा की दोहरी प्रकृति इसकी अपार नैतिक जिम्मेदारी को दर्शाती है। शब्द सहानुभूति के माध्यम से उपचार कर सकते हैं तो वहीं अपमान, निंदा, और बदनामी के माध्यम से आहत भी कर सकते हैं।
  - भाषा की यह द्वैध प्रकृति उसके गंभीर नैतिक दायित्व को दर्शाती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सामाजिक आंदोलनों और क्रांतियाँ:**
  - महात्मा गांधी ने वाणी की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके शांत और दृढ़ शब्दों ने ब्रिटिश साम्राज्य को किसी भी सशस्त्र विद्रोह से अधिक भयभीत कर दिया।
    - भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके नारे 'करो या मरो' ने जनता को शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिये प्रेरित किया।
  - अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने जागृति और राजनीतिक शिक्षा के साधन के रूप में *यंग इंडिया, केसरी* आदि पत्रिकाएँ और समाचार पत्र शुरू किये।
  - मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध भाषण 'आई हैव ए ड्रीम' ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों पर विमर्श को पुन: परिभाषित किया।
  - इंकलाब जिंदाबाद: भगत सिंह, यह नारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध का नारा बन गया, जिसने युवाओं को बलिदान और संघर्ष के लिये जागृत किया।
  - फ्राँसीसी क्रांति (वर्ष 1789): नेशनल असेंबली में दिये गए भाषणों और "लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व)" के नारों ने जनसमूह को संगठित किया, राजशाही को समाप्त किया, और फ्राँस के राजनीतिक स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया।
- शब्दों का नकारात्मक प्रभाव: नाज़ी प्रचार ने यहूदियों को बदनाम किया और नरसंहार को उचित ठहराया।
  - गलत सूचनाएँ और डीपफेक तकनीक सत्य व कल्पना के बीच के अंतर को धुंधला करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरे में डालते हैं।
- समकालीन उदाहरण:
  - सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और साइबर-बुलीइंग के कारण गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट और आत्महत्याएँ हुई हैं।
  - राजनीतिक ध्रुवीकरण प्राय: कार्रवाई के बजाय बयानबाजी से प्रेरित होता है।

व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबिंब:

- परिवारों और कार्यस्थलों पर, भावनात्मक रूप से आहत करने वाले शब्द, प्राय: शारीरिक झगड़ों की तुलना में कहीं गहरे और लंबे समय तक रहने वाले मानसिक आघात पहुँचाते हैं।
- इसके विपरीत, प्रोत्साहन का एक शब्द किसी की राह बदल सकता है।

निष्कर्ष:

शोर से भरी दुनिया में, शब्दों का नैतिक उपयोग केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। हर युग में और सभ्यताओं में, शब्दों ने समाज और नियति को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। जैसा कि प्राचीन संस्कृत ज्ञान हमें स्मरण कराता है — "वाक् शक्ति: परमाशक्ति: !", अर्थात् वाणी ही सर्वोच्च शक्ति है।

जब शब्दों को सत्य एवं करुणा के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वे न्याय, एकता और परिवर्तन की एक सशक्त शक्ति बन जाते हैं।

प्रश्न : कृतज्ञता का भाव प्राय: आनंद के शांत प्रकाश में प्रकट होता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- रूमी: "कृतज्ञता को एक लबादे की तरह पहन लो और यह तुम्हारे जीवन के हर कोने को पोषित करेगी।"

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- ईसप: "कृतज्ञता हमारे पास जो कुछ है उसे पर्याप्त बना देती है।"
- कार्ल बार्थ: "आनंद कृतज्ञता का सरलतम रूप है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- एक गुण के रूप में कृतज्ञता: अरस्तू के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार, कृतज्ञता एक नैतिक सद्गुण है, जो विनम्रता और भावनात्मक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है।
- कृतज्ञता और आनंद — एक सूक्ष्म संबंध: कृतज्ञता हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं की जाती। यह प्राय: संतोष, शांत उपस्थिति और मौन प्रशंसा के रूप में प्रकट होती है।
  - डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपनी सरल जीवनशैली, विनम्रता तथा शिक्षकों व असफलताओं के प्रति सम्मान के माध्यम से मौन कृतज्ञता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
    - उनका आनंद सत्ता से नहीं, बल्कि सेवा, ज्ञान और युवाओं से जुड़ने से उपजा था, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची सेवा ही कृतज्ञता की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है।
- मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: स्टोइक दर्शन के अनुसार, कृतज्ञता इस समझ में निहित है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं तथा जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार कर लेना।
  - भारतीय आध्यात्मिक परम्पराएँ (जैसे: योग दर्शन में 'संतोष' या 'दान का आनंद') कृतज्ञता को आंतरिक संतोष की मूल अवस्था के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो अंतत: आंतरिक आनंद की ओर ले जाती है।
- पूर्वी दर्शन का परिप्रेक्ष्य: बौद्ध शिक्षाएँ मुदिता (सहानुभूतिपूर्ण आनंद) पर बल देती हैं, जहाँ व्यक्ति दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करता है, यह भावना आपसी संबंधों के प्रति कृतज्ञता से जुड़ी होती है।
- सांस्कृतिक आयाम: भारतीय संस्कृति में, मकर संक्रांति और छठ पूजा जैसे त्योहारों के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जिसमें प्रकृति, पशु-पक्षियों और धरती के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। ये त्योहार विनम्रता और आपसी संबंधों की गहरी भावना को दर्शाते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- विपरीत परिस्थितियों में कृतज्ञता: जेल से छूटने के बाद नेल्सन मंडेला ने किसी प्रकार की घृणा नहीं व्यक्त की; उनकी शांत गरिमा जीवन और लचीलेपन के प्रति कृतज्ञता को प्रतिबिम्बित करती थी। नेल्सन मंडेला ने जेल से रिहा होने के बाद किसी भी प्रकार की घृणा नहीं की; उनकी मौन गरिमा जीवन के प्रति कृतज्ञता एवं आत्मबल की प्रतीक थी।
  - मदर टेरेसा ने निर्धनों की सेवा में जो आनंद अनुभव किया, वह मानवता के प्रति उनकी गहन कृतज्ञता का स्वरूप था।
  - लोक सेवक और सैनिक, विशेषकर संकट की घड़ी (जैसे COVID-19 महामारी) में, नि:शब्द और नि:स्वार्थ सेवा के माध्यम से देश सेवा का अवसर मिलने के लिये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

समकालीन उदाहरण:

- दैनिक जीवन: एक किसान जो अच्छी फसल के बाद संतुष्ट महसूस करता है, या किसी शिक्षक का अपने शिष्य की प्रगति पर मुस्कुरा देना— ये सब कृतज्ञता के क्षण हैं जो चुपचाप मौन आनंद में बदल जाते हैं।
- सोशल मीडिया युग: अक्सर, आभार प्रदर्शनात्मक होता है। आज के समय में कृतज्ञता प्राय: प्रदर्शन का रूप ले लेती है। हालाँकि, वास्तविक कृतज्ञता रोज़मर्रा के नितांत साधारण कार्यों— जैसे: देखभाल, उपस्थिति और धैर्य में प्रकट होती है, जिन्हें कोई मंच या सराहना नहीं चाहिये।

निष्कर्ष:

कृतज्ञता कोई क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, जीवन जीने की एक शैली है। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता केवल 'धन्यवाद' या 'आभार' शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कारों, अनुष्ठानों और परंपराओं के माध्यम से जीवन की मूल संरचना में समाहित है। गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो बड़ों के चरण स्पर्श जैसे व्यवहार श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक हैं। ये सभी अभिव्यक्तियाँ यह स्मरण कराती हैं कि कृतज्ञता का उच्चतम रूप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सेवा, स्मरण और आचरण में निहित होती है।

प्रश्न : प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- *"शोक मत करो। जो कुछ भी तुम खोते हो, वह किसी नए रूप में लौट आता है।"* — रूमी

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- *"अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता; केवल प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है। घृणा घृणा को समाप्त नहीं कर सकती; केवल प्रेम ही घृणा को समाप्त कर सकता है।"* — मार्टिन लूथर किंग जूनियर
- *"कोई भी चीज असंभव ही प्रतीत होती है, जब तक कि वह पूर्ण न हो जाए।"* — नेल्सन मंडेला

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- आशा के प्रतीक के रूप में प्रकाश: विभिन्न सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं में प्रकाश को आशा, स्पष्टता, ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है।
  - 'प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना' यह सुझाव देता है कि कठिन समय में भी संभावनाओं और विकास की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर व्यक्ति समाधान एवं शांति की ओर अग्रसर हो सकता है।
- मनोवैज्ञानिक पक्ष: प्रतिकूल समय में पर ध्यान केंद्रित करना एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने के समान है।
  - 'सकारात्मक मनोविज्ञान' इस बात पर बल देता है कि आशावादिता समुत्थानशीलन (resilience) को बढ़ावा देती है और मानसिक दृढ़ता को पोषित करती है।
- स्टॉइकवाद और दृष्टिकोण की शक्ति: 'स्टॉइक दर्शन' यह सिखाता है कि हम बाह्य परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।
  - प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना, इस स्टॉइक आदर्श के अनुरूप है, जो आंतरिक शांति और स्पष्टता को बनाए रखने का मार्ग दिखाता है, भले ही बाह्य परिस्थितियाँ विकट क्यों न हों।
  - मार्कस ऑरेलियस के इस सिद्धांत में कि "हमें अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिये" — इसी विचारधारा की पुष्टि होती है कि विपत्ति के दौरान भी हमें 'प्रकाश (आशा की किरण)' मिल सकता है।
- महाभारत: महाभारत ऐसे अनेक प्रसंगों से परिपूर्ण है, जहाँ महान व्यक्तित्वों ने घोर अंधकार के दौरान भी प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया।
  - युधिष्ठिर का उदाहरण उल्लेखनीय है, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर धर्म का मार्ग चुना, भले ही इसके लिये उन्हें अत्यधिक कष्ट सहने पड़े। यह इस बात का प्रमाण है कि नैतिक अखंडता के प्रकाश पर केंद्रित रहने से अंतत: विजय प्राप्त होती है।
- बौद्ध धर्म — 'स्मृतिशीलता' और 'प्रबोधन' का पथ: 'बौद्ध धर्म' में वर्तमान क्षण में प्रबोधन अर्थात् जागरूक रहने और 'स्मृतिशीलता' पर विशेष बल दिया गया है।
  - यह सुझाव देता है कि अपनी चेतना और 'आंतरिक ज्ञान के प्रकाश' पर ध्यान केंद्रित करके, हम दुख से पार पा सकते हैं।
  - 'आर्य अष्टांगिक मार्ग' व्यक्ति को अंधकार (अज्ञान और दु:ख) से बाहर निकाल कर 'प्रबोधन' (प्रकाश) की ओर ले जाता है।
- ऐतिहासिक एवं नीतिगत उदाहरण:
- छत्रपति शिवाजी महाराज: मराठा साम्राज्य के दौरान उनका नेतृत्व मध्ययुगीन भारत के अंधकार से साहस, न्याय और धार्मिक शासन के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
  - निरंतर युद्ध और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी, लोगों की रक्षा करने और अपने सिद्धांतों को कायम रखने के प्रति उनका अटूट समर्पण अंधकार का सामना करने में समुत्थानशक्ति का उदाहरण है।
- रवींद्रनाथ टैगोर: रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय प्रतिकूलताओं के दौरान रचनात्मकता, दूरदर्शिता व आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रतिबिंबित करता है।
  - मानवतावादी मूल्यों के प्रति टैगोर की प्रतिबद्धता और वैश्विक संस्कृति में उनका योगदान, सामाजिक अंधकार से ऊपर उठने के लिये 'प्रबोधन' (प्रकाश) पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को दर्शाता है।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर: उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति का सशक्त उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जातीय भेदभाव और सामाजिक दमन के अंधकार से ऊपर उठ सकता है।
  - उन्होंने सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए समानता, गरिमा और सामाजिक सुधार के प्रकाश पर बल दिया, जो जाति-आधारित भेदभाव के गहरे अंधकार को दूर कर सकता है।
- मार्टिन लूथर किंग जूनियर: उनका प्रसिद्ध भाषण "I Have a Dream" संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय के नस्लीय अन्याय के कठिन समय में प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्थायी उदाहरण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

- अफ्रीकी-अमेरिकियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके बावजूद उन्होंने आशा और समानता पर बल देते हुए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया तथा वे प्रगति का एक प्रकाशस्तंभ बन गए।

समकालीन उदाहरण:

- वैश्विक संकट: जिस तरह जापान हिरोशिमा की विभीषिका से उठकर तकनीकी प्रगति और शांति का प्रतीक बन गया, वैसे ही पूरी दुनिया ने विज्ञान, करुणा व सहयोग के माध्यम से COVID-19 महामारी का सामना किया।
  - दोनों घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि सबसे कठिन समय में भी आशा, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास के माध्यम से अद्भुत परिवर्तन संभव है।
- सोशल मीडिया आंदोलन: 'BlackLivesMatter' और 'MeToo' जैसे आंदोलन भी उन उदाहरणों में आते हैं, जहाँ व्यक्तियों और समुदायों ने व्यवस्था में व्याप्त अन्याय के बीच न्याय, समानता एवं मानवाधिकारों के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया।
- व्यक्तिगत संघर्षों की कहानियाँ: एक कैंसर से उबरने वाला व्यक्ति जो जागरूकता फैलाता है, एक शिक्षक जो छात्रों को कठिनाइयों से उबारता है, या कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद अपने समुदाय के कल्याण के लिये कार्य करता है — ये सभी इस बात का प्रमाण हैं कि व्यक्तिगत विपत्ति में भी प्रकाश पर केंद्रित रहना स्वयं का तो कल्याण करता ही है, दूसरों के लिये भी प्रेरणा बन सकता है।

निष्कर्ष:

अंधकार से प्रकाश की यात्रा धैर्य, सत्य और नैतिक स्पष्टता के मार्ग का प्रतीक है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है— "तमसो मा ज्योतिर्गमय !" अर्थात् "मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो!" यह उद्धरण विपत्ति के दौरान आशा और सद्गुण पर केंद्रित रहने की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देता है।

प्रश्न : विपत्ति एक विकल्प देती है: या तो कटु बनो, या बेहतर बनो।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- *"यदि आप नरक से गुज़र रहे हैं, तो चलते रहिये।"*

  — विन्स्टन चर्चिल
- *"हर कठिनाई के मध्य एक अवसर छिपा होता है।"*

  — आल्बर्ट आइंस्टाइन
- *"जो हमें मार नहीं सकता, वह हमें और मज़बूत बनाता है।"*

  — फ्रेडरिक नीत्शे

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- मानव विकास में प्रतिकूलता की भूमिका: एपिक्यूरियनवाद यह सिखाता है कि यद्यपि जीवन में पीड़ा और कठिनाइयाँ अपरिहार्य हैं, फिर भी हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं।
  - एपिक्यूरस ने इस बात पर बल दिया कि हमें दीर्घकालीन सुख, आत्म-नियंत्रण, चिंतन और मैत्री के माध्यम से आंतरिक शांति की तलाश करनी चाहिये, न कि कड़वाहट में फँसना चाहिये।
  - यह दर्शन यह इंगित करता है कि यदि हम ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में हमें संतोष किससे मिलता है, तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी आत्मविकास के अवसर में बदल सकते हैं।
- मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य: अभिघातजन्य विकास/पोस्ट-ट्रॉमैटिक ग्रोथ ***(PTG)*** एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति आघात या कठिन परिस्थितियों से गुज़रने के बाद पहले से अधिक मज़बूत और जीवन के प्रति अधिक गहरी कृतज्ञता के साथ उभर सकता है।
  - यह विचार इस बात पर बल देता है कि कठिनाइयाँ जीवन को तोड़ भी सकती हैं और निखार भी सकती हैं, चुनाव करना तो व्यक्ति के हाथ में है।
- अरस्तू का 'विवेक आधारित नैतिक दर्शन': अरस्तू के अनुसार, साहस, धैर्य और दृढ़ता जैसी नैतिकताएँ कठिनाइयों का सामना करने से ही उत्पन्न होती हैं।
  - यदि जीवन में कोई चुनौती न हो, तो इन गुणों का विकास असंभव होता है। इस दृष्टि से, प्रतिकूलता को मानवीय उत्कर्ष का एक आवश्यक तत्त्व माना गया है।
- जैन धर्म का दृष्टिकोण: जैन धर्म सिखाता है कि हमें अहिंसा (हिंसा न करना) और अपरिग्रह (संपत्ति व मोह से विरक्ति) के माध्यम से कठिनाइयों को पार करना चाहिये।
  - प्रतिकूलता को कड़वाहट का कारण के बजाय आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भगवान महावीर ने अत्यधिक व्यक्तिगत कष्ट सहे, परंतु उनका उत्तर करुणा और संयम से दिया। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार चुनौतियों का सामना करुणा और सहनशीलता के साथ किया जा सकता है, जिससे आक्रोश की बजाय आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- सम्राट अशोक : कलिंग युद्ध की भयावहता को देखने के बाद, सम्राट महान ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया।
  - उनके पश्चाताप और आत्मपरिवर्तन यात्रा उन्हें शांति, करुणा और जनकल्याण का अग्रदूत बना गई।
- राजा राज चोल प्रथम (चोल राजवंश): चोल राजवंश काल में राजा राज चोल प्रथम को बाह्य खतरों से अपने राज्य की रक्षा करने की चुनौती का सामना करना पड़ा।
  - उनके सैन्य और प्रशासनिक सुधारों से चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ, सांस्कृतिक उन्नति हुई तथा स्थापत्य कला की उपलब्धियाँ बढ़ीं।
- महात्मा गांधी: गांधीजी का जीवन व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिये प्रतिकूल परिस्थितियों का उपयोग करने की शक्ति का प्रमाण है।
  - ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता के साथ जवाब देने का विकल्प चुना, और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई।
- नेल्सन मंडेला: 27 वर्षों के कारावास के बाद, मंडेला कटुता से भरे हुए हो सकते थे, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने क्षमा और सुलह का रास्ता चुना, जिससे दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से शांतिपूर्ण ढंग से मुक्ति मिल सकी।
  - उनका जीवन इस बात का गहरा प्रभाव दर्शाता है कि कड़वाहट पर काबू पाना और विकास का चुनाव करना व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हो सकता है।
- फ्राँसीसी क्रांति: फ्राँसीसी क्रांति का उथल-पुथल भरा दौर एक ऐसे राष्ट्र का ऐतिहासिक उदाहरण है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों (आर्थिक कठिनाई, सामाजिक असमानता और राजनीतिक दमन) को परिवर्तन के लिये प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया।
  - यद्यपि इस क्रांति में हिंसा शामिल थी, लेकिन इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को भी जन्म दिया, जो आज भी लोकतांत्रिक समाजों में गूंजते रहते हैं।

समकालीन उदाहरण:

- LGBTQ+ अधिकारों के लिये संघर्ष: दुनिया भर में LGBTQ+ समुदायों को विश्वभर में भेदभाव, हिंसा और कानूनी अवरोधों जैसी गहन प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी, कई व्यक्तियों ने अपनी व्यक्तिगत संघर्षगाथाओं को सामूहिक आंदोलन में रूपांतरित किया है, जिससे अधिकारों और समानता हेतु वैश्विक स्तर पर पहल हुई है।
  - प्राइड परेड जैसे आंदोलनों और समलैंगिक विवाह का समर्थन करने वाले संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है।
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम (ISRO): सीमित संसाधनों के बावजूद, भारत के ISRO ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, जिनमें वर्ष 2013 में 'मंगलयान' (मार्स ऑर्बिटर मिशन) का प्रक्षेपण प्रमुख है, जिससे भारत मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला एशिया का पहला देश बना।
  - 'चंद्रयान' मिशनों, विशेषतः 'चंद्रयान-2', ने भारत की चंद्र अन्वेषण यात्रा को और अधिक उन्नत किया, यह दर्शाते हुए कि किस प्रकार नवाचार एवं दृढ़ता संसाधनों की सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय गौरव एवं तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
- व्यक्तिगत संघर्ष: रोज़मर्रा की जीवन में, लोग प्रायः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, आर्थिक कठिनाइयों अथवा भावनात्मक पीड़ाओं के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं।
  - उनकी प्रतिक्रिया — चाहे वह संघर्ष के समक्ष धैर्य एवं दृढ़ता प्रदर्शित करना हो या कड़वाहट से ग्रसित होना, उनके भविष्य की दिशा को निर्धारित करती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, *"जब हम किसी परिस्थिति को बदलने में असमर्थ होते हैं, तब हम स्वयं को बदलने की चुनौती स्वीकार करते हैं।"*

कटुता या उत्कृष्टता के बीच का चयन सदैव हमारे हाथ में होता है और यदि हम प्रतिकूलता को आत्मविकास के उत्प्रेरक के रूप में अपनाएँ, तो हम कठिनाइयों से उबरकर अधिक सशक्त, विवेकशील एवं सहानुभूतिशील बन सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME